

# जी.एस.टी. ई-बुक सुधीर हालाखंडी

भारत में लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर

**BY CA SUDHIR HALAKHANDI**

वस्तु एवं सेवा कर

चतुर्थ संस्करण

15-07-2017



भारतीय करदाताओं को सादर समर्पित  
इसे पढ़ें , समझें और औरों को समझाए



## GST BY SUDHIR HALAKHANDI

15 JULY 2017

जी.एस.टी. ई - बुक का चतुर्थ संस्करण जिसे नए अध्याय और जी.एस.टी. कानून की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ . इस पुस्तक को आप करदाता को भारत में लगने वाले जी.एस.टी. "गुड्स एवं सर्विस टैक्स" की जानकारी देने के लिए प्रकाशित किया गया है. इसे हमारी वेबसाइट [www.halakhandi.com](http://www.halakhandi.com) से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ा जा सकता है . इस पुस्तक की भाषा इतनी सरल रखी गई है की यह आसानी से समझ आने वाली है. इसे पढ़े , समझे और अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें - सुधीर हालाखंडी



वस्तु एवं सेवा कर  
हिन्दी

- सी.ए. सुधीर हालाखंडी

भारत में लगने वाला वस्तु एवं सेवा कर

4th Improved Edition

चतुर्थ संस्करण

नयी जुडी हुई सामग्री के साथ

हिन्दी में जी.एस.टी.एक्ट की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के साथ  
प्रकाशन अधिकार लेखक सुधीर हालाखंडी के पास सुरक्षित है, इनका  
उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करें .

Copy rights are owned by Writer Sudhir Halakhandi

सर्वाधिकार सुरक्षित

## लेखक की ओर से निवेदन

प्रिय मित्रों,

नमस्कार !

इस पुस्तक के पिछले तीन संस्करण जिस उत्साह के साथ आपने स्वीकार किये उसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार .

जी.एस.टी. ई -बुक का चतुर्थ संस्करण आपके लिए भेजा जा रहा है इस संस्करण में भी जी.एस.टी कानून में दी गई 100 से अधिक परिभाषाओं का हमने हिंदी अनुवाद किया है, इनपुट क्रेडिट, प्रारम्भिक स्टॉक पर मिलने वाली इनपुट क्रेडिट , अन -रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान , जी.एस.टी. में गिरफ्तारी के प्रावधान के साथ- साथ एच.एस.एन कोड एवं कर की दरों से संबंधित और भी नए एवं संशोधित अध्याय आपके लिए हमने जोड़े हैं इस बार जो अध्याय हमने जोड़े हैं.

यह सामग्री जी.एस.टी. लागू होने के बाद के परिवर्तनों से सम्बंधित है एवं पहले के अध्याय भी बाद की घटनाओं एवं अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधित किये गए हैं . इस ई -बुक की भाषा आपकी आवश्यकता के अनुसार सरल रखी गई है.

वर्ष 2006 से मेरा जी.एस.टी. का अध्ययन जारी है इस सम्बन्ध में पहला लेख मैंने Goods and Service Tax - An Introductory Study ICAI के CA Journal "The Chartered Accountant" में 2007 में लिखा था जो कि संभवतः किसी बड़े स्तर पर लिखा गया

जी.एस.टी. पर भारत में पहला लेख था एवं इस लेख को कई विश्वविद्यालयों में जी.एस.टी. पर रिसर्च पेपर्स में रिफरेन्स के रूप में काम में लिया गया है . भारतीय संसद में भी लोकसभा सचिवालय द्वारा सांसदों के लिए तैयार किये गए जी.एस.टी. बुलेटिन में भी यह लेख रेफरेस के रूप में काम में लिया गया है. इसके अतिरिक्त भी लेखक ने जी.एस.टी. पर विभिन्न कर प्रत्रिकाओं , अखबारों , और वेब साइट्स पर 500 से अधिक लेख लिखे हैं. इसी अनुभव के साथ यह पुस्तक लिखी गई है.

आप लेखक के जीएस.टी. पर लगभग 50 ऑडियो यु ट्यूब चैनल GST By Sudhir Halakhandi पर भी सुन सकते हैं . इन्हें पिछले एक माह की अवधि में अभी तक 3 लाख से अधिक श्रोता सुन चुके हैं. इसके जी.एस.टी. पर बहुत से लेख हमारी वेब साइट [www.halakhandi.com](http://www.halakhandi.com) पर भी उपलब्ध है .

इस पुस्तक के समस्त कॉपी राइट्स लेखक **सुधीर हालाखंडी** के पास है और यह आम जी.एस.टी. करदाता को जी.एस.टी. की जानकारी देने हेतु ई-बुक के रूप में जारी की गई है आप इसे पढ़ें , समझें , शेयर करें और ट्रेड एवं इंडस्ट्री एसोसिएशन्स इसे **“जैसी ही वैसी ही बिना किसी मूल्य”** के लेखक के नाम के साथ सदस्यों के लिए प्रकाशित कर सकती है . वितरण से पूर्व पुस्तक की दो प्रति लेखक को अनुमति के लिय प्रेषित करें . इस पुस्तक का व्यवसायिक उपयोग पूर्ण रूप से वर्जित है

इस ई -बुक में समय -समय पर संशोधन कर एवं आवश्यकता अनुसार नए अध्याय जोड़कर आपको उपलब्ध करायी जायेगी . पुस्तक हमारी वेबसाइट [www.halakhandi.com](http://www.halakhandi.com) से भी डाउन लोड की जा सकती है .

पुस्तक के साथ लेखक या अन्य किसी व्यक्ति या संस्था के व्यवसायिक हित नहीं जुड़े हैं और इसे इसी भावना के साथ पढ़ें , समझें , शेयर करें ताकि जी.एस.टी. में आपका प्रवेश एक जानकार करदाता के रूप में हो.

पुस्तक की रचना करते समय पूरी सावधानी रखी गई है लेकिन निश्चित रूप से इसमें **त्रुटियाँ अभी भी होंगी** . कृपया सूचित कर अनुग्रहित करें ताकि सुधार कर इस अभियान को और भी सार्थकता प्रदान की जा सके.

-आदर सहित

सुधीर हालाखंडी

ब्यावर (जिला - अजमेर )

राजस्थान

15 जुलाई 2017

## संपर्क सूत्र

[sudhirhalakhandi@gmail.com](mailto:sudhirhalakhandi@gmail.com)

Visit me- [www.halakhandi.com](http://www.halakhandi.com)

WhatsApp 98280-67256

Youtube chanel :- GST By Sudhir Halakhandi

[https://www.youtube.com/results?search\\_query=sudhir+halakhandi](https://www.youtube.com/results?search_query=sudhir+halakhandi)

पुस्तक के बारे में चर्चा भारत के एक बहुत बड़े टी.वी. चैनल NDTV पर भी हुई है जिसका लिंक हम यहाँ दे रहे हैं :-

<https://youtu.be/pfIKHNzG4tM>

अनुक्रमणिका  
INDEX

| क्र.सं. | अ<br>ध्या<br>य | विवरण   | पृष्ठ संख्या |
|---------|----------------|---|--------------|
| 1.      | 1.             | क्या है जी.एस.टी.:- एक परिचय-Introduction     | 10           |
| 2.      | 2.             | जी.एस.टी.एवं दो राज्यों के बीच व्यापार-IGST   | 15           |
| 3.      | 3.             | जी.एस.टी - रिटर्न- GST Returns                | 31           |
| 4.      | 4.             | जी.एस.टी. - कम्पोजीशन स्कीम-Coposition Scheme | 43           |
| 5.      | 5.             | प्रारम्भिक एवं स्टॉक पर इनपुट क्रेडिट         | 59           |
| 6.      | 6.             | जी.एस.टी. - इनपुट क्रेडिट                     | 71           |
| 7.      | 7.             | अन-रजिस्टर्ड डीलर से खरीद पर रिवर्स टैक्स     | 90           |
| 8.      | 8.             | जी.एस.टी. और इनपुट क्रेडिट का मिसमैच          | 103          |
| 9.      | 9.             | आइये देखें कैसे बनेगा जी.एस.टी. में बिल       | 105          |
| 10.     | 10.            | ई-वे बिल (रोड परमिट )                         | 111          |
| 11.     | 11.            | कर निर्धारण - दोहरा नियंत्रण 50:50            | 119          |
| 12.     | 12.            | जी.एस.टी.:-कर चोरी पर गिरफ्तारी प्रावधान      | 123          |
| 13.     | 13.            | जी.एस.टी. सलाहकार:- जी.एस.टी. प्रेक्टिशनर     | 132          |
| 14.     | 14.            | जी.एस.टी. की अकाउंटिंग                        | 140          |
| 15.     | 15.            | जी.एस.टी.- अकाउंट्स एवं रिकार्ड्स             | 148          |
| 16.     | 16.            | जी.एस.टी. - सर्राफा व्यवसाय                   | 156          |
| 17.     | 17.            | एच.एस.एन. कोड -GST HSN CODE                   | 167          |
| 18.     | 18.            | जी.एस.टी. परिभाषाएँ :- सरल हिंदी में          | 193          |
| 19.     | 19.            | जी.एस.टी. - ब्याज के प्रावधान                 | 218          |

वस्तु एवं सेवा कर  
सी.ए. सुधीर हालाखंडी



आइये समझे जी.एस.टी. को  
GST -E-BOOK -HINDI  
सी.ए. सुधीर हालाखंडी  
राजस्थान

[sudhrhalakhandi@gmail.com](mailto:sudhrhalakhandi@gmail.com)

[sudhir@halakhandi.com](mailto:sudhir@halakhandi.com)

visit me:- [www.halakhandi.com](http://www.halakhandi.com)

Subscribe and Listen our audio on You Tube  
channel

GST By Sudhir Halakhandi

## अध्याय - 1 :- जी.एस.टी. एक परिचय GST- AN INTRODUCTION

अब एक जुलाई 2017 से जी.एस.टी. भारत में लागू हो चुका है इसलिए सरल हिन्दी भाषा में आपको जी.एस.टी. की प्रारम्भिक जानकारी व्यापार एवं उद्योग को देने के लिए एक ई - बुक जी.एस.टी. पर जारी कर रहे है इसे आप पढ़कर समझने की कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार से जी.एस.टी. कानून का पालन करना है और किस तरह यह आपके उद्योग एवं व्यापार को प्रभावित करेगा. यह हमारा इस पुस्तक का चौथा संस्करण है .

जी.एस.टी. के दौरान आपको प्रारम्भिक रूप से यह देखना है कि अब आपको एक ही बिक्री/सप्लाई पर दो करों को एकत्र करना है और इस कानून का पालन यह माल एवं सेवाओं को मिलाते हुए करना है . ये दो कर निम्न प्रकार होंगे :-

(1).राज्य का जी.एस.टी.

(2) केंद्र का जी.एस.टी.

इन्हें इस कानून के तहत एवं इस पुस्तक में भी आगे एस.जी.एस.टी. राज्य का जी.एस.टी.) और सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में जाना जाएगा.

जी.एस.टी. से पहले जो दो मुख्य अप्रत्यक्ष कर भारत में लगे थे उनमे से एक सेंट्रल एक्साइज था जो कि निर्माण की अवस्था तक लगता था और राज्यों का जो वेट था वह बिक्री की अवस्था तक लगाया

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 10

जाता था लेकिन अब जी.एस.टी. ने निर्माण और बिक्री की जगह अब “सप्लाई” पर कर लगेगा और यह कर माल एवं वस्तु दोनों पर होगा . जी.एस.टी. के दौरान कर बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा और इससे क्या फर्क पड़ेगा इसे हम आगे के भागों में समझेंगे.

अभी आप जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरूप समझने का प्रयास करें . जी.एस.टी. के दौरान मुख्य रूप से 2 तरह की सप्लाई होगी जिसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं :-

### 1. राज्य के भीतर वितरण - Intra-State Supply

जिस समय माल या सेवा को सप्लाई करने वाला एवं इस सप्लाई को प्राप्त करने वाला स्थान एक ही राज्य में हो या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हो तो यह राज्य के भीतर बिक्री कहलाएगी .जैसे विक्रेता राजस्थान के जयपुर में हो और क्रेता भी राजस्थान के एक अन्य शहर अजमेर में हो.

### 2. राज्यों के बीच वितरण - Inter-State Supply

जिस समय माल या सेवा को सप्लाई करने वाला एक राज्य में हो और इस सप्लाई को प्राप्त करने वाला किसी अन्य राज्य में हो तो यह राज्य अन्त्राजीय बिक्री कहलाएगी .जैसे विक्रेता राजस्थान के जयपुर में हो और क्रेता भी गुजरात के एक शहर राजकोट में हो.

## राज्य के भीतर बिक्री

आइये इसे एक उदाहरण के जरिये समझने की कोशिश करें

जयपुर (राजस्थान ) का एक व्यापारी “अ” जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी “ब” को कोई माल 10 लाख रुपये में बेचता है और मान लीजिये कि राज्यों के जी.एस.टी. की दर 9 प्रतिशत है एवं केंद्र के जी.एस.टी. की दर भी इसी तरह 9 प्रतिशत रहती है इस प्रकार जी.एस.टी. की कुल दर 18 प्रतिशत हुई इस वस्तु पर .

तो “अ” इस व्यवहार में 90000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. (राज्य का जी.एस.टी.) एवं 90000.00 लाख रुपये सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में अपने खरीददार “ब” से वसूल करेगा.

### आइये इस सौदे का दूसरा भाग देखें

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाएँ और देखें कि इसी माल को जयपुर का “ब” नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर जोधपुर के किसी अन्य व्यापारी “स” को 10.50 लाख रुपये में बेचता है तो वह 94500.00 रुपये एस.जी.एस.टी. एवं 94500.00 रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में वसूल करेगा .

### राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में क्या मिलेगा

यहाँ ध्यान रखे कि “ब” पहले से ही एस.जी.एस.टी. के रूप में अपना माल खरीदते हुए 90000.00 रुपये का भुगतान कर चुका है एवं सी.जी.एस.टी. के रूप में भी 90000.00 लाख रुपये का भुगतान इसी प्रकार कर चुका है एवं इस प्रकार “ब” की इनपुट क्रेडिट एस.जी.एस.टी. के रूप में 90000.00 रुपये है एवं सी.जी.एस.टी. के

रूप में इनपुट क्रेडिट 90000.00 रुपये है जिसे वह अपने द्वारा “स” से वसूल किये गए कर में घटा कर जमा करा देगा.

इस प्रकार “ब” एस.जी.एस.टी. के रूप में (रुपये 94500.00 - रुपये 90000.00 ) 4500.00 रुपये का भुगतान राज्य के खजाने में जमा कराएगा एवं इसी प्रकार से सी.जी.एस.टी. (94500.00रुपये लाख - रुपये 90000.00) 4500.00 रुपये केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा.

इस पूरे व्यवहार को देखे तो इससे केंद्र सरकार को 94500.00 लाख रुपये का कर मिलेगा और और राज्य सरकार को 94500.00 रुपया कर को मिलेगा.

**क्या राज्य के भीतर ही बिक्री होने पर भी राज्य और केंद्र दोनों का कर देना होगा**

यहाँ यह ध्यान रखें कि राज्य के भीतर माल का वितरण या बिक्री करने पर भी केंद्र और राज्य दोनों को कर देना होगा और अब से सभी डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर ) एक ही बिल में “दो कर” जैसा कि ऊपर बताया गया है एक ही बिल में लगाएगा और यह तथ्य कि एक ही बिल में अब डीलर्स को दो टैक्स लगाने होंगे जो की फिलहाल आपके लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला तथ्य हो सकता है . लेकिन आप अब समझ ही लें कि यही जी.एस.टी. है .

जी.एस.टी. जैसा कि ऊपर बताया गया है उसी तरह से लगेगा और इसके साथ ही राज्यों में लगने वाला वेट और केंद्र में लगने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात सेंट्रल एक्साइज भी समाप्त हो

जाएगा. इसके अतिरिक्त भी राज्यों एवं केंद्र के लगने वाले कुछ अन्य कर भी समाप्त हो जायेंगे जिनमें केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स इत्यादि भी शामिल है .

यह जी.एस.टी. का प्रारम्भिक स्वरूप है और चूँकि आप इसका पहला भाग पढ़ रहे हैं इसलिए यह आपको थोड़ा समझने में तकलीफ दे सकता है लेकिन आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और समझें क्यों कि एक जुलाई 2017 से यह कानून भारत में लागू हो चुका है तो अब आपको इसका पालन करना ही है .

इसे पढ़ने और समझने इसका पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो आइये अब इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि भारत में 1 जुलाई से लग चुके “वस्तु एवं सेवा कर” के विभिन्न प्रावधानों का जो सीधे-सीधे आपको और आपके व्यापार एवं व्यवसाय को प्रभावित करते हैं .

\*

## अध्याय -2

## जी.एस.टी. और दो राज्यों के बीच का व्यापार अंतरप्रांतीय बिक्री IGST

### IGST- इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स

आई.जी.एस.टी.- “इंटीग्रेटेड गुड्स एवं सर्विस टैक्स” के जरिये किस तरह नियंत्रित किया जाएगा :-

दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर निगरानी रखने या जी.एस.टी. के इस प्रकार की बिक्री के लिए एक आई.जी.एस.टी. मॉडल भी तैयार कर किया गया है जिसकी चर्चा हम इस अध्याय में कर रहे हैं .

लेकिन यह ध्यान रखे कि यह केन्द्रीय बिक्री कर के स्थान पर लगने वाला कोई नया कर (एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. के अतिरिक्त तीसरा कर) नहीं है बल्कि एक ऐसा तंत्र है जिसके जरिये दो राज्यों के बीच हुए व्यापार पर नजर रखी जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि कर का एक हिस्सा उस राज्य को मिले जहाँ अंतिम उपभोक्ता निवास करता है और दूसरा हिस्सा केंद्र सरकार को .

जी.एस.टी. के तहत सूचना तकनीकी की सहायता से एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे दो राज्यों के मध्य माल एवं सेवा के अंतरप्रांतीय व्यापार पर निगरानी भी रखी जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि “कर” का एक भाग को कि राज्यों को जाना है वह अंतिम उपभोक्ता के राज्य को ही मिले .

यहाँ ऊपर पहले ही यह बताया जा चुका है कि यह केन्द्रीय बिक्री कर की जगह लगने वाला कोई नया कर नहीं है लेकिन यह “आई.जी.एस.टी.” भी उद्योग एवं व्यापार के लिए प्रक्रियात्मक उलझाने तो बढ़ाने वाला ही है .

आइये देखे कि यह आई.जी.एस.टी. मॉडल किस तरह से काम करेगा

:-

(i). अंतरप्रांतीय व्यापार के दौरान बिक्री करने वाला डीलर अपने खरीददार से आई.जी.एस.टी. के रूप में एक कर एकत्र कर केन्द्रीय सरकार के खजाने में जमा कराएगा.

इस कर की दर एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की दर को मिलाकर बनेगी. उदाहरण के लिए मान लीजिये कि एस.जी.एस.टी. की दर 9 प्रतिशत है एवं सी.जी.एस.टी. की दर भी 9 प्रतिशत है तो आई.जी.एस.टी. के रूप में जमा कराया जाने वाला कर 18 प्रतिशत की दर से केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराया जाएगा.

(ii). अपना आई.जी.एस.टी. जमा कराते समय विक्रेता अपने द्वारा इस माल ,को जो कि उसने अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान बेचा है, की खरीद पर चुकाए गये एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेगा.

(iii) . विक्रेता का राज्य इस बिक्री किये गए माल के सम्बन्ध में विक्रेता ने जो विक्रेता राज्य में भुगतान किये गए एस.जी.एस.टी.की क्रेडिट ली है उतनी राशि केंद्र सरकार के खजाने में हस्तांतरित कर देगा.

(iv). अंतरप्रांतीय बिक्री के दौरान खरीद करने वाला क्रेता, जब भी यह माल बेचेगा तो अपनी आई.जी.एस.टी की इनपुट क्रेडिट क्रमशः आई .जी.एस.टी. , सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी.(इसी क्रम में ) के

भुगतान की जिम्मेदारी में से लेने का हक होगा .

(v). जितनी राशि की इनपुट क्रेडिट अपनी एस.जी.एस.टी. चुकाते समय उपभोक्ता राज्य का व्यापारी आई.जी.एस.टी. में से लेगा उतनी रकम केंद्र उपभोक्ता राज्य के खाते में हस्तांतरित कर देगा इस तरह आई.जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट क्रेता आई.जी.एस.टी. की भुगतान की जिम्मेदारी में से ले सकता है और ऐसी कोई जिम्मेदारी खरीददार की नहीं है तो इसका इनपुट सी.जी.एस.टी. की जिम्मेदारी में से लेगा और उसके बाद भी आई.जी.एस.टी. की क्रेडिट बच जाती है तो उसे एस.जी.एस.टी. के तहत भी लिया जा सकता है .

इस प्रकार एस.जी.एस.टी. के रूप में मिलने वाला पूरा राजस्व अंतरप्रांतीय व्यापार के दौरान भी उपभोक्ता राज्य को ही मिल जाएगा.

यही जी.एस.टी. का सिद्धांत भी है जिसके अनुसार जी.एस.टी. के कुल कर का एक हिस्सा केंद्र सरकार को जाएगा एवं दूसरा कर उस राज्य को जाएगा जिस राज्य में वस्तु या सेवा का उपभोग होता है .

**आई. जी.एस.टी. किस तरह कार्य करेगा - एक सरल उदाहरण**

आई.जी.एस.टी. बिक्री के लिए ट्रांजेक्शन  
प्रथम विक्रेता x मुंबई - 10 लाख रुपये मुंबई के ही y को .

द्वितीय विक्रेता - Y मुंबई 10.50 लाख रुपये राजस्थान के Z को .  
तृतीय विक्रेता - Z राजस्थान 11 लाख रुपये राजस्थान में ही  
उपभोक्ता को.

1. पहला ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .
2. दूसरा ट्रांजेक्शन अन्तर प्रान्तीय है (IGST)
3. तीसरा ट्रांजेक्शन राज्य के भीतर है .

कल्पना कीजिये जी.एस.टी. की दर 18 % है जिसमे से 9% प्रतिशत  
सी.जी.एस.टी. है और 9% एस.जी.एस.टी. है.

इस तरह से आई.जी.एस.टी. की दर 18% होगी जो कि  
एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. को जोड कर होती है .

जी.एस.टी. के दौरान सी.एस.टी. अर्थात केन्द्रीय बिक्री कर का  
कोई अस्तित्व नहीं है और इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी .

आइये अब हम समझाने की कोशिश करें कि केन्द्रीय बिक्री कर  
क्या है और यह वेट एवं इसके बाद जी.एस.टी.की राह में क्यों एक  
बाधा माना जाता रहा है . जी.एस.टी. से पहले केन्द्रीय बिक्री कर  
निर्माता राज्यों के राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा है .

जब वर्ष 2006 में राज्यों में वेट लागू किया गया था तब  
केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात सी.एस.टी. को सबसे बड़ी बाधा माना गया  
था और यह वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत से इस  
दर को गिराकर अंत में इस कर को समाप्त कर दिया जाएगा लेकिन  
यह वादा पूरा नहीं किया गया और जी.एस.टी. लागू होने के ठीक  
पहले तक अर्थात 30 जून 2017 भी यह दर दो प्रतिशत पर कायम  
था और इसके साथ ही केन्द्रीय बिक्री कर पर एकत्र किये जाने वाले

सी- फॉर्म की समस्या से पूरा ही व्यापार एवं उद्योग जगत परेशान था.

आइये पहले समझ ले कि केन्द्रीय बिक्री कर क्या है क्यों कि आम तौर पर इसका नाम यह संकेत देता है कि यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया एक कर है जब कि सच्चाई यह है कि यह बिक्री करने वाले राज्य द्वारा दो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर वसूल किया जाने वाला कर था और देश के विकसित राज्य जिन्हें हम निर्माता राज्य भी कह सकते हैं इस कर से काफी राजस्व एकत्र करते थे .

जी.एस.टी. एक अंतिम बिंदु पर अंतिम उपभोक्ता पर लगने वाला कर है अतः; केन्द्रीय बिक्री कर का इसमें कोई स्थान नहीं है और इससे विकसित राज्यों अर्थात् बिक्री करने वाले राज्यों के राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिसके बारे में भी केंद्र को इन राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई करनी पड़ेगी.

जी.एस.टी. के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर अर्थात् सी.एस.टी. की समाप्ती सारे देश के डीलर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है लेकिन इसी प्रकार की बिक्री पर आगे एक और कर प्रणाली के तहत कर लगने वाला है जो कि आई.जी.एस.टी.- integrated Goods and Service Tax के नाम से लग रहा है और अब अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री /सप्लाइ डीलर्स को IGST कर प्रणाली का पालन करना होगा .

अंतर्राज्यीय बिक्री के दौरान C-forms की जरूरत तो समाप्त हो गई है लेकिन ऐसा कोई आश्वासन हमारे कानून निर्माता रोड परमिट के बारे में नहीं दे सके हैं और अब रोड परमिट की जगह ई-वे बिल

Electronic Way bill जारी करने होंगे जिसका अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे.

इसके अतिरिक्त जी.एस.टी.बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाइ पर लगेगा इस प्रकार ब्रांच और डिपो ट्रान्सफर भी कर के दायरे में आ जायेंगे और माल बेचने और बिक्री के लिए भेजने के बीच का अंतर समाप्त हो गया है . इस प्रकार सी- फॉर्म (C-form) की तरह ही एफ-फॉर्म (F-form) भी समाप्त हो गए हैं .

आई.जी.एस.टी. किस तरह से कार्य  
करेगा  
कर की दरें उदहारण के लिए

| S.NO. | DESCRITOPN              | RATE OF TAX |
|-------|-------------------------|-------------|
| 1.    | एस.जी.एस.टी.            | 9%          |
| 2.    | सी.जी.एस.टी.            | 9%          |
| 3.    | आई .जी.एस.टी.<br>(1+2)= | 18%         |

**विभिन्न डीलर्स का कर दायित्व**

| क्र.स. | विवरण   | S.G.S.T.<br>(9%) | CGST<br>(9%) | IGST<br>(18%)      | रिमार्क   |
|--------|---|------------------|--------------|--------------------|---|
| 1.     | प्रथम<br>विक्रेता X<br>मुंबई -<br>10 लाख<br>रूपये<br>मुंबई Y                          | 90000.00         | 90000.00     | NA                 | पहला<br>ट्रांजेक्शन<br>राज्य के<br>भीतर है .            |
|        | Less:-<br>इनपुट   | NIL              | NIL          | NA                 |   |
|        | X का<br>कर जमा  | 90000.00         | 90000.00     | NA                 |   |
| 2.     | द्वितीय<br>विक्रेता -<br>Y मुंबई<br>10.50<br>लाख<br>रूपये<br>राजस्थान<br>के Z को<br>. | NA               | NA           | 189000.00          | दूसरा<br>ट्रांजेक्शन<br>अन्तर<br>प्रान्तीय है<br>(IGST) |
|        | Less:-<br>इनपुट   | NA               | NA           | 180000.00<br>(SGST | IGST मे<br>अपने खरीदे                                   |

|    |  |          |           |                                 |  |
|----|--|----------|-----------|---------------------------------|--|
|    |  |          |           | 90000.00<br>+ CGST<br>90000.00) | गये माल पर<br>चुकाये हुये<br>SGST एवम<br>CGST का<br>इनपुट मिल<br>जाता है.                                |
|    | Y का<br>कर जमा   | NA       | NA        | 9000.00                         |  |
| 3. | Z<br>राजस्थान<br>11 लाख<br>रूपये<br>राजस्थान<br>में ही<br>उपभोक्ता<br>को | 99000.00 | 99000.000 | NA                              | तीसरा<br>ट्रांजेक्शन<br>राज्य के<br>भीतर है .  |
|    | Less:-<br>इनपुट  | 90000.00 | 99000.00  | NA                              | Z की IGST<br>इनपुट 1.89<br>लाख है उसे<br>IGST,CGST<br>और इसके<br>बाद बची<br>रकम को<br>SGST के<br>साथ इसी |

|  |                |         |     |    |                                |
|--|----------------|---------|-----|----|--------------------------------|
|  |                |         |     |    | क्रम में<br>इनपुट लेना<br>है . |
|  | Z का<br>जमा कर | 9000.00 | NIL | NA |                                |

ये तो एक उदहारण हुआ कि किस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य को होने वाले व्यवहार पर आई.जी.एस.टी. डीलर्स पर किस तरह से लगेगा .

आइये जब हम इसका अध्ययन कर ही रहें है तो यह भी देख ले कि यह कर प्रणाली अर्थात आई.जी.एस.टी. किस तरह राज्यों के और केंद्र के राजस्व को प्रभावित करेगी :-

### राज्य और केन्द्र के मध्य रकम का ट्रान्सफर

| क्र.स. | विवरण  | रकम      |
|--------|--|----------|
| 1.     | विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो की उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ Y ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 90000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला | 90000.00 |

|    |   |          |
|----|---|----------|
|    | गया है जो कि जी.एस.टी.कानून के तहत उसका राजस्व नहीं है .  |          |
| 2. | केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था लेकिन यह रकम क्रेता राज्य का राजस्व का हिस्सा है . | 90000.00 |

### IGST का केंद्र , विक्रेता राज्य और क्रेता राज्य के राजस्व पर प्रभाव

| क्र.स. | IGST के प्रभावी पक्ष |
|--------|----------------------|
| 1.     | विक्रेता राज्य       |
| 2.     | क्रेता राज्य         |
| 3.     | केन्द्र सरकार        |

### विक्रेता राज्य

| क्र.स. | विवरण | कर -SGST | रिमार्क |
|--------|-------|----------|---------|
|--------|-------|----------|---------|

|    |   |          |   |
|----|---|----------|---|
| 1. | कर की रकम जो कि प्रथम विकर्ता X ने जमा कराई .   | 90000.00 | CGST एवं IGST राज्यों का विषय नहीं है अतः यहाँ नहीं लिया गया है . |
| 2. | Less: - विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो कि उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ Y ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 90000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है . | 90000.00 | NA  |
| 3. | विक्रेता राज्य का राजस्व  | NIL      | NA  |

Note- जी.एस.टी. एक उपभोक्ता राज्य को मिलने वाला कर है अतः; यदि जिस राज्य में माल बिका है उस राज्य में इसका उपभोग नहीं होता है तो विक्रेता राज्य को कोई कर नहीं मिलेगा.

### क्रेता राज्य - उपभोक्ता राज्य

| क्र.स. | विवरण  | SGST     | रिमार्क  |
|--------|--|----------|--|
| 1.     | क्रेता राज्य के डीलर द्वारा जमा कराया गया SGST .   | 9000.00  | CGST और IGST राज्यों का विषय नहीं है अतः यहाँ शामिल नहीं है. |
|        | Add- केंद्र क्रेता राज्य को उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के | 90000.00 | NA   |

|  |                        |          |    |
|--|------------------------|----------|----|
|  | खजाने में चला गया था . |          |    |
|  | क्रेता राज्य का राजस्व | 99000.00 | NA |

Note: - क्रेता राज्य के उपभोक्ता की खरीद की कीमत 11.00 Lakhs @ 9% है इस तरह से इस राज्य का राजस्व Rs.99000.00 हुआ जो कि ऊपर लिखी गणना के अनुसार भी आ रहा है.

### केंद्र सरकार

| क्र.स. | विवरण  | CGST     | IGST    | कुल रकम  |
|--------|--|----------|---------|----------|
| 1.     | CGST की रकम जो कि विक्रेता राज्य के उस डीलर ने जमा कराई जिसने इस उदहारण के प्रथम डीलर को माल बेचा था . | 90000.00 | NIL     | 90000.00 |
| 2.     | IGST जो की इस उदहारण के विक्रेता राज्य के डीलर Y ने जमा कराया था .                                     | NIL      | 9000.00 | 9000.00  |

|    | कुल रकम  | 90000.00  | 9000.00   | 99000.00         |
|----|--|-----------|-----------|------------------|
| 3. | <p>Add:- विक्रेता राज्य उस रकम को केंद्र को ट्रान्सफर करेगा जो कि उसके डीलर ने आई.जी.एस.टी. का भुगतान करते समय एस.जी.एस.टी. की क्रेडिट ली है . यहाँ Y ने अपना आई.जी.एस.टी. चुकाते समय 90000.00 का एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है जो की विक्रेता राज्य के खजाने में चला गया है .</p> | NA        | NA        | 90000.00         |
|    | <b>Total</b>   | <b>NA</b> | <b>NA</b> | <b>189000.00</b> |
|    | Less - केंद्र क्रेता राज्य को  | NA        | NA        | 90000.00         |

|  |           |           |                 |
|--|-----------|-----------|-----------------|
| <p>उस रकम का ट्रान्सफर देगा जो कि क्रेता राज्य के डीलर ने अपना एस.जी.एस.टी. चुकाते समय अपने द्वारा भुगतान किये गए आई.जी.एस.टी. का क्रेडिट लिया है और इस तरह से क्रेता राज्य का राजस्व केंद्र के खजाने में चला गया था .</p> |           |           |                 |
| <p>Result-केंद्र सरकार का राजस्व</p>   | <p>NA</p> | <p>NA</p> | <p>99000.00</p> |

Note: - क्रेता राज्य के उपभोक्ता की खरीद की कीमत 11.00 Lakhs @9% है इस तरह से इस तरह से केंद्र का राजस्व Rs.99000.00 हुआ जो कि ऊपर लिखी गणना के अनुसार भी आ रहा है .

इस तरह से आई.जी.एस.टी. का यह चक्र पूरा होता है .

\*

## अध्याय -3

### जी.एस.टी. रिटर्नस GST - RETURNS

जी.एस.टी. को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जो आपको पालन करना होगा वह है जी.एस.टी. के रिटर्न भरना .

#### प्रक्रिया सम्बन्धी राहत

जी.एस.टी. काँसिल की 18 जून 2017 तारीख की मीटिंग में यह तय किया गया है कि प्रारम्भ के दो माह में रिटर्न भरने की प्रक्रिया में थोड़ी ढील दी जाए और पहले दो माह में मसिक रिटर्न में केवल आउटपुट और इनपुट की समरी एक नए रिटर्न GSTR- 3B में देकर एवं टैक्स जमा कर कर ही रिटर्न भरना होगा और खरीद और बिक्री के विस्तृत रिटर्न बाद में भरे जायंगे . इसके लिए भारत सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है . यह दो माह की स्कीम निम्न प्रकार से भरे जायंगे :-

| महीना      | जी.एस.टी.आर.-<br>3 बी | जी.एस.टी.आर.-<br>1  | जी.एस.टी.आर<br>-2   |
|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| जुलाई 2017 | 20 अगस्त              | 1 से 5<br>सितम्बर   | 6 से दस<br>सितम्बर  |
| अगस्त 2017 | 20 सितम्बर            | 16 से 20<br>सितम्बर | 21 से 25<br>सितम्बर |

अभी प्रारम्भिक दो माह के लिए यह छुट दी गई है .

आइये आज इस अध्याय में जी.एस.टी. के रिटर्न भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं और इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे उन करदाता की जो कि सामान्य करदाता है अर्थात वे करदाता जो सामान्य रूप से जी.एस.टी. का कर भुगतान करेंगे और जिन्होंने कम्पोजीशन कर भुगतान का विकल्प नहीं लिया है. अधिकाँश डीलर्स जी.एस.टी. के तहत इसी श्रेणी में आयेंगे अतः सबसे पहले इसी श्रेणी के लिए रिटर्न की चर्चा करते हैं :-

### कुल कितने रिटर्न होंगे

आपको प्रत्येक माह तीन रिटर्न भरने होंगे जो पूरी तरह से एक दुसरे से अलग होंगे लेकिन इनमें से पहले रिटर्न से दूसरा रिटर्न अपने आप बनेगा और तीसरा एवं मासिक रिटर्न पहले और दूसरे रिटर्न से अपने आप बनेगा.

सरकार के द्वारा यह रिटर्न जो माह समाप्त होने की 10 तारीख , 15 तारीख और 20 तारीख को मासिक आधार पर भरने है को केवल एक ही रिटर्न बताया जा रहा है जो तकनीकी आधार पर तो बिलकुल सही है क्यों कि बिक्री या सप्लाई के रिटर्न जो कि 10 तारीख तक भरना है से उनके खरीददारों के रिटर्न के रिटर्न में उनकी खरीद अपने-आप चली जायेगी. लेकिन यह एक आदर्श स्थिति है जिसमें सभी विक्रेता प्रथम 10 दिन में अपने रिटर्न भर देंगे और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर खरीददार को अपना खरीद का रिटर्न स्वयं बनाना होगा और यदि विक्रेता ने अपना रिटर्न सही नहीं भरा है तो भी खरीददार को अपना रिटर्न स्वयं ही अपने रिकॉर्ड के अनुसार भरना होगा इसके अतिरिक्त उन्हें अपने सभी विक्रेताओं के द्वारा भरे जाने वाले रिटर्न्स से अपने रिटर्न में आयी या नहीं आयी खरीद को चेक

कर सही करना होगा एवं जो एंट्रीज़ छूट गई है उन्हें भी दर्ज करना होगा.

तो आइये पहले हम यह देखें कि ये तीन रिटर्न कौनसे होंगे एवं कि अवधि में पेश करने होंगे :-

| रिटर्न का नाम | विवरण                                | कब तक पेश करना है  |
|---------------|--------------------------------------|--|
| GSTR-1        | मासिक बिक्री का विवरण                | अगले माह की 10 तारीख तक -मासिक   |
| GSTR-2        | मासिक खरीद का विवरण                  | अगले माह की 15 तारीख तक (10 तारीख के पूर्व यह रिटर्न नहीं भरा जा सकता है अर्थात इसे आपको 10 से 15 तारीख के बीच भरना है)- मासिक |
| GSTR-3        | मासिक कर का रिटर्न                   | अगले माह की 20 तारीख तक- मासिक   |
| GSTR-9        | वार्षिक रिटर्न                       | वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद 31 दिसम्बर तक- वार्षिक  |
| GSTR-4        | कम्पोजीशन डीलर्स का त्रैमासिक रिटर्न | त्रैमास समाप्त होने के बाद वाले माह की 18 तारीख तक -   |

|         |                                  |   |
|---------|----------------------------------|---|
|         |                                  | त्रैआसिक  |
| GSTR-9A | कम्पोजीशन डीलर का वार्षिक रिटर्न | वित्तीय वर्ष की समाप्ती के बाद 31 दिसम्बर तक- वार्षिक |

इस प्रकार आप देखेंगे कि कुल पूरे वर्ष में आपको एक वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए कुल 37 रिटर्न भरने होंगे . इसके आपको हर माह के बाद 10 दिन ,15 दिन एवं 20 दिन मिलेंगे और इस प्रक्रिया का पालन आपको हर माह करना होगा. एक माह में जो तीन रिटर्न भरने हैं उन्हें भरने की तारीखें भी अलग -अलग है और किस तरह से इन्हें भरना है यह भी हम आगे बता रहें है .

अब आगे हम देखेंगे कि ये तीनों मासिक रिटर्न किस तरह भरे जाएंगे और यह रिटर्न सरकार द्वारा विकसित जी.एस.टी.एन. नामक नेटवर्क पर भरना पड़ेगा और सभी कुछ सूचना तकनीक पर आधारित होगा और जी.एस.टी. पूरा का पूरा सुचना तकनीक पर आधारित होगा इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है क्यों कि इस समय सेंट्रल एक्साइज , सर्विस टैक्स और अधिकाँश राज्यों में वेट भी इसी तकनीक पर अर्थात ऑनलाइन ही भरे जा रहे है .

जी.एस.टी. पूरी तरह से सूचना तकनीक पर आधारित होगा लेकिन फिर भी आपको इससे जुड़े प्रावधानों के पालन के लिए ना सिर्फ काफी मेहनत करनी होगी बल्कि समय की मुश्किल सीमा का भी पालन करना होगा क्यों कि आपके रिटर्न पर ही आपके खरीददारों के रिटर्न भी निर्भर है और आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न

निर्भर होगा. यदि आप अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते हैं तो आपके खरीददारों के लिए “मिसमैच” की समस्या पैदा होगी और यदि आपके विक्रेता अपना रिटर्न सही एवं समय पर नहीं भरते हैं तो आपके लिए मिसमैच की समस्या खड़ी हो जायेगी और जी.एस.टी. के दौरान आपको मिसमैच की समस्या को हल करने के लिए सिर्फ दो माह का समय ही मिलेगा आर यदि इस अवधि में मिसमैच की समस्या हल नहीं हुई तो आपको यह कर जमा कराना होगा और इसकी पुनः क्रेडिट आपको तभी मिलेगी जब आपका विक्रेता या सेवा प्रदाता इस समस्या को हल कर आपको की गई सप्लाई को अपने रिटर्न में दिखा दे.

### जी.एस.टी.एन आपकी रेटिंग तय करेगा

आपके सही समय पर रिटर्न भरने , कर जमा कराने के आधार पर आपकी रेटिंग भी तय की जायेगी जिसे समय - समय पर अपडेट भी किया जाएगा और यह रेटिंग (धारा 149 ) अन्य डीलर्स के देखे जाने के लिए भी उपलब्ध रहेगी अतः आपके लिए यह ही उचित होगा कि इन नियमों का उचित पालन करे ताकि आपके साथ व्यापार करने वाले वर्तमान एवं भावी डीलर्स पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े.

### आइये अब तीन मुख्य रिटर्न्स का अध्ययन करें

#### जी.एस.टी.आर.-1 आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न (धारा 37)

यह आपकी मासिक सप्लाई का रिटर्न होगा और इसमें आप द्वारा सप्लाई की गई माल एवं सेवाओं का जिक्र होगा.

यहाँ ध्यान रखे कि आप द्वारा जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को सम्मिलित करते हुए) को की गई सप्लाई चाहे वह राज्य के भीतर हो या दूसरे राज्य के डीलर को है , का विवरण प्रत्येक बिल का अलग -अलग देना होगा इस विवरण में खरीददार का जी.एस.टी.एन नंबर भी देना होगा.

इसके अतिरिक्त जो सप्लाई उपभोक्ता या अन-रजिस्टर्ड डीलर्स को है उसका विवरण एक साथ देना होगा और इसकी विभाजन आपको कर की दर के हिसाब से करना होगा.

लेकिन यदि अन-रजिस्टर्ड को की गई किसी एक बिल से अन्तरप्रान्तीय (एक राज्य से दूसरे राज्य को ) सप्लाई 2.50 लाख रुपये से अधिक है तो उसकी विगत (विवरण) भी आपको बिल सहित देनी होगी.

इसके अतिरिक्त यदि आप राज्य के बाहर बिक्री करते हैं और इस बिक्री में से 2.50 लाख रुपये से अधिक के बिल की छोड़ते हुए (जिसकी बिल सहित विगत आप ऊपर लिखे अनुसार दे रहें हैं ) बिक्री की सामूहिक विगत आपको “राज्य वार” देनी है अर्थात किस राज्य के डीलर को आपने कितनी बिक्री की है और इसका कर कितना बना है इसकी राज्यवार विगत देनी होगी .

आप जो सप्लाई इस रिटर्न में जी.एस.टी.में रजिस्टर्ड डीलर्स को लेकर भरेंगे वो स्वतः ही जी.एस.टी.एन. नेटवर्क के जरिये आपके खरीददार डीलर के जी.एस.टी.आर -2 रिटर्न के एक भाग में आ जायेगी .

इस रिटर्न को भरते समय आपको HSN Code भी भरना होगा लेकिन यह किन डीलर्स को भरना होगा इसका अध्ययन हम आगे करेंगे.

यह रिटर्न आपको महीना समाप्त होने के 10दिन के भीतर भरना होगा.यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आप 10 तारीख तक यह रिटर्न नहीं भरते हैं तो फिर आप यह रिटर्न अब आप 16 तारीख को या उसके बाद ही भर पायेंगे क्यों कि 11 तारीख से 15 तारीख तक आपके खरीददार आपके द्वारा भरी गई बिक्री/सप्लाई की अपने रिकॉर्ड से जांच कर उसे स्वीकार /अस्वीकार/ संशोधित करेंगे और इसी कारण से उन 5 दिनों के लिए जी.एस.टी.आर.-1 भरने की सुविधा बंद कर दी जायेगी.

जी.एस.टी.आर.-2  
इनवर्ड सप्लाई का रिटर्न  
धारा 38

जो सप्लाई की विगत जी.एस.टी.आर.-1 में आप द्वारा भरी गई है वह आपके खरीददार के खरीद के विवरण जी.एस.टी.आर -2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने -आप ही आ जायेगी .इसी तरह मान लीजिये कि आपके विक्रेताओं ने जो आपको की बिक्री की विगत अपने जी.एस.टी.आर.-1 में भरी है वो आपकी खरीद के जी.एस.टी.आर -2 नामक रिटर्न के एक भाग में अपने-आप आ जाएगी .

अब क्रेता अपने रिटर्न में अपने आप आई हुई खरीद की विगत की जांच अपने रिकॉर्ड से करेगा और यदि सही होगी तो इसे अनुमोदित

अर्थात मंजूर कर देगा और यदि क्रेता के हिसाब से यह गलत/फर्क होगा तो वह इसमें आपने रिकॉर्ड के अनुसार परिवर्तन कर देगा या और भी बिक्री जो विक्रेता ने नहीं दिखाई है या अभी तक विक्रेता ने रिटर्न ही नहीं भरा है तो क्रेता यह खरीद भी अपने रिटर्न में जोड़ सकता.

यह कार्य क्रेता को माह समाप्त होने के बाद अगले माह की 11 तारीख से प्रारम्भ कर 15 तारीख तक करना होगा.

क्रेता जो परिवर्तन विक्रेता के द्वारा भरे गए जी.एस.टी.आर.-1 से प्राप्त सूचना में परिवर्तन करेगा उसकी सूचना विक्रेता के पास इसी पोर्टल पर उसके जी.एस.टी.आर -1A के जरिये पहुंचेंगी और यदि विक्रेता भी इसे मान लेता है तो इससे उसका जी.एस.टी.आर -1 इस परिवर्तन तक संशोधित हो जाएगा.

विक्रेता उसी माह की, जिसमें रिटर्न भरना ऊपर बताया गया है, कि 17 तारीख तक क्रेता द्वारा किये गए परिवर्तन को अप्रूव करे सकेगा और वह ऐसा नहीं करता है तो एक मिसमैच रिपोर्ट जारी हो जायेगी और आपके क्रेता को परेशानी होगी .

**जी.एस.टी.आर.-3  
मासिक रिटर्न  
धारा 39**

जी.एस.टी.आर.-1 एवं जी.एस.टी.आर.-2 भरने के बाद 20 तारीख तक जी.एस.टी.आर.-3 के रूप में एक मासिक रिटर्न भरना होगा जिसमें करदाता उसके आउटपुट में से इनपुट घटाने के बाद मासिक कर का निर्धारण करने के बाद उसे जमा करते हुए विवरण देगा.

आइये देखें की इस रिटर्न जी.एस.टी.आर.-3 में दिए गए आंकड़े किस तरह से भरे जायेंगे :-

पार्ट -A :- इस रिटर्न का पार्ट -A जी.एस.टी.आर. 1 एवं जी.एस.टी.आर-2 के आधार पर स्वतः ही भरा हुआ होगा. जिसमें आपकी इनपुट और आउटपुट क्रेडिट होगी .

पार्ट -B :- इसमें टैक्स , ब्याज एवं पेनाल्टी की विगत होगी जो कि आपके केश और आई.टी.सी. लेजर से स्वतः ही आ जायेगी . केश और आई.टी.सी. लेजर में डीलर की इनपुट क्रेडिट एवं जमा कराये गए कर का विवरण होगा.

अब आप स्वयं सोच ले कि आपके रिटर्न पर आपके सभी खरीददारों के रिटर्न निर्भर है और उसी तरह से आपके विक्रेताओं के रिटर्न पर आपका रिटर्न निर्भर है

तो अब रिटर्न भरते समय “समय सीमा” का पालन करना अति आवश्यक हो जाएगा .

इस समय वेट के दौरान जो रिटर्न आप भरते है उनमें जिन राज्यों में त्रैमासिक रिटर्न है वहां वार्षिक रिटर्न को मिलाते हुए आप 5 रिटर्न भरते है और जहां मासिक रिटर्न है वहां आप 13 रिटर्न भरते है अब इन रिटर्न की संख्या 37 हो जायेगी .

अभी तक आपको रिटर्न भरने के लिए 30 दिन से 60 दिन का समय दिया जाता है उसे भी घटा कर 10 दिन कर दिया गया है और इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको 20 दिन का समय दिया गया है .

इसलिए आप अभी से जी.एस.टी.की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाँ .

**जी.एस.टी. के दौरान विभिन्न रिटर्न प्रस्तुत करने के फॉर्म एवं उनकी अंतिम तिथी**

| क्र.सं. | फॉर्म का विवरण           | फॉर्म का नाम | अंतिम तिथी*         |
|---------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 1.      | बिक्री /सप्लाई का रिटर्न | GSTR-1       | 10 तारीख - मासिक    |
| 2.      | खरीद /इनपुट का रिटर्न    | GSTR-2       | 15 तारीख- मासिक     |
| 3.      | मासिक कर रिटर्न          | GSTR-3       | 20 तारीख- मासिक     |
| 4.      | कम्पोजीशन का रिटर्न      | GSTR-4       | 18 तारीख- त्रैमासिक |
| 5.      | अनिवासी/ विदेशी डीलर     | GSTR-5       | 20 तारीख- मासिक     |
| 6.      | इनपुट सर्विस वितरक       | GSTR-6       | 13 तारिख- मासिक     |
| 7.      | टी.डी .एस. रिटर्न        | GSTR-7       | 10 तारीख-           |

|     |                                       |          |                            |
|-----|---------------------------------------|----------|----------------------------|
|     |                                       |          | मासिक                      |
| 8.  | ई -कॉमर्स रिटर्न                      | GSTR-8   | 10 तारीख-<br>मासिक         |
| 9.  | वार्षिक रिटर्न                        | GSTR-9   | 31 दिसंबर-<br>वार्षिक      |
| 10. | वार्षिक<br>रिटर्न(कम्पोजीशन<br>डीलर ) | GSTR-9-A | 31 दिसंबर-<br>वार्षिक      |
| 10. | अंतिम रिटर्न *                        | GSTR-10  | 3 माह में<br>*अंतिम रिटर्न |

\* रजिस्ट्रेशन निरस्त होने या इस सम्बन्ध में आदेश होने की तारीख , जो भी पहले हो.

### रिटर्न भरते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें

1.जी.एस.टी. का जो पहला रिटर्न आप भरेंगे उसमें आपको अपने पिछले वित्तीय वर्ष में जो टर्नओवर किया है उसका भी आंकड़ा देना होगा और इसके साथ इस वर्ष के पहले तिमाही के टर्नओवर का आंकड़ा देना होगा. यह विवरण आपको सिर्फ एक ही रिटर्न अर्थात पहले रिटर्न में ही देना होगा .

2.यहाँ ध्यान रखे कि आप द्वारा जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड डीलर्स (कम्पोजीशन डीलर्स को सम्मिलित करते हुए) को की गई सप्लाई चाहे वह राज्य के भीतर हो या दूसरे राज्य के डीलर को है , का विवरण प्रत्येक बिल का अलग -अलग देना होगा इस विवरण में खरीददार का जी.एस.टी.एन नंबर भी देना होगा.

3.इसके अतिरिक्त जो सप्लाई उपभोक्ता या अन-रजिस्टर्ड डीलर्स को है उसका विवरण एक साथ देना होगा और इसकी विभाजन आपको कर की दर के हिसाब से करना होगा.

4.लेकिन यदि अन-रजिस्टर्ड को की गई किसी एक बिल से अन्तरप्रान्तीय (एक राज्य से दूसरे राज्य को ) सप्लाई 2.50 लाख रूपये से अधिक है तो उसकी विगत (विवरण) भी आपको बिल सहित देनी होगी.

5.इसके अतिरिक्त यदि आप राज्य के बाहर बिक्री करते हैं और इस बिक्री में से 2.50 लाख रूपये से अधिक के बिल की छोड़ते हुए (जिसकी बिल सहित विगत आप ऊपर लिखे अनुसार दे रहें हैं ) बिक्री की सामूहिक विगत आपको “राज्य वार” देनी है अर्थात किस राज्य के डीलर को आपने कितनी बिक्री की है और इसका कर कितना बना है इसकी राज्यवार विगत देनी होगी .

6.आप जो सप्लाई इस रिटर्न में जी.एस.टी.में रजिस्टर्ड डीलर्स को लेकर भरेंगे वो स्वतः ही जी.एस.टी.एन. नेटवर्क के जरिये आपके खरीददार डीलर के जी.एस.टी.आर -2 रिटर्न के एक भाग में आ जायेगी .

7.इस रिटर्न को भरते समय आपको HSN Code भी भरना होगा लेकिन यह किन डीलर्स को भरना होगा उसके लिए निम्न प्रावधान किये गयी हैं :-

| टर्नओवर की राशि             | HSN code की आवश्यकता         |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1.50 करोड़ तक               | HSN code की आवश्यकता नहीं है |
| 1.50 करोड़ से 5.00 करोड़ तक | 2 अंको के HSN Code           |
| 5.00 करोड़ से ऊपर           | 4 अंको के HSN Code           |

HSN code के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के टर्नओवर को देखते हुए तय किया जाएगा पिछले HSN code की जरूरत को तय किया जाएगा.

## अध्याय -4

### जी.एस.टी. - कम्पोजीशन स्कीम Composition Scheme

क्या हर लघु उद्योग एवं छोटा व्यापारी कम्पोजीशन का लाभ ले सकता है ?

देखिये कम्पोजीशन स्कीम उन्ही डीलर्स के लिए व्यवहारिक होती है जो कि सीधे ही उपभोक्ताओं को माल बेचते है . जो डीलर्स दूसरे डीलर्स को माल बेचते है उनके लिए कम्पोजीशन स्कीम को कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है क्यों कि कम्पोजीशन डीलर्स द्वारा बेचे गये माल पर “इनपुट क्रेडिट” नहीं मिलती है .

जी.एस.टी. के दौरान भी कम्पोजीशन स्कीम होगी और यह व्यापारी

और निर्माता दोनों के लिए होगी और इसके साथ ही रेस्टोरेंट्स ओनर्स भी इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे.

यहाँ आप ध्यान रखें कि कम्पोजीशन स्कीम से सम्बंधित प्रावधान जी.एस.टी. के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्यों दोनों के ही कानून की धारा 10 में दिए गए हैं और इस सम्बन्ध में कम्पोजीशन रूल्स भी जारी कर नोटिफाई किये जा चुके हैं

आइये अब कम्पोजीशन स्कीम को कुछ प्रश्नों के साथ विस्तार से जानने का प्रयास करें :-

प्रश्न :-

कम्पोजीशन के लिए बिक्री/ टर्नओवर की सीमा क्या होगी ?

जीएस.टी. कम्पोजीशन उन डीलर्स के लिए ही होगा जो ऊपर बताई शर्तों के अनुसार इस स्कीम के तहत आते हैं वे बीते हुए वर्ष (पिछले वर्ष ) में 75 लाख रुपये से कम की बिक्री या टर्नओवर करते हैं . विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये है इन राज्यों की सूची इसी अध्याय में आगे दी है. यदि आपका टर्नओवर बीते वर्ष में 75 लाख रुपये से अधिक है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं .

प्रश्न :-

हमारे राज्य में वेट कम्पोजीशन की सीमा 75 लाख थी और वर्ष जो 31/03/2017 को जो साल समाप्त हुआ है उसमें हमारा टर्नओवर 70 लाख रूपये था और हम कम्पोजीशन का लाभ ले रहे थे. क्या अब भी हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ?

यदि आपके राज्य में वेट कम्पोजीशन स्कीम की आधिकतम सीमा 75 लाख रूपये थी (ऐसा मेरे स्वयं के राज्य राजस्थान में भी था ) और आपका टर्नओवर 31/03/2017 को 70 लाख रूपये है और आपने कम्पोजीशन स्कीम का लाभ लिया है तो अब भी आप जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं .

यदि आप विशिष्ठ श्रेणी के राज्य में है तो जम्मू एवं कश्मीर एवं उत्तराखंड को छोड़कर (इन दो राज्यों ने कम्पोजीशन की सीमा 75 लाख रूपये ही रखी है) यह सीमा 50 लाख रूपये है इसलिए यदि आप इन राज्यों में से किसी एक राज्य में रजिस्टर्ड है तो आप इस सीमा में चूँकि नहीं आते है तो आप कम्पोजीशन का लाभ नहीं ले सकते हैं.

प्रश्न:- हम अभी भी अपने राज्य में कम्पोजीशन स्कीम में है अब क्या हमें जी.एस.टी. के लिए भी कम्पोजीशन का आवेदन करना होगा ?

## कम्पोजीशन के लिए आवेदन

जी.एस.टी. प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप आवेदन कर ही चुके होंगे और अब यदि आप कम्पोजीशन स्कीम के तहत जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जी. एस.टी . कॉमन पोर्टल पर आवेदन करना होगा और यह आवेदन आप जी.एस.टी. कानून लागू होने के तीस दिन के भीतर एक फॉर्म GST CMMP-01 में ऑनलाइन करेंगे और यह आपको 21 जुलाई 2017 तक करना है. इसके लिए “नियत तिथि” (appointed Date) से 30 दिन का समय दिया गया है और चूंकि जी.एस.टी. की धारा 10 (कम्पोजीशन की धारा ) 22 जून 2017 को ही अधिसूचित कर दी गई थी इसलिए इस आवेदन की अंतिम तारीख भी 21 जुलाई 2017 होगी .

जो नये डीलर अपना जी.एस.टी. के दौरान रजिस्ट्रेशन करवा रहें हैं वे रजिस्ट्रेशन के आवेदन में ही कम्पोजीशन का विकल्प ले सकेंगे और इसी मूल आवेदन में ही उन्हें इसके बारे में विकल्प दिया गया है.

प्रश्न :-हम पहले से रजिस्टर्ड हैं क्या कम्पोजीशन स्कीम में जाने पर कोई और भी कोई शर्तें हैं जिनके कारण हम जी.एस.टी. कम्पोजीशन स्कीम में नहीं जा सकते हैं ?

यदि आप जी.एस.टी. लागू होने के पहले से रजिस्टर्ड हैं तो जिस दिन जी.एस.टी. लागू होता है उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक है उस स्टॉक में निम्न प्रकार की खरीद शामिल नहीं होने चाहिए :-

- अंतरप्रांतीय खरीद अर्थात किसी अन्य राज्य से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- भारत के बाहर से खरीद अर्थात किसी अन्य देश से खरीदा हुआ माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- राज्य के बाहर से अपनी ही किसी ब्रांच या एजेंट या प्रिंसिपल से प्राप्त माल जिस दिन जी.एस.टी. लागू हो उस दिन स्टॉक में नहीं होना चाहिए .
- अगर किसी डीलर के पास स्टॉक है वह अन रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा गया है और वह कम्पोजीशन में जाना चाहता है तो उसे धारा 9(4) के तहत रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा .

इसी तरह की कुछ सीमाएं उन डीलर्स पर भी है जो जी.एस.टी. लगने के बाद रजिस्टर्ड होकर कम्पोजीशन में जाना चाहते हैं.

-वह एक केजुअल या नॉन रेजिडेंट डीलर नहीं होना चाहिए .

-वह डीलर यदि कम्पोजीशन के तहत रहना चाहता है तो उसे अपने अन-रजिस्टर्ड डीलर से खरीद पर धारा 9(4) के कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर करना होगा .

(यहाँ यह ध्यान रखे कि यदि कोई डीलर 5000.00 रूपये प्रतिदिन की छुट का लाभ लेते हुए रिवर्स चार्ज का भुगतान नहीं करता है तो लेखक के विचार से उसे अपना कम्पोजीशन का लाभ छोड़ना होगा क्योंकि कम्पोजीशन का अर्थ है एक बार तो निर्धारित दर से कर का

पूरा भुगतान और उसके बाद कम्पोजीशन कर का भुगतान और इसी कारण से लेखक की यह राय है कि इस प्रकार के डीलर्स यदि कम्पोजीशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें 5000 रुपये प्रतिदिन का लाभ छोड़कर रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान करना होगा. यदि ऐसा नहीं होता है तो कम्पोजीशन डीलर पूरे साल में लगभग 18 लाख रुपये का माल 1% कर की प्रभावी दर पर माल बेच सकेंगे चाहे उस वस्तु पर कर की दर 5% , 12% , 18% या 28% ही क्यों नहीं है और व्यावहारिक रूप से कानून कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगा और इसी कारण से कम्पोजीशन रूल्स की धारा 5(1)(d) में भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था भी की गई है .

*इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स में विवाद है और राय भी अलग-अलग है अतः सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण जारी होता है तो आप उसका इन्तजार कर सकते हैं लेकिन इस संबंध में लेखक की राय ऊपर दे दी गई है और उसके कारण भी दिए गए हैं. इस राय से सहमत होने से पहले आप सरकार के स्पष्टीकरण का इन्तजार करें.*

प्रश्न :-राज्य के बाहर माल बेचने वाले कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले सकेंगे ?

जो डीलर्स एक राज्य से दूसरे राज्य में **“माल बेचते”** है वे कम्पोजीशन स्कीम के पात्र नहीं होंगे.

प्रश्न :-क्या कम्पोजीशन स्कीम का लाभ निर्माता भी ले सकते हैं ?

-हाँ इस कम्पोजीशन स्कीम के तहत निर्माता भी शामिल हो सकते हैं और वे भी कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं .

लेकिन यदि सरकार चाहे तो, अधिसूचना के जरिये , कुछ प्रकार के निर्माताओं को इस स्कीम से वंचित कर बाहर कर सकती है और इस सम्बन्ध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर निम्नलिखित वस्तुओं के निर्माण के डीलर्स को कम्पोजीशन से बाहर रखा गया है :-

- 1.आइस क्रीम एवं खाने वाला बर्फ कोको के साथ या कोको रहित .
- 2.पान मसाला
- 3.तम्बाकू एवं तम्बाकु प्रोडक्ट

इन वस्तुओं के निर्माता कम्पोजीशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं

प्रश्न :-कम्पोजीशन कर की दर क्या होगी ?

कम्पोजीशन स्कीम के तहत कम्पोजीशन कर की दरें निम्न प्रकार होंगी :-

| डीलर का विवरण   | सी.जी.एस.टी.                 | एस.जी.एस.टी.                 | (एस.जी.एस.टी. + सी.जी.एस.टी.) |
|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ट्रेडर्स अर्थात वे डीलर्स जो सिर्फ खरीद बिक्री करते हैं . | आधा प्रतिशत-<br>0.50 प्रतिशत | आधा प्रतिशत-<br>0.50 प्रतिशत | एक प्रतिशत -<br>1%            |
|   | ढाई प्रतिशत -                | ढाई प्रतिशत -                | पांच प्रतिशत -                |

|              |                          |                          |                    |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| रेस्टोरेंट्स | 2.50 प्रतिशत             | 2.50 प्रतिशत             | 5%                 |
| निर्माता     | एक प्रतिशत-<br>1 प्रतिशत | एक प्रतिशत-<br>1 प्रतिशत | दो प्रतिशत -<br>2% |

प्रश्न :-क्या कम्पोजीशन की यह दरें अंतिम रूप से तय कर दी गई हैं ?

हाँ , कम्पोजीशन की यह दरें इस समय अंतिम रूप से तय हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है .

प्रश्न :-कम्पोजीशन के तहत आने वाले डीलर्स को अपने रिटर्न्स कब-कब भरने होंगे ?

कम्पोजीशन डीलर्स को अपना रिटर्न तीन माह में एक बार भरना होगा एवं वर्ष के अंत में उन्हें एक वार्षिक रिटर्न भरना होगा . इस आम जी.एस.टी. करदाता के एक वर्ष में भरे जाने वाले 37 रिटर्न्स की जगह कम्पोजीशन डीलर्स को केवल 5 रिटर्न्स ही भरने होंगे.

प्रश्न :-क्या सेवा क्षेत्र के लिए भी यह कम्पोजीशन स्कीम लागू रहेगी ?

सेवा क्षेत्र के लिए कम्पोजीशन स्कीम उपलब्ध नहीं है लेकिन एक ही अपवाद है और उसे ऊपर हमने रेस्टोरेंट सर्विस के रूप में बताया है जो कि वास्तव में सर्विस और माल के सप्लाइ का मिश्रित रूप है . इसके अलावा किसी और सर्विस पर यह कम्पोजीशन स्कीम लागू नहीं है .

रेस्टोरेंट के केस में वे रेस्टोरेंट जिनका पिछले वर्ष में बिक्री / टर्नओवर 75 लाख रुपये से कम वे कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं और इस कम्पोजीशन की अधिकतम दर सी.जी.एस.टी. को लेकर

2.50 प्रतिशत एवं एस.जी.एस.टी. को लेकर 2.50 प्रतिशत अर्थात् कुल 5.00 प्रतिशत होगी .

प्रश्न :-मेरा एक जनरल स्टोर है जो अभी कम्पोजीशन में है अब मैं एक फैक्ट्री प्लान कर रहा हूँ जिसका माल मैं राज्य के बाहर भी बेचूंगा . क्या मैं अपनी फैक्ट्री के लिए एक और जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ और एक और सवाल क्या मैं जी.एस.टी. के दौरान अपना जनरल स्टोर कम्पोजीशन में चला सकता हूँ.

हाँ आप अपनी फैक्ट्री के लिए एक और रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं जो कि जी.एस.टी. के दौरान एकपेन नंबर पर एक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेने का प्रावधान है यदि व्यापार अलग-अलग प्रकार के हैं .

लेकिन जी.एस.टी. के एक और प्रावधान के अनुसार यदि आप कम्पोजीशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके एक ही पेन नंबर पर जारी सभी रजिस्ट्रेशन पर कम्पोजीशन ही होना चाहिए . आपके केस में आपकी फैक्ट्री , चूँकि राज्य के बाहर माल बेचने की श्रेणी में आती है , अतः कम्पोजीशन में नहीं आ सकती अतः आपका कोई भी व्यापार कम्पोजीशन का लाभ नहीं ले सकता है .

प्रश्न :-यदि मेरे एक ही पेन पर जी.एस.टी. के दौरान दो व्यापार हैं तो क्या दोनों के लिए 75 लाख की अलग- 2 सीमा का लाभ मिल सकता है ?

यह 75 लाख की लिमिट प्रति व्यक्ति (Per Person) है अर्थात आप इसे “प्रति पेन नंबर” ही माने इस प्रकार एक पेन नंबर पर जितने भी व्यापार है उन सभी का टर्नओवर जोड़ा जाएगा चाहे वे सभी व्यापार भारत के किसी भी हिस्से में स्थित हो .

प्रश्न:--हमारा बीते वर्ष ( पिछले वित्तीय वर्ष ) में टर्नओवर 75 लाख रुपये था तो हम जी.एस.टी. के दौरान कम्पोजीशन के हकदार हो जाएँगे . जिस वर्ष हम कम्पोजीशन का लाभ लेंगे उस वर्ष में भी इस लाभ की कोई टर्नओवर संबंधी सीमा है ?

जैसे ही इस वर्ष आपका टर्नओवर 75 लाख रुपये की रकम को क्रॉस करेगा उसी समय आपका कम्पोजीशन का लाभ आगे के लिये समाप्त हो जाएगा और फिर आपको सामान्य जी.एस.टी. डीलर की तरह कर देना होगा .

प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर भी कुछ लिखना होगा ?

कम्पोजीशन डीलर को अपने बिल पर “ Composition Taxable Person , Not Eligible To Collect Tax on Supplies” लिखना होगा .

इसका हिन्दी अनुवाद हम यहाँ दे रहे हैं जो कि आपको अपने बिल के ऊपर अनिवार्य रूप से लिखना होगा :-

“कम्पोजीशन कर डीलर, कर एकत्रीकरण के योग्य नहीं” इसके अतिरिक्त कम्पोजीशन डीलर टैक्स इनवॉइस की जगह “बिल ऑफ़ सप्लाई” जारी करेगा एवं अपने बिल में किसी भी तरह का कर वसूल नहीं करेगा.

प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी अपने कम्पोजीशन डीलर होने की कि कोई सूचना देनी होगी ?

हाँ , कम्पोजीशन डीलर को अपने व्यवसाय स्थल पर भी यह लिखना होगा कि वह एक कम्पोजीशन डीलर है . इन डीलर्स को अपने साइन बोर्ड पर “ composition dealer” लिखना होगा .

प्रश्न :-क्या हर वर्ष कम्पोजीशन के लिए आवेदन करना होगा ?

यदि किसी वर्ष में आप इसके योग्य है और कम्पोजीशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो आने वाले वर्ष में इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है . इस सम्बंध में जारी प्रावधानों का पालन करते हुए आप कम्पोजीशन का लाभ आने वाले वर्षों तक ले सकते हैं .

प्रश्न :-क्या वर्ष के दौरान कम्पोजीशन स्कीम से बाहर आ सकते हैं ?

जो भी डीलर इस स्कीम से बाहर आना चाहता है वह जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर GST CMP-04 फॉर्म भर कर बाहर आ सकता है .

प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर्स अन रजिस्टर्ड से माल खरीद सकेंगे ? क्या कम्पोजीशन डीलर्स को भी अन रजिस्टर्ड डीलर्स से की गई खरीद पर रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा ?

कम्पोजीशन डीलर्स अन - रजिस्टर्ड डीलर्स से माल भी खरीद सकेंगे और सेवाएं भी ले सकेंगे और ऐसी खरीद पर उन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा.

रिवर्स चार्ज के तहत चुकाए गए इस कर के अतिरिक्त कम्पोजीशन डीलर्स को कम्पोजीशन कर का भुगतान करना होगा.

क्या कर मुक्त माल की बिक्री पर भी कम्पोजीशन कर का भुगतान करना होगा

हाँ करमुक्त माल यदि कम्पोजीशन डीलर के द्वारा बेचा जाता है तो उस पर भी उसे कम्पोजीशन कर का भुगतान करना होगा क्योंकि कम्पोजीशन कर के लिए जो धारा 10 के अनुसार कम्पोजीशन कर

राज्य के टर्नओवर पर लगना और धारा 2(112) में जो राज्य के टर्नओवर की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार राज्य के टर्नओवर में कर मुक्त बिक्री भी शामिल है .

करमुक्त बिक्री पर किसी भी तरह का टैक्स लगना आश्चर्य चकित कर सकता है लेकिन कानूनन स्थिती यही है और यदि आप कम्पोजीशन स्कीम के तहत जी.एस.टी. में आते हैं तो आपको अपने सारे टर्नओवर पर कम्पोजीशन कर का भुगतान करना पडेगा .

यह एक विवादास्पद विषय है जिस पर सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए जिसका आपके साथ हमें भी इन्तजार रहेगा .

किन राज्यों में कम्पोजीशन की सीमा 50 लाख रूपये है

- निम्नलिखित राज्यों को यह अधिकार है कि वे अपनी कम्पोजीशन की सीमा 50 लाख रूपये रख सकते हैं -

- 1.अरुणाचल प्रदेश
- 2.असम
- 3.मणिपुर
- 4.मेघालय
- 5.मिजोरम
- 6.नागालैंड
- 7.सिक्किम
- 8.त्रिपुरा
- 9.हिमाचल प्रदेश
10. जम्मू एवं कश्मीर
11. उत्तराखंड

इनमें से 9 राज्यों ने 50 लाख रुपये की सीमा ही रखी है है लेकिन जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड ने कम्पोजीशन की सीमा सामान्य राज्यों की तरह 75 लाख रुपये ही सीमा रख है .

रेस्टोरेंट सर्विसेज जो कम्पोजीशन में रखी गई है उनका अर्थ क्या है ?

जिन सेवाओं को कम्पोजीशन के लिए स्वीकृत किया गया है उसका विवरण हम वह जैसा लिखा है वैसा ही अनुसूची 2 से दे रहे है कृपया इसे ध्यान से देखें :-

Supply by way of or as part of any service or in other manner whatsoever , of goods being food or any other article for human consumption or any drink (other than alcoholic Liquor for human consumption), where such service or supply is for cash , deferred payment or valuable consideration.

आइये इसका हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करें

किसी सेवा के द्वारा या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य प्रकार से वस्तु की सप्लाई जिसमें खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई वस्तु या कोई पेय ( मानव उपभोग के लिए मदिरा को छोड़कर ) आता है ऐसी सप्लाई या सेवा रोकड़ , स्थगित भुगतान या मूल्यवान प्रतिफल के रूप में की गई हो.

सरकार इसे रेस्टोरेंट सर्विसेज के रूप में प्रचारित कर रही है लेकिन जब आप फैसला करें तो यह देख लें कि जो परिभाषा इस सेवा की एक्ट में दी गई है एवं इसे ही रूल्स में भी बताया गया है के तहत आप आते हैं तो आप कम्पोजीशन का लाभ ले सकते हैं है .

Restaurant का शाब्दिक अर्थ यह होता है :-

A place where people pay to sit and eat meals that are cooked and served on the premises.

लेकिन जो ऊपर परिभाषा दी गई है वह कुछ और है और उसका स्कोप भी अधिक है और यह केवल रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है .

### कम्पोजीशन डीलर्स ध्यान दें

कम्पोजीशन डीलर्स यहाँ यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि केवल कम्पोजीशन टैक्स का भुगतान करने से ही उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है उन्हें एक बार तो राज्य एवं केंद्र का पूरा कर भुगतान ही होता है . आइये इसे समझ लें - कम्पोजीशन डीलर्स दो तरह से माल खरीद सकते हैं पहला रजिस्टर्ड डीलर्स से , जो राज्य के भीतर भी हो सकता है या दूसरे राज्य से और दोनों ही स्थिति में कम्पोजीशन डीलर के बिल में या तो राज्य एवं केंद्र का कर लगा होगा या फिर आई.जी.एस.टी. इस प्रकार उनकी खरीद पर पूरा कर वसूला जायगा और उसके बाद उन्हें कम्पोजीशन कर का भुगतान करना होगा.

यदि कम्पोजीशन डीलर अन-रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं तो उन्हें रिवर्स चार्ज के तहत पूरा कर चुकाना होगा आर जैसा कि

आपको पता ही है कि कम्पोजीशन डीलर्स को किसी प्रकार की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है इसलिए इस तरह से या बिल में लगे हुआ कर उनके माल में लागत की तरह ही जुड़ेगा और उसके बाद उन्हें कम्पोजीशन कर का भुगतान करना पड़ेगा.

कम्पोजीशन स्कीम उन्ही डीलर्स के लिए व्यवहारिक होती है जो कि सीधे ही उपभोताओं को माल बेचते है . जो डीलर्स दूसरे डीलर्स को माल बेचते है उनके लिए कम्पोजीशन स्कीम को कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है क्यों कि कम्पोजीशन डीलर्स द्वारा बेचे गये माल पर “इनपुट क्रेडिट” नहीं मिलती है .

और एक अंतिम प्रश्न :- क्या कम्पोजीशन डीलर राज्य के बाहर से माल खरीद सकेंगे ?

हाँ , अब तक जो राज्यों में कम्पोजीशन स्कीम्स लागू थी उनमें कम्पोजीशन डीलर्स राज्य के बाहर से माल नहीं खरीद सकते थे और ऐसा केंद्रीय बिक्री कर के कारण होता था . लेकिन जीएस.टी.में अब कम्पोजीशन डीलर्स राज्य के बाहर से माल खरीद सकेंगे.

लेकिन एक बार फिर से आपको यह ध्यान दिला दें कि कम्पोजीशन डीलर्स राज्य के बाहर माल नहीं बेच सकेंगे.

\*\*

## अध्याय -5

जी.एस.टी. - प्रारम्भिक स्टॉक की इनपुट क्रेडिट  
GST- INPUT CREDIT ON OPENING STOCK

आइये देखें कि जी.एस.टी. जिस भी दिन लागू होगा उस दिन आपके पास जो सेनवेट / वेट की क्रेडिट का अंतिम शेष होगा या आपके आपस जो स्टॉक होगा उस पर चुकाए हुए कर जो कि स्टॉक की कीमत शामिल होगा उसकी कोई क्रेडिट जी.एस.टी. के तहत मिलेगी .

आइये पहले यह समझने का प्रयास करें कि यह समस्या क्या है ताकि सरकार ने जो समाधान इसका दिया है वह आपको समझ आ सके और अभी से आप इस स्टॉक के बारे आपको किस तरह से इनपुट क्रेडिट मिलेगी एंवम इस बारे में आपको क्या सूचनाएं जी.एस.टी. पोर्टल पर देनी है .

जो डीलर वेट और सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है उन्हें तो यह क्रेडिट अपने अंतिम रिटर्न के आधार पर ही मिल जायेगी लेकिन शेष डीलर्स के लिए भी कुछ प्रावधान किये गए है ताकि उन्हें इस कर प्राणाली परिवर्तन के कारण कोई वित्तीय नुकसान नहीं हो जी.एस.टी. के दौरान वे अपना स्टॉक प्रतिस्पर्धा के बाजार में बेच सकें.

### क्यों जरूरी है प्रारम्भिक स्टॉक पर क्रेडिट

उदाहरण के लिए आप मान लीजिये कि आप एक मोटर पार्ट्स विक्रेता है और आपके पास कुल 10.00 लाख रुपये कीमत का स्टॉक है जिस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं वेट दोनों ही लगा है .

अब आपका एक प्रतिस्पर्धी डीलर 1 जुलाई 2017 (जी.एस.टी.

लगने की संभावित तारीख ) को यही माल सीधा ही निर्माता से खरीदता है तो उस पर एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. दोनों लगे होंगे . उस डीलर को जब वह माल बेचेगा तो उसके द्वारा चुकाए हुए एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. की छूट अपना कर चुकाते समय मिल जायेगी और व्यवहारिक रूप से वह अपने “मार्जिन” पर ही कर चुकाएगा. यही वेट और अब जी.एस.टी. की मूलभूत धारणा है और इस करारोपण का मूल है.

अब आपके पास जो स्टॉक है उसमें जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/या वेट जुड़ा है उसकी छूट आपको नहीं मिले और आपको अब ग्राहक से प्राप्त किया गया एस.जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. पूरा का पूरा ही चुकाना पड़े तो आपका माल 1 जुलाई 2017 को खरीदे गए माल के मुकाबले प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पायेगा या फिर आपको इस माल की बिक्री पर नुकसान उठाना होगा. इसलिए यह जरूरी है कि आपके 30 जून 2017 के स्टॉक में जो कर (वेट और सेंट्रल एक्साइज ) शामिल है कि छूट की कोई व्यवस्था की जाए.

इसी तरह जो आपके पास सेनवेट /वेट की क्रेडिट का जो अंतिम शेष है जो कि आपने अपने अंतिम रिटर्न में माँगा है वह भी आपको जी.एस.टी. के दौरान किस तरह से समायोजित किया जाएगा यह भी हम देखने का प्रयास करेंगे.

अब आपको जब यह समस्या समझ आ गई है तो देखे हमारे कानून निर्माताओं ने इसके लिए क्या प्रावधान किये है ताकि आप अपने पास जो भी स्टॉक है उसका समुचित क्रेडिट ले सकें और इस सम्बन्ध में वांछित सूचनाएं भी जी.एस.टी. पोर्टल पर समय रहते दर्ज करवा सके .

इस सम्बन्ध में प्रावधान सी.जी.एस.टी. कानून के अध्याय 20 में धारा 140 में दिए गए हैं और इसी तरह से प्रावधान राज्यों के एस.जी.एस.टी. कानून में भी है . इसलिए हम यहाँ सेंट्रल एक्साइज और वेट दोनों को सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन के लिए ले रहे हैं .

राज्यों के एस.जी.एस.टी. कानून जो इस तरह की वेट की क्रेडिट देंगे एवं केंद्र के सी.जी.एस.टी. के कानून जो अपने यहाँ लगाने वाले कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि की क्रेडिट देंगे वे एक से ही हैं इसलिए हम दोनों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और वेट दोनों के बारे में एक साथ ही बता रहे हैं . यहाँ ध्यान रखें कि अभी आपकी वस्तु करयोग्य है और जी.एस.टी. में करमुक्त घोषित हो जाती है तो आपको इस तरह का कोई लाभ इनपुट क्रेडिट का **“नहीं”** मिलेगा.

ये विषय थोड़ा मुश्किल है अतः आप इसे इस समय केवल पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें इसके साथ जुड़ी कुछ विसंगतियों एवं कानूनी अडचनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचें क्योंकि एक बार आपके इसका बेसिक समझ आ गया तो आगे का काम इसका पालन करना उतना मुश्किल नहीं है .

आइये सूचीबद्ध तरीके से आपकी अंतिम सेनवेट/वेट क्रेडिट और प्रारम्भिक स्टोक में जुड़ी इनपुट क्रेडिट आपको जी.एस.टी. के प्रारम्भ में किस तरह से समायोजन मिलेगा और इसकी गणना किस प्रकार से होगी :-

**आप सेंट्रल एक्साइज/वेट में रजिस्टर्ड हैं और आपका सेनवेट/वेट का अंतिम इनपुट**

यह हमारी पहली स्थिती है और ये सबसे आसान भी है

| विवरण  | जी.एस.टी. के दौरान इनपुट क्रेडिट की रकम   |
|--|---|
| <p>जो डीलर्स (जी.एस.टी. में कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर ) सेंट्रल एक्साइज/वेट में रजिस्टर्ड है उन्हें यह क्रेडिट अपने अंतिम भरे हुए रिटर्न के हिसाब से मिलेगी .</p> | <p>जी.एस.टी. लगने के अंतिम दिन तक का उन्होंने जो सेंट्रल एक्साइज /राज्य के वेट का जो रिटर्न भरा है उसमें जो क्रेडिट आगे ले जाने हेतु उन्होंने रिटर्न में दिखाया है उसका क्रेडिट उन्हें जी.एस.टी. के दौरान इसकी क्रेडिट क्रमशः एस.जी.एस.टी. ( वेट का इनपुट ) सी.जी.एस.टी. ( सेंट्रल एक्साइज का इनपुट )</p> |

यह क्रेडिट उनके “इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर” में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिसका उपयोग उनकी जी.एस.टी. के दौरान कर भुगतान से समायोजित करने में लिया जाएगा.

कोई शर्त है इस प्रकार के क्रेडिट को लेने के लिए :-

1.इस प्रकार के डीलर्स को अपने जी.एस.टी. लागू होने की तिथी से 6 माह पूर्व के सभी रिटर्न भरने होंगे और यदि उन्होंने यह रिटर्न नहीं भरे है तो उन्हें इस प्रारंभिक क्रेडिट जो उनके वेट और सेंट्रल एक्साइज के रिटर्न में अंतिम क्रेडिट के रूप में दिखाई गई है से वंचित रहना होगा.

2.यदि यह इनपुट क्रेडिट जी.,एस.टी. कानून के तहत मिलने के योग्य नहीं है तब भी डीलर को इस क्रेडिट का लाभ नहीं दिया जाएगा. इसे आप यों समझिये कि कोई वस्तु जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / वेट में करयोग्य है लेकिन जी.एस.टी. के दौरान उसे करमुक्त घोषित कर दिया तो स्वाभाविक है कि आपको इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी .

इसी के साथ आपको कैपिटल गुड्स की क्रेडिट भी इसी तरह से मिल जायेगी जो कि आपके सेंट्रल एक्साइज/वेट के अंतिम रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड नहीं की है बशर्ते की यह क्रेडिट अभी चल रहे कानून में सेनवेट क्रेडिट/ वेट इनपुट क्रेडिट की तरह और आने वाले जी.एस.टी. कानून में इनपुट क्रेडिट की तरह लेने के योग्य हो.

**क्या आपकी बिक्री वेट घोषणा पत्रों के आधार पर है  
C-form/H-form/Export Declaration.**

यदि आपकी बिक्री वेटी के दौरान कुछ घोषणा पत्रों पर आधारित है जिनके कारण आपने कम कर की दर लगाई है जैसे - सी -फॉर्म पर बिक्री पर कर की दर 2% है (चाहे राज्य में उस वस्तु की कर की दर 14.50% ) इसी तरह एच फॉर्म पर जो माल एक्सपोर्टर को बेचते हैं तो इस पर कर की दर शून्य है (चाहे राज्य में उस वस्तु की कर की दर 14.50% ) तो आपका जो क्रेडिट अंतिम रिटर्न में आ रहा है उसमे से उतना हिस्सा रोक लिया जाएगा जिसके फॉर्म आपने पेश नहीं किये हैं और जब आप नियमानुसार ये फॉर्म और घोषणा पत्र पेश करेंगे तो राज्य में ही आपको इसका रिफंड दे दिया जाएगा.

ये प्रावधान आपको परेशान कर सकता है लेकिन जब कोई कर प्रणाली में इस तरह से परिवर्तन (ट्रांजीशन ) का समय होता है तब

कुछ परेशानिया तो होती ही है . इस सम्बन्ध में आपके लिए सलाह यह है कि आप अपने घोषणा पत्र (सी-फॉर्म , एच -फॉर्म इत्यादि) शीघ्र प्राप्त कर विभाग में पेश करें .

**आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपके खरीद के बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है**

यह दूसरी स्थिती है और पहली स्थिती के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण है क्यों कि इसमें आने वाले डीलर्स की संख्या बहुत अधिक होगी .

शायद वेट के लिए आप इस स्थिती की कल्पना नहीं कर सकते है क्यों कि वेट अभी भी अंतिम उपभोक्ता तक लगने वाला कर है और सेंट्रल एक्साइज इस समय निर्माण की स्थिती तक ही लगती है तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोई डीलर सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है क्यों कि वह एक सेंट्रल एक्साइज निर्माता या डीलर से माल खरीदता है .

वेट में भी जो डीलर कम्पोजीशन स्कीम में है और जी.एस.टी. में सामान्य डीलर की तरह प्रवेश करते है वे भी इसी श्रेणी में आ सकते है .

आइये देखें कि इस स्थिती में किस तरह से यह क्रेडिट सी.जी.एस.टी. के तहत मिलेगी :-

| स्टॉक का विवरण   | इनपुट क्रेडिट की रकम   |
|--|--|
| जो डीलर्स (जी.एस.टी. के कम्पोजीशन डीलर्स को छोड़कर ) सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें अपने अंतिम स्टॉक ( जो कच्चा माल हो अथवा तैयार या अर्धनिर्मित माल) में जो चुका हुआ सेंट्रल एक्साइज है और इसे साबित करने के लिए उनके पास बिल है जिसमे यह कर (सेंट्रल एक्साइज) अलग से लगाया हुआ दिख रहा है. | उन्हें बिल में दिखाए हुए सेंट्रल एक्साइज की इनपुट क्रेडिट मिल जायेगी और यह क्रेडिट उनके “इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर” में जमा कर दी जायेगी जिसका उपयोग उनका जी.एस.टी. के दौरान कर भुगतान में समायोजन के लिए काम लिया जाएगा . |

इसी तरह जहाँ यह प्रावधान वेट में लागू होता वहां इसका इसी तरह प्रयोग कर सकते हैं.

यह क्रेडिट तभी मिलेगी जब कि इस इनपुट या माल का प्रयोग जी.एस.टी. के तहत करयोग्य माल की सप्लाई के लिए किया जाए और इस तरह की इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. कानून में भी स्वीकार्य हो. यदि यह माल जी.एस.टी. के दौरान करमुक्त घोषित कर दिया गया है तो यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

इसके अतिरिक्त जैसा पहले भी बताया है कि इस तरह के व्यक्ति के पास ये कर भुगतान होने के प्रमाण स्वरूप बिल अथवा कोई ओर प्रपत्र हो अर्थात कर किसी डीलर को चुकाई गई है इसका दस्तावेजी सबूत बिल (जिसमे कर लगा हुआ होना चाहिए ) अथवा इसी तरह का कोई और दस्तावेज हो यह कोई और दस्तावेज बिल के अतिरिक्त चालान भी हो सकता है .

लेकिन ये ध्यान रखें कि यदि ये बिल जी.एस.टी. लगने की तारीख से 12 माह से पुराने हो तो आपको यह क्रेडिट नहीं मिलेगी इस तरह जब जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 लगा है तो जो स्टॉक आपके पास 30 जून 2016 या उससे पूर्व खरीदा हो तो इसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी. इसे आप विशेष ध्यान रखें .

इसे आप यों कह सकते हैं कि प्रार्थी सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड तो नहीं था लेकिन उसके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है और ये बिल 12 माह से पुराने नहीं है तो आपको ऊपर लिखी शर्तों पर सेनवेट क्रेडिट आगे ले जाने दी जायेगी भले ही आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं हैं.

यहाँ भी आपने देखा कि गणना की एक निश्चित प्रणाली है लेकिन आगे हम एक तीसरी स्थिती देखेंगे जो इससे थोड़ी और मुश्किल है और उसमें शामिल डीलर्स की संख्या भी अधिक होगी .

**बिल में सेंट्रल एक्साइज नहीं लगा हुआ है**

आप एक ट्रेडर है (निर्माता या सेवा प्रदाता नहीं है ) और सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड भी नहीं है लेकिन आपके स्टॉक की कीमत में सेंट्रल एक्साइज लगी हुई है किन्तु आपके पास जो बिल है उसमें सेंट्रल एक्साइज लगी हुई दिख नहीं रही है तो इसका अर्थ यह है कि आपने जो माल खरीदा है वह उस डीलर से नहीं खरीदा है जो सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है और आपका विक्रेता उस निर्माता या डीलर से माल खरीदता है जो सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड है और ऐसे केस में आपके बिल में किसी भी प्रकार की सेंट्रल एक्साइज लगे होने का

कोई प्रश्न ही नहीं है लेकिन तथ्य यह है की आपके स्टोक पर कभी ना कभी किसी एक स्टेज पर सेंट्रल एक्साइज लगी जरूर है .

इस पर भी आपको क्रेडिट मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी यह सरकार इस सम्बन्ध में जारी नियमों के द्वारा तय किया है . जिन ट्रेडर्स के पास एक्साइज पेड माल है उन्हें नुकसान से बचाने के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाया गया है . आइये अब देखें कि जी.एस.टी. के जो रूल्स अधिसूचित किये गए हैं उनके अनुसार इस प्रकार के डीलर्स को क्रेडिट कितनी और किस प्रकार से मिलेगी :-

केंद्र का जो सी.जी.एस.टी. वो उस वस्तु की सप्लाई पर भुगतान करेंगे उन्हें इस भुगतान के बाद , इस रकम के 40% के क्रेडिट दे दी जाएगी यदि सी.जी.एस.टी. कर की दर 9 प्रतिशत से कम है और यदि सी.जी.एस.टी. की कर की दर 9 प्रतिशत या उससे अधिक है तो यह क्रेडिट 60 प्रतिशत होगी.

राज्य का जो एस.जी.एस.टी. वो उस वस्तु की सप्लाई पर भुगतान करेंगे उन्हें इस भुगतान के बाद , इस रकम के 60% या 40%, जैसा कि ऊपर बताया गया है , की क्रेडिट दे दी जाएगी. - जहां राज्य के जीएस.टी. में ऐसा प्रावधान लागू होता हो .

इस प्रकार जी.एस.टी. में जो भी कर का भुगतान इन वस्तुओं की सप्लाई पर किया जाएगा उसका 60% या 40%, जैसा कि ऊपर बताया गया है , की क्रेडिट उन्हें प्रारम्भिक स्टॉक में शामिल इयूटी

के रूप में मिल जाएगा जिसे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा कर दिया जाएगा .

यहाँ ध्यान रखें कि यह क्रेडिट मुख्यतया सी.जी.एस.टी. में ही मिलेगी क्योंकि ऐसे डीलर्स वेट में तो रजिस्टर्ड होंगे ही तो उन्हें उनके टैक्स की पूरी क्रेडिट अपने अंतिम रिटर्न के हिसाब से मिल जायेगी .

यह सारी क्रेडिट उन्हें इस माल को जी.एस.टी. लगाने के 6 माह में बेच कर ही प्राप्त करनी होगी , इसके बाद यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

इसके अतिरिक्त एक और बात ध्यान रखें कि इस तरह से मिली हुई इनपुट क्रेडिट का लाभ ऐसे डीलर्स को अपने ग्राहकों को देना होगा. यह थोड़ा सा विवादास्पद कानून है और इसकी व्यवहारिक पालना कैसे होगी इसे आप धीरे -धीरे ही समझ पायेंगे .

आज हमने मुख्य रूप से वेट और केन्द्रीय बिक्री कर के दौरान जो आपके पास अंतिम इनपुट क्रेडिट रह जायेगी एवं यदि आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / वेट में कर में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके अंतिम स्टॉक में जो सेंट्रल एक्साइज /वेट शामिल है उसकी क्रेडिट आपको कैसे जी.एस.टी. के दौरान मिलेगी उसका अध्ययन किया है. यह विषय थोड़ा मुश्किल है और इसपर ज्यादा समीक्षा अभी नहीं की गई है इसके कुछ अन्य भाग भी हैं जो कुछ असामान्य परिस्थितियों में लागू होंगे उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे.

यहाँ ध्यान रखें कि आपको इन सभी क्रेडिट को प्राप्त करने के लिए **Transitional Provisions Rules** के अनुसार जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म एवं सूचनाओं के साथ अप्लाई करना होगा. इस क्रेडिट चाहे वह सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड डीलर्स की हो , चाहे वेट में रजिस्टर्ड डीलर्स की हो या उन डीलर्स की हो जो रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन बिल में लिखी हुई रकम के अनुसार स्टॉक में शामिल सेंट्रल एक्साइज एवं वेट की क्रेडिट लेना चाहते हैं या जो रजिस्टर्ड भी नहीं है और बिल में सेंट्रल एक्साइज इत्यादि अलग से नहीं लगी है इन सभी श्रेणी के डीलर्स को जी.एस.टी. लगने के 90 दिन के भीतर वांछित सूचनाये जी.एस.टी. पोर्टल Form GST TRANS-1 में देनी होगी .

**क्या केन्द्रीय बिक्री कर के तहत सी-फॉर्म पर खरीदे गए माल के स्टॉक पर भी इनपुट क्रेडिट मिलेगी ?**

इस प्रकार से चुकाए गए केन्द्रीय बिक्री कर की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि इस समय बनाए गए कानूनों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है .

**क्या जिन डीलर्स को कोई स्टॉक पर इनपुट क्रेडिट नहीं लेनी है उन्हें भी स्टॉक की विगत देनी पड़ेगी ?**

यहाँ ध्यान रखे कि जिन डीलर्स को जी.एस.टी. के दौरान किसी प्रकार की इनपुट क्रेडिट नहीं प्राप्त होनी है उन्हें किसी प्रकार के स्टॉक का विवरण अभी नहीं देना है .

\*

## अध्याय -6

### जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट GST-INPUT CREDIT

जी.एस.टी.के दौरान इनपुट क्रेडिट एक बहुत मुख्य भाग है और जी.एस.टी. की एक जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि अब

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 70

आपको लगभग उन सभी सेवाओं और माल की खरीद पर चुकाए हुए कर की इनपुट क्रेडिट मिलेगी जो कि आप अपने व्यापार के दौरान व्यापार की बढ़ोतरी के लिए - “During the course of business and for furtherance of business” खरीदते या प्राप्त करते हैं .

### कर पर कर के युग की समाप्ती End of Cascading Effect

“अभी तक होता यह था कि आप जब वेट का भुगतान करते थे तो इस समय आपको सेंट्रल एक्साइज का इनपुट नहीं मिलता था और जब आप सेंट्रल एक्साइज का भुगतान करते थे तो आपको वेट का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था . यही सम्बन्ध वेट और सर्विस टैक्स का भी था .”

इसे ही कास्केडिंग इफ़ेक्ट कहते हैं जो कि कर पर कर की स्थिति है जो कि इस वक्त की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की एक सबसे बड़ी कमी बताई जाती है.

अब आप जो भी कर चाहे वह केंद्र का सी.जी.एस.टी. हो , राज्य का एस.जी.एस.टी. या दो राज्यों के बीच व्यापार के दौरान चुकाया हुआ आई.जी.एस.टी. हो जो कि आपने माल, सेवा या पूंजीगत माल (Capital Goods) चुकाया हो की इनपुट क्रेडिट आपको मिल जायेगी .

क्या अब व्यापार के दौरान और व्यापार की बढ़ोतरी में खरीदी गई प्रत्येक वस्तु और सेवा पर इनपुट क्रेडिट मिल जायेगी .

-हाँ आप लगभग ऐसा ही समझ सकते हैं क्योंकि इसके सम्बन्ध में कुछ सेवाओं और माल की छूट पर या तो प्रतिबन्ध या इनपुट क्रेडिट कुछ शर्तों के साथ मिलने वाली है लेकिन यह सूची बहुत ही सीमित है अतः यह ज्यादा प्रभाव डालने वाली नहीं है . इन सेवाओं और माल का जिक्र हम आगे के भाग-2 करेंगे .

आइये इसे समझने की कोशिश करें :-

आपने सितम्बर माह में 10 लाख रुपये का माल बेचा जिसे आपने 9.50 लाख में खरीदा था और इस माल पर कर की दर 12 प्रतिशत है . मान लीजिये इसमें से 6 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. है और 6 प्रतिशत सी.जी.एस.टी. है .

इस प्रकार आपका आउटपुट कर एस.जी.एस.टी. के तहत 60000.00 रुपये है और एस.जी.एस.टी. के तहत भी इसी तरह से 60000.00 रुपये होता है.

आपने यह माल खरीदते समय जो कर का भुगतान किया वह एस.जी.एस.टी. 57000.00 एस.जी.एस.टी. होगा और इतना ही सी.जी.एस.टी. होगा और यह आपकी इनपुट क्रेडिट होगी .

इस प्रकार इस माल की खरीद बिक्री से आपका कर दायित्व एस.जी.एस.टी. में 3000.00 एवं सी.जी.एस.टी. में भी 3000.00 रुपये बनेगा जो कि आपके मार्जिन 50000.00 का 6 प्रतिशत तो एस.जी.एस.टी. में होगा और इतना ही कर सी.जी.एस.टी. में बनेगा .

इसी माह में आपके व्यवसायिक टेलीफोन का बिल 2000 .00 था जिस पर 18 प्रतिशत की दर से 360 जिसमें से 180.00

रूपये एस.जी.एस.टी.था और 180.00 रूपये ही सी.जी.एस.टी. थी अब आप कर का भुगतान करते समय आपके मासिक कर दायित्व में से 180.00 एस.जी.एस.टी. में से कम कर लेंगे और 180.00 सी.जी.एस.टी. में से कम कर लेंगे.

इस प्रकार कर का भुगतान करते समय आप एस.जी.एस.टी. के 2820.00 रूपये का भुगतान करेंगे और इतना ही कर सी.जी.एस.टी. में भुगतान करेंगे.

इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार अब आपको इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. के दौरान काम में लिए प्रत्येक माल और सेवा के लिए भी मिलेगी.

क्या रिवर्स चार्ज के दौरान भुगतान किये गए कर की इनपुट क्रेडिट भी जी.एस.टी. के दौरान मिलेगी .

-इस इनपुट क्रेडिट में आप द्वारा रिवर्स चार्ज के दौरान जो कर दिया जाता है वह भी शामिल किया जाएगा उसमे वह कर भी शामिल होगा जो कि आपने अन- रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद कर उस पर कर चुकाया है .

आइये इसे एक उदाहरण के जरिये समझने का प्रयास करें :-

मान लीजिये आप कृषी मंडी में एक किसान से तिलहन खरीदते है माह मई में 10 लाख रूपये का और चूंकि किसान एक अन-रजिस्टर्ड डीलर है अतः वो आपसे कर नहीं लेते है तो इस समय तो यह आपकी अन रजिस्टर्ड डीलर से खरीद हो जाती है और खरीद के समय आपको इस पर कोई कर नहीं चुकाना होता है .इसकी बिक्री पर

ही कर चुकाना होता है .

लेकिन यदि यही खरीद आप अब जुलाई में करते हैं और तब तक जी.एस.टी. लग चुका है तो आपको इस माल 2.50% की दर से एस.जी.एस.टी. चुकाना होगा और इसी दर से 2.50% दर से सी.जी.एस.टी. चुकाना होगा और इसके लिए आपको अपना ही बिल भी बनाना होगा जिसमें खरीददार भी आप ही होंगे . इसके लिए आप रिवर्स चार्ज का अलग से दिया गया अध्याय देखें .

इसे आप कुछ राज्यों में लगने वाले खरीद कर अर्थात PURCHASE TAX से भी कर सकते हैं .

इस प्रकार खरीद का यह व्यवहार आपकी खरीद भी होगी और इस पर आप ही कर चुकायेंगे और इसकी भी आपको “इनपुट क्रेडिट” भी मिल मिलेगी .

यह कर आपको केश में भरना होगा और इसे आप अपनी इनपुट से समायोजित नहीं कर पायेंगे . एक बार इसे जमा कराने के बाद आपको नियमानुसार यदि इसकी इनपुट क्रेडिट मिलनी हुई , तो मिल जायेगी .

इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने के लिये क्या - क्या दस्तावेज पेश करने होंगे और इसके लिए क्या क्या अनिवार्यता होगी.

- आइये इनका अध्ययन करें

1. आपके पास इनवाँइस या डेबिट नोट या वह दस्तावेज होना चाहिए .
2. आपको वह सेवा या माल अथवा दोनों प्राप्त हो जाने चाहिए .

3. आपने जिस माल या सेवा को खरीदा है उसके सेवा प्रदाता ने या माल बेचने वाले ने कर का भुगतान कर दिया है .
4. आपने अपना मासिक रिटर्न भर दिया है .

### इनपुट क्रेडिट मिसमैच

यदि आपके विक्रेता आप को बेचे गए माल पर कर नहीं चुकाते हैं या इसकी विगत अपने बिक्री के रिटर्न में समुचित रूप से नहीं दिखाते हैं तो आपको यह मौका मिलेगा कि आप इसमें जब यह आपके खरीद के रिटर्न में अपने आप आये तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन यदि यह संशोधन आपके विक्रेता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो यह एक मिसमैच होगा और इसे आपको एवं आपके विक्रेता को रिटर्न भरने की अंतिम तिथी के बाद सूचित कर दिया जाएगा और जिस माह में आपको सूचित किया जाता है उस माह में इस मिसमैच का निस्तारण नहीं होता है तो यह खरीददार के उस माह से अगले माह कर में जोड़ दिया जाएगा और इसे आपको जमा कराना होगा.

इस तरह अब सरकार मिसमैच को लेकर लंबा इन्तजार करने को तैयार नहीं है .

इस तरह से जब विक्रेता अपने रिटर्न सही करके इनपुट क्रेडिट देगा तब यह क्रेडिट फिर से आपको मिल जायेगी .

लेकिन अब आपको माल खरीदते वक्त सतर्क रहना होगा और आपके विक्रेताओं को भी प्रेरित करना होगा कि वे समय पर कर जमा कराएं और रिटर्न सही-सही भरे और इसके साथ ही आप जहाँ विक्रेता है वहाँ आप भी अपने रिटर्न सही - सही भरें ताकि आपके क्रेता किसी

परेशानी में नहीं पड़े.

क्या इनपुट क्रेडिट का कैपिटल गुड्स पर लिए गए डेप्रिसिएशन से भी कोई सम्बन्ध है ?

-हाँ यदि आप कैपिटल गुड्स पर डेप्रिसिएशन लेते समय जी.एस.टी. के कर को भी जोड़ कर डेप्रिसिएशन लेते हैं तो ऐसे कर की इनपुट आपको नहीं मिलती है .

इस प्रकार यदि आप कैपिटल गुड्स पर जी.एस.टी. की इनपुट क्रेडिट लेना चाहते हैं तो कैपिटल गुड्स पर डेप्रिसिएशन लेते समय जी.एस.टी. कर को शामिल नहीं करें

क्या करमुक्त वस्तुओं के निर्माण के दौरान कोई वस्तु या सेवा पर कोई कर दिया है तो क्या उसका क्रेडिट मिलेगा ?

करमुक्त वस्तुओं के निर्माण में जो इनपुट लगता है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी . यह स्वाभाविक ही है क्योंकि आप जब करमुक्त वस्तुओं पर कोई कर ही नहीं दे रहे हैं तो आपको उसमें लगे किसी भी इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलेगा.

यदि कोई डीलर करमुक्त और करयोग्य दोनों ही वस्तुओं में इनपुट का इस्तेमाल करते हैं तो इनपुट क्रेडिट किस प्रकार मिलेगी ?

ऐसी अवस्था में इनपुट क्रेडिट आनुपातिक रूप से मिलेगी और आपको

उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना कि आप करयोग्य वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई के लिए काम में ले रहे हैं.

यदि किसी इनपुट का इस्तेमाल व्यापार के साथ व्यक्तिगत कार्य में भी लेते हैं तो इनपुट किस तरह से मिलेगी ?

ऐसी अवस्था में भी इनपुट क्रेडिट आनुपातिक रूप से मिलेगी और जितना व्यक्तिगत उपयोग किया गया है उतनी क्रेडिट निरस्त हो जायेगी.

“जीरो रेटेड” गुड्स एवं सर्विसेज पर लगे इनपुट का क्या होगा ? कर तो यहाँ भी नहीं दिया जाता है तो क्या यहाँ भी इनपुट क्रेडिट निरस्त हो जायेगी ?

जी.एस.टी. के दौरान जीरो रेटेड सप्लाई वो होती जो या तो निर्यात की जाती है या सेज (SEZ DEVELOPERS OR SEZ UNITS) डीलर्स को की जाती है .

इन पर लगी इनपुट क्रेडिट रिफंड हो जायेगी .

यहाँ ध्यान रखें कि जो जी.एस.टी. की सूचि जारी की गई है वहां जो NIL TAX में वस्तुएं है उन्हें आप ZERO RATED नहीं समझे वे करमुक्त वस्तुएं है और उनपर कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .

यदि किसी एक बिल से आने वाला माल की डिलीवरी किशतों में होती है तो इनपुट क्रेडिट कब मिलेगी ?

ऐसी अवस्था में इनपुट क्रेडिट डीलर को अंतिम डिलीवरी मिलने पर मिलेगी .

क्या इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध माल एवं सेवा के भुगतान से भी है ?

क्रेताओं को इस बात के लिए प्रोहत्साहित करने या उन्हें आपको

भुगतान करने के लिए मजबूर करने के लिए जी.एस.टी. कानून में एक प्रावधान बनाया गया है जिसके तहत यदि कोई क्रेता अपने विक्रेता को माल खरीदने के 180 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी ऐसे माल पर जिसका भुगतान नहीं करते हैं की इनपुट क्रेडिट तब तक के लिए कैंसिल कर दी जायेगी और यह क्रेडिट उन्हें उस वक्त ही मिलेगी जब कि वे अपने विक्रेताओं को भुगतान कर दें.

इनपुट क्रेडिट किन-किन वस्तुओं और सेवाओं पर उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध भी है तो कुछ शर्तों के साथ :-

| क्र.स. | वस्तु या सेवा का विवरण   | इनपुट क्रेडिट की शर्त   |
|--------|--|---|
| 1.     | Motor Vehicles and Other conveyance .<br>मोटर वाहन एवं परिवहन के साधन एवं वाहन | सामान्य तौर पर मोटर वाहन एवं परिवहन के साधन एवं वाहन पर चुकाए हुए जी.एस.टी. कर की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .<br><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u><br>इस प्रकार से खरीदे गए वाहन का उपयोग करते हुए :-<br>1.उसे ही बेचने के व्यवसायी में लगे है .<br>2.यात्री परिवहन के |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>व्यवसाय में लगे हैं.</p> <p>3.जिस वाहन को खरीदा है उसको चलाना सिखाने के व्यवसाय में लगे हैं.</p> <p>4.माल परिवहन के व्यवसाय में लगे है.</p>   |
| 2. | <p><u>SERVICE:-</u><br/>Food and beverages Services<br/>खाद्य एवं पेय पदार्थ संबधी सेवा</p> | <p>1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं .</p> <p>2.यदि आप एक संयुक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस</p> |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> <p>3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SUPPLY) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p>   |
| 3. | <p><u>SERVICE:-</u><br/>Outdoor Catering Services<br/>बाह्य खानपान सेवा</p> | <p>1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं .</p> <p>2.यदि आप एक संयुक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> <p>3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SERVICE) दे रहे हैं और यह सेवा भी अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p>   |
| 4. | <p><u>SERVICE:-</u><br/>Beuty Treatment Services<br/>सौन्दर्य प्रसाधन सेवा</p> | <p>1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं .</p> <p>2.यदि आप एक संयुक्त सप्लाई (COMPOSITE</p> |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>SUPPLY ) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> <p>3.यदि आप एक मिश्रित SUPPLY (MIXED SERVICE) दे रहें है और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> |
| 5. | <p><u>SERVICE:-</u><br/>Health Services<br/>स्वास्थ्य सेवा (स्वास्थ्य सेवाओं से जो भी हिस्सा कर योग्य है )</p> | <p>1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं .</p>                       |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>2.यदि आप एक संयुक्त सप्लाई (COMPOSITE supply ) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> <p>3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SUPPLY) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> |
| 6. | <p><u>SERVICE:-</u><br/>Cosmetics and Plastic Surgery Service<br/>कॉस्मेटिक एवं प्लास्टिक सर्जरी</p> | <p>1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>1.यदि आप इसी सेवा को प्रदान करने के</p>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>व्यवसाय में लगे हुए हैं .</p> <p>2.यदि आप एक संयुक्त सप्लाई (COMPOSITE SUPPLY) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी उस सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> <p>3.यदि आप एक मिश्रित सप्लाई (MIXED SUPPLY) दे रहे हैं और अन्य सेवाओं और माल के साथ यह सेवा भी एक सप्लाई का अंग हो अर्थात उसमें शामिल हो.</p> |
| 7. | <p><u>SERVICE :-</u><br/>Membership of a club , health and fitness centre<br/>किसी क्लब या स्वास्थ्य एवं फिटनेस सेंटर की सदस्यता</p> | इस सेवा का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .   |
| 8. | <p><u>SERVICE:-</u><br/>Rent -a-cab, Life Insurance, Health Insurance Service</p>  | 1.सामान्यतया व्यापार के दौरान यदि इस सेवा का उपभोग कर कोई जी.एस.टी. कर चुकाया  |

|    |  |   |
|----|--|---|
|    |  | <p>गया है तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.जब सरकार इस प्रकार से इन सेवाओं के बारे में अधिसूचित करे कि एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को यह सेवा देना अनिवार्य हो.</li> <li>2. यही सर्विस आपकी आउटपुट सर्विस हो .</li> <li>3. यही सर्विस आपकी किसी सयुंक्त सप्लाई (composite supply ) या मिश्रित सेवा (MIXED SUPPLY ) का भाग हो .</li> </ol> |
| 9. | <p>सफ़र सम्बन्धी सेवाए जो कि कर्मचारियों को दी जाती है .<br/>Travelling Services (specially with reference to the travel benefits extended to the Employees.</p> | <p>इन सेवाओं पर लगने वाले जी.एस.टी. कर की इनपुट क्रेडिट सामान्य तौर पर यदि आप व्यापार के दौरान खरीदते है या काम में लेते है तो मिल जाएगी .</p>  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p><u>कब मिलेगी नहीं इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>जब की इन सेवाओं का उपयोग कर्मचारियों को छुट्टियों पर जाने या होम ट्रेवल कन्सेशन के लिए किया गया है .</p> <p>Travel benefits extended to employees on vacation such as Leave or Home Travel concession- No Input credit allowable.</p> |
| 10. | <p>माल एवं सेवाएं जिन्हें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो कि immovable property (प्लांट एवं मशीनरी के अलावा ) के construction में काम में लेते है .</p> | <p>इस सेवा की क्रेडिट नहीं मिलेगी .</p> <p><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u></p> <p>जब इसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की आउटपुट सेवा में इनपुट के रूप में इसे काम में लिया जाता है .</p>   |
| 11. | माल एवं सेवाएं जिन्हें   | इस सेवा की क्रेडिट  |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | immovable property के construction (प्लांट एवं मशीनरी के अलावा ) में जो कि स्वयं के लिए ही निर्मित करवाई है . | किसी भी परिस्थिती में नहीं मिलेगी .  |
| 12. | माल एवं सेवा जिस पर कर का भुगतान विक्रेता द्वारा धारा 10 अर्थात कम्पोजीशन डीलर के रूप में किया गया है .       | इस प्रकार खरीदे गए माल एवं सेवा की क्रेडिट किसी भी परिस्थिती में नहीं मिलेगी .<br>कम्पोजीशन डीलर्स से माल खरीदने पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है. |
| 13. | माल अथवा सेवा जब एक अनिवासी (Non resident )के द्वारा प्राप्त की गई हो.  | इस सेवा की क्रेडिट नहीं मिलेगी .<br><u>कब मिलेगी इनपुट क्रेडिट:-</u><br>जब कि इस माल को अनिवासी द्वारा आयात किया गया हो.                         |
| 14. | माल या सेवा का उपयोग जब व्यापार में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से किया गया हो .                                 | इस सेवा की क्रेडिट किसी भी परिस्थिती में नहीं मिलेगी .   |
| 15. | जिस माल पर आपने कर का   | इस माल की क्रेडिट  |

|  |  |
|--|--|
| <p>भुगतान किया है वह :-</p> <p>(i). खो जाता है ;</p> <p>(ii). चोरी हो जाता है ;</p> <p>(iii). नष्ट हो जाता है ;</p> <p>(iv). बिना बेचे समाप्त हो जाता है ; या</p> <p>(v). उपहार या मुफ्त नमूने के तौर पर (gift or free sammple) दे दिये गये हो .</p> | <p>किसी भी परिस्थिती में नहीं मिलेगी .</p> |
|--|--|

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 16. | <p>धारा 74 (Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input credit wrongly availed or utilised by reason of fraud or any willful misstatement or suppression of facts) धारा 129 (Detention , seizure and release of Goods and conveyance in transit) एवम धारा 130 (Confiscation of goods or conveyance and levy of penalty) के तहत कर का भुगतान किया गया है</p> | <p>इस तरह से भुगतान किये गये कर की क्रेडिट किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगी .</p> <p>- ये सभी कर चोरी से सम्बंधित मामले हैं और इनमें चुकाए गए कर की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .</p> <p>*</p> |
|-----|--|---|

\*

अन- रजिस्टर्ड डीलर द्वारा माल या सेवा की सप्लाई - कर भुगतान  
रिवर्स चार्ज के अधीन  
REVERSE CHARGE PROVISIONS

रिवर्स चार्ज

एक पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में जो कि एक एक अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जो पंजीकृत नहीं है की जाती है उस पर प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति के द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जायगा.

इस प्रकार के प्राप्तकर्ता पर इस अधिनियम के समस्त प्रावधान उसी प्रकार से लागू होंगे जो कि वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है पर लागू होते हैं .

-जी.एस.टी. कानून की धारा 9(4).

1.रिवर्स चार्ज को लेकर एक बड़ी राहत

एक डीलर यदि एक दिन में 5000.00 रुपये तक की कुल खरीद या सप्लाई अन-रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त करता है तो ऐसे डीलर को रिवर्स चार्ज से मुक्त रखा गया है.

यहाँ यह ध्यान रखें कि यह खरीद पूरे दिन की हो और विभिन्न अन रजिस्टर्ड डीलर्स से हुई खरीद को एक साथ जोड़ कर यह 5000.00 की सीमा माने जायेगी और इससे ज्यादा खरीद या सप्लाई होने पर

प्रतिदिन बिल काटने की जगह महीने में एक बिल काटना होगा .  
यों भी रिवर्स चार्ज का कोई विशेष वित्तीय असर नहीं होता है क्यों कि इसकी इनपुट क्रेडिट , जहाँ भी क्रेडिट स्वीकृत हो सकती है , वापिस मिल जाती है लेकिन इस छूट से बहुत से डीलर्स को प्रक्रिया संबंधी उलझनों से छुटकारा मल जाएगा.

इसके लिए कृपया निम्नलिखित नोटिफिकेशन देखें :-

-Notification No. 8/2017 Dated 28<sup>th</sup> June 2017

2. यदि सेकंड हैंड वस्तु खरीदते हैं और बेचते समय उस पर कर चुका देते हैं तो इसकी खरीद अन-रजिस्टर्ड डीलर से होने पर भी धारा 9(4) के रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी , यदि खरीदने वाला इसी माल की खरीद एवं बिक्री के कार्य में सलग्न है -Notification No. 10/2017 Dated 28<sup>th</sup> June 2017.

3. इस नोटिफिकेशन का लाभ कम्पोजीशन डीलर्स नहीं ले सकते हैं क्यों कि कम्पोजीशन रूल के नियम संख्या 5(1)(d) के अनुसार कम्पोजीशन डीलर यदि अनरजिस्टर्ड से इनवर्ड सप्लाई प्राप्त करते हैं तो उन्हें रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा यदि उन्हें कम्पोजीशन स्कीम के तहत लेना है.

Rule 5(1)(d):-Conditions and Restirctions for Composition levy (1) The Persons exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions namely:-

(a).(b).(c ) .....

(d).he shall pay tax under Section (3) or (4) of section 9 on inward supply of goods or services or both.

इस बारे में आगे लेखक की टिप्पणी भी पढ़ें और सरकार के आगे

आने वाले स्पष्टीकरण का भी इन्तजार करें .

कम्पोजीशन का एक व्यावहारिक पक्ष है कि इसके दौरान एक कर का तो निर्धारित जो दर होती है उसके अनुसार भुगतान किसी भी तरह से होना है और इसके बाद ही कम्पोजीशन कर का भुगतान होता है इसलिए इस प्रकार जो नोटिफिकेशन कम्पोजीशन डीलर को “एक कर” के भुगतान से रोक रहें हो सकता है वे कम्पोजीशन की मूल भावना के विरुद्ध हो या फिर हमारी सरकार की भावना ही इस तरह की छुट देने की हो इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार के स्पष्टीकरण से ही स्थिती साफ़ होगी.

जी.एस.टी. के दौरान सामान्यतया कर का भुगतान माल या सेवा की सप्लाई करने वाले को करना होता है लेकिन इस कानून के तहत कुछ प्रावधान इस तरह से भी बनाए गए हैं जिनके अनुसार कर का भुगतान माल और सेवा के प्राप्तकर्ता को करना होगा.

इसी में से एक है अनरजिस्टर्ड डीलर द्वारा सप्लाई की गई सेवा और माल पर प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करना जिसे सी. जी.एस.टी. कानून की धारा 9 (4) में बताया गया है और इसी तरह के कानून आई.जी.एस.टी. एवं एस.जी.एस.टी. कानून में भी है .

जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 (4) में अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद पर खरीददार को कर चुकाने का प्रावधान है जिसे रिवर्स चार्ज कहा जाता है जिसके तहत माल और सेवाएं दोनों ही आती है . आइये इस प्रावधान का अध्ययन करें जो आने वाले समय में आपके व्यापार

को प्रभावित करेगी लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर्स के व्यापार को भी प्रभावित करेगी.

अभी तो आपको क्यों कि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते हैं तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है क्यों कि आप इस खरीद पर किसी भी तरह का कर नहीं देते हैं लेकिन अब यह प्रक्रिया जी.एस.टी. के दौरान बदल जायेगी.

जी.एस.टी. के दौरान यदि आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते हैं तो आपको इस पर रिवर्स चार्ज के तहत कर भरना होगा और यह कर आपको केश लेजर से जमा करना होगा और इस प्रकार आपका जो भी आउटपुट बनेगा उसके साथ यह जमा कर समायोजित हो जाएगा इस प्रकार जब भी आप रिवर्स टैक्स के दौरान कर जमा कराएंगे तो आपके टैक्स जमा में यह राशि चली जायेगी और इसका कोई वित्तीय नुकसान आपको नहीं होगा. लेकिन यदि इस टैक्स की इनपुट लेने के योग्य नहीं है तो यह कर आपको भुगतना होगा.

क्या रिवर्स चार्ज के प्रावधान कम्पोजीशन डीलर्स पर भी लागू होंगे ?

-हाँ यदि आप कम्पोजीशन डीलर हैं और आप अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदते हैं तो भी आपको इसी रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाना होगा और यह कर चुकाने के बाद आपको कम्पोजीशन कर का भी भुगतान करना होगा.

क्या सेवाओं की प्राप्ती पर जो की अन रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त की जाती है पर भी यह प्रावधान लागू होगा.

हाँ , यदि सेवाएं जो कि अन रजिस्टर्ड डीलर्स से प्राप्त की जाती है उनपर भी यह प्रावधान लागू होगा और ऐसी सेवाएं को प्राप्त करने वाले रजिस्टर्ड डीलर्स को भी रिवर्स चार्ज के तहत कर चुकाना होगा.

क्या इस प्रकार से चुकाये हुए कर की इनपुट क्रेडिट भी मिलेगी ?

हाँ इस तरह से चुकाए हुए कर की इनपुट क्रेडिट जहाँ भी मिलने योग्य होगी उसी तरह से मिलेगी जैसे कि रजिस्टर्ड डीलर्स की खरीद पर मिलती है .

क्या अनरजिस्टर्ड डीलर के द्वारा सप्लाई की गई हर वस्तु एवं सेवा पर रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान करना होगा.

हाँ यदि रजिस्टर्ड डीलर किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल या सेवाएं प्राप्त करता है तो उसे रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा और यह प्रावधान माल और सेवाओं दोनों पर लागू होगा.

जिन सेवाओं या माल पर इनपुट क्रेडिट स्वीकृत नहीं है क्या उनपर भी रिवर्स चार्ज के तहत कर देना होगा.

हाँ जिन सेवाओं के पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है उनपर भी रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा और वह माल या सेवा की लागत में जुड़ जाएगा .

क्या व्यवसाय में चाय , नाश्ता और स्टेशनरी की सप्लाई पर भी रिवर्स टैक्स के अनुसार कर देना होगा.

व्यवसाय में चाय , नाश्ता और स्टेशनरी की सप्लाई पर भी रिवर्स

टैक्स के अनुसार कर देना होगा .

इस प्रावधान को एक विस्तृत व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाइये ?

देखिये इसे हम एक उस व्यापारी के सन्दर्भ में समझते हैं जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर से 50000.00 रुपये का ऐसा माल खरीदते हैं जिस पर कर की दर 12 प्रतिशत है जिसमें से 6 प्रतिशत केंद्र का कर है और 6 प्रतिशत राज्य का कर है.

आइये अब इस व्यवहार में किस तरह से रिवर्स चार्ज काम करेगा . इस खरीद पर रिवर्स चार्ज का प्रावधान लागू होगा और खरीददार इस खरीद पर 6 प्रतिशत की दर से 3000.00 रुपये एस.जी.एस.टी और 3000.00 रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में चुकायेंगे और आपके द्वारा चुकाया गया यह कर आपको इनपुट क्रेडिट के रूप में अपने रिटर्न में वापिस मिल जाएगा. इसके लिए आप अपने आप को ही एक बिल काटेंगे और इस तरह से रिवर्स चार्ज की यह प्रक्रिया पूरी होगी.

क्या कम्पोजीशन डीलर्स को भी इस तरह से किये गए भुगतान का इनपुट क्रेडिट मिलेगा .

कम्पोजीशन डीलर्स को किसी भी खरीद पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है इसलिए रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान का भी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा.

क्या यह प्रावधान अनरजिस्टर्ड डीलर के व्यवसाय को प्रभावित करेगा.

हाँ . अब रजिस्टर्ड डीलर्स अनरजिस्टर्ड डीलर्स से माल खरीदने आर जुड़ी हुई प्रक्रियाओं से बचने के लिए उनसे माल खरीदने या

सेवाएं प्राप्त करने की जगह अब रजिस्टर्ड डीलर्स से ही माल एवं सेवाएं प्राप्त करें को प्राथमिकता देंगे और निश्चित रूप से यह अनरजिस्टर्ड डीलर्स के व्यापार को प्रभावित करेगी .

अनरजिस्टर्ड डीलर्स के लिए अब क्या उपाय है कि उनका व्यापार जी.एस.टी. के दौरान इस प्रावधान के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो ?

जो डीलर्स रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ काम करते हैं अर्थात उन्हें माल बेचते हैं या उन्हें सेवाएं देते हैं उन्हें अब थ्रेशहोल्ड लिमिट (20 लाख रुपये ) का ध्यान रखे बिना अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए.

रिवर्स चार्ज के लिए जिस भी खरीद या सप्लाई पर आपको कर चुकाना है उसके लिए माह में केवल एक बिल भी बना कर भी अपना दायित्व पूरा कर सकते हैं .

## अकाउंटिंग एंट्रीज़ किस तरह से करेंगे

आइये एक उदाहरण के जरिये रिवर्स चार्ज और उसकी अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करें

अ एक रजिस्टर्ड डीलर है और वह अपने व्यापार के दौरान एक दिन में निम्नलिखित खरीद अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद की है :-

|           |          |
|-----------|----------|
| कच्चा माल | 15000.00 |
| जॉब वर्क  | 7500.00  |

इसके अगले दिन वह निम्न लिखित सेवा प्राप्त करता है :-

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी | 4000.00 |
|--------------------------|---------|

कच्चे माल पर कर की दर 12%, जॉब वर्क पर कर की दर 18% एवं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर कर की दर 5% है इसलिए इन सभी पर आपको रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान करना है :-

| जी.एस.टी. की धारा | माल एवम सेवा             |
|-------------------|--------------------------|
| Section9(4)       | कच्चा माल                |
| Section9(4)       | जॉब वर्क                 |
| Section 9(3)      | गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी |

| माल एवं सेवा | रकम | कर की | कर | विक्रेता /सेवा | सप्लाई का स्थान |
|--------------|-----|-------|----|----------------|-----------------|
|--------------|-----|-------|----|----------------|-----------------|

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 97

| विवरण                   |          | दर |                | प्रदाता |               |
|-------------------------|----------|----|----------------|---------|---------------|
| कच्चा माल               | 15000.00 | 12 | 1800.00        | A       | ब्यावर (राज.) |
| जॉब वर्क                | 7500.00  | 18 | 1350.00        | B       | ब्यावर (राज.) |
| जी.टी.ए.<br>ट्रांसपोर्ट | 4000.00  | 5  | 200.00         | C       | ब्यावर (राज.) |
| <b>TOTAL</b>            |          |    | <b>3350.00</b> |         |               |

| <b>On Purchases/Receipts of Goods and Services</b> |            |                 |                 |
|--|------------|-----------------|-----------------|
| Raw Material a/c                                   | <b>Dr.</b> | 15000.00        |                 |
| To A a/c   | <b>Cr.</b> |                 | 15000.00        |
| <b>Total</b>                                       |            | <b>15000.00</b> | <b>15000.00</b> |
| SGST a/c   | <b>Dr</b>  | 900.00          |                 |
| CGST a/c   | <b>Dr.</b> | 900.00          |                 |
| To REVERSE CHARGE                                  | <b>Cr.</b> |                 | 1800.00         |
| <b>Total</b>                                       |            | <b>1800.00</b>  | <b>1800.00</b>  |
| Job Work a/c                                       | <b>Dr.</b> | 7500.00         |                 |
| To B a/c   | <b>Cr.</b> |                 | 7500.00         |
| <b>Total</b>                                       |            | <b>7500.00</b>  | <b>7500.00</b>  |
| SGST a/c   | <b>Dr</b>  | 675.00          |                 |
| CGST a/c   | <b>Dr.</b> | 675.00          |                 |
| To REVERSE CHARGE                                  | <b>Cr.</b> |                 | 1350.00         |
| <b>Total</b>                                       |            | <b>1350.00</b>  | <b>1350.00</b>  |

|                               |                |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Transportation a/c            | <b>Dr.</b>     | 4000.00        |                |
| To C a/c                      | <b>Cr.</b>     |                | 4000.00        |
| <b>Total</b>                  |                | <b>4000.00</b> | <b>4000.00</b> |
| SGST a/c                      | <b>Dr</b>      | 100.00         |                |
| CGST                          | <b>Dr.</b>     | 100.00         |                |
| To REVERSE CHARGE             | <b>Cr.</b>     |                | 200.00         |
| <b>Total</b>                  |                | <b>200.00</b>  | <b>200.00</b>  |
| REVERSE CHARGE a/c            | <b>Dr.</b>     | 3350.00        |                |
| To Bank a/c                   |                |                | 3350.00        |
| <b>Total</b>                  |                | <b>3350.00</b> | <b>3350.00</b> |
| <b>REVERSE CHARGE ACCOUNT</b> |                |                |                |
| To Bank                       | 3350.00        | By SGST        | 900.00         |
|                               |                | By CGST        | 900.00         |
|                               |                | By SGST        | 675.00         |
|                               |                | By CGST        | 675.00         |
|                               |                | By SGST        | 100.00         |
|                               |                | By CGST        | 100.00         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>3350.00</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>3350.00</b> |
| <b>SGST ACCOUNT</b>           |                |                |                |
| To REV CHARGE                 | 900.00         |                |                |
| To REV CHARGE                 | 675.00         |                |                |
| To REV CHARGE                 | 100.00         |                |                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1675.00</b> |                |                |
| <b>CGST ACCOUNT</b>           |                |                |                |
| To REV CHARGE                 | 900.00         |                |                |

|               |                |  |  |
|---------------|----------------|--|--|
| To REV CHARGE | 675.00         |  |  |
| To REV CHARGE | 100.00         |  |  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1675.00</b> |  |  |

### रिवर्स चार्ज अकाउंट्स में क्रिएट करना

आप रिवर्स चार्ज से सम्बंधित एंट्री को उसी दिन कर लें जब आप माल या सेवा प्राप्त करते हैं भले ही इसके लिए आप बिल माह में एक बार समस्त सेवा एवं खरीद को मिलाते हुए एक साथ बनाए अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके दायित्व का आपको पता नहीं लगेगा और माह के आखिर में आप बिल बनाते समय आपको इससे मदद मिलेगी . यहाँ ध्यान रखें कि रिवर्स चार्ज का बिल आपको ही अपनी बिल बुक से बनाना है .

इसे आप अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन जिन सेवाओं और वस्तुओं को आप प्राप्त करते हैं उनकी प्रविष्टी तो आपको तभी करनी होगी जब अन-रजिस्टर्ड डीलर आपको बिल देता है इसलिए यह उचित रहेगा कि उसी दिन रिवर्स चार्ज को भी क्रिएट कर लिया जाए चाहे आप उसके लिए अपना बिल माह के अंत में काटे और टैक्स का भुगतान भी सरकार को निर्धारित तिथी पर करें.

## कृपया ध्यान रखें

1. 5000.00 प्रतिदिन की छूट जो रिवर्स चार्ज से दी गई है वह धारा 9(4) के तहत ही है एवं ट्रांसपोर्ट एजेंसी का रिवर्स चार्ज धारा 9(3) के तहत है अतः 5000.00 प्रतिदिन की जो छूट है वह ट्रांसपोर्ट पर उपलब्ध नहीं है.
2. जो डीलर कम्पोजीशन में है उन्हें भी अपनी अन रजिस्टर्ड डीलर्स से खरीद पर रिवर्स चार्ज के तहत भुगतान करना ही होगा चाहे उनकी खरीद प्रतिदिन 5000.00 रुपये से कम हो. -

### **रूल 5(1)(d)कम्पोजीशन रूल्स 2017**

3. रिवर्स चार्ज का भुगतान आपको करना ही होगा चाहे आपका इनपुट क्रेडिट बकाया क्यों नहीं रखा हो अर्थात इसका भुगतान आपको केश में ही करना होगा इसे आप अपने रखे हुए इनपुट क्रेडिट से एडजस्ट नहीं कर सकते है .
4. रिवर्स चार्ज पर खरीद का आपको एक बिल काटना होगा जो कि आपका ही बिल होगा और इस आप अपने पर ही काटेंगे. खरीद की एंट्री आप ऊपर बताये अनुसार कर चुके है इसलिए इस बिल की कोई अलग से एंट्री नहीं होगी लेकिन इसे आप अपना आउट पुट टैक्स जमा कराते समय और इनपुट टैक्स क्लेम करते समय रिटर्न में दिखायेंगे.

“कम्पोजीशन का एक व्यवहारिक पक्ष है कि इसके दौरान एक कर का तो निर्धारित जो दर होती है उसके अनुसार भुगतान किसी भी तरह से होना है और इसके बाद ही कम्पोजीशन कर का भुगतान

होता है इसलिए इस प्रकार जो नोटिफिकेशन कम्पोजीशन डीलर को “एक कर” के भुगतान से रोक रहें हो सकता है वे कम्पोजीशन की मूल भावना के विरुद्ध हो या फिर हमारी सरकार की भावना ही इस तरह की छुट देने की हो इसलिए इस सम्बन्ध में सरकार के स्पष्टीकरण से ही स्थिती साफ़ होगी.”

## अध्याय -8

### जी.एस.टी. और इनपुट क्रेडिट का मिसमैच GST- MISMATCH OF INPUT CREDIT

जब आप किसी विक्रेता से माल खरीदते हैं या सेवा प्रदाता से सेवा लेते हैं तो वे आपसे जो टैक्स चार्ज करते हैं और बिल जारी करते हैं लेकिन या तो वे अपना कर समय पर नहीं भरते हैं या आपको बेचे गए माल या प्रदान की गई सेवा को अपने आउटवर्ड सप्लाइ के रिटर्न में समुचित रूप से नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको वह पूरी तरह से नहीं मिलती है और एक मिसमैच क्रेडिट हो जाता है जो की आपके अर्थात् खरीददार के लिए एक समस्या है . यह समस्या वेट में भी थी और अब जी.एस.टी. में भी रहेगी .

आइये इसे एक सवाल के जरिये समझे कि क्या है ये मिसमैच की समस्या और किस तरह इसे जी.एस.टी. के कानूनों में इसका निवारण है और कब तक ये समस्या खरीददार के लिए बनी रहेगी.

प्रश्न :-

इस समय हमारे राज्य में जो वेट लागू है उसमें मिसमैच एक बहुत ही बड़ी समस्या है और जब हमारा कर निर्धारण हो जाता है तो जो कर हमारे विक्रेता नहीं जमा कराते हैं या हमें बेचे गए माल की विगत नियमानुसार अपने रिटर्न में नहीं देते हैं तो यह कर हमारे खाते में मिस मैच आ जाता है और यह कर हमसे ब्याज सहित माँगा जाता है .

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 103

- क्या जी.एस.टी. के दौरान भी यह समस्या बनी रहेगी ?
- यदि आपके विक्रेता आप को बेचे गए माल पर कर नहीं चुकाते हैं या इसकी विगत अपने बिक्री के रिटर्न में समुचित रूप से नहीं दिखाते हैं तो आपको यह मौका मिलेगा कि आप इसमें जब यह आपके खरीद के रिटर्न में अपने आप आये तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन यदि यह संशोधन आपके विक्रेता द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो यह एक मिसमैच होगा और इसे आपको एवं आपके विक्रेता को रिटर्न भरने की अंतिम तिथी के बाद सूचित कर दिया जाएगा और जिस माह में आपको सूचित किया जाता है उस माह में इस मिसमैच का निस्तारण नहीं होता है तो यह खरीददार के उस माह से अगले माह कर में जोड़ दिया जाएगा और इसे आपको जमा कराना होगा.
- इस तरह अब सरकार मिसमैच को लेकर लंबा इन्तजार करने को तैयार नहीं है .
- इस तरह से जब विक्रेता अपने रिटर्न सही करके इनपुट क्रेडिट देगा तब यह क्रेडिट फिर से आपको मिल जायेगी .
- लेकिन अब आपको माल खरीदते वक्त सतर्क रहना होगा और आपके विक्रेताओं को भी प्रेरित करना होगा कि वे समय पर कर जमा कराएं और रिटर्न सही-सही भरे और इसके साथ ही आप जहाँ विक्रेता है वहाँ आप भी अपने रिटर्न सही - सही भरें ताकि आपके क्रेता किसी परेशानी में नहीं पड़े.

\*

## आइये देखें कैसे बनेगा जी.एस.टी. में बिल GST- INVOICE

जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया है और इस दौरान सबसे पहला काम जो डीलर्स को करना है वह है बिल या इनवॉइस बनाना तो आइये देखें कि जी.एस.टी. का बिल किस तरह कटेगा.

मान लीजिये बाकी सभी जी.एस.टी. से जुडी प्रक्रियाओं के लिए तो आपको समय मिल जाएगा लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद को ज्यों ही आप अपने तो व्यवसाय स्थल पर पहुंचेंगे या पहुंचें होंगे तो आपका जो पहला ग्राहक आपसे माल खरीदने पहुंचा होगा तो जी.एस.टी. से जुडी पहली प्रक्रिया के रूप में आपको एक बिल काटना पड़ा होगा तो आइये बात करें कि जी.एस.टी. के दौरान पहली प्रक्रिया के रूप में आप टैक्स इनवॉइस या बिल किस तरह से अच्छी तरह से बना सकेंगे .

पहले हम देखें कि जी.एस.टी. कानून के तहत बिल से सम्बन्धित प्रावधान धारा 31 में दिए हुए हैं और इस सम्बन्ध में रूल्स जी.एस.टी. कौंसिल द्वारा अनुमोदित कर दिए गए हैं तो आइये इस कानून और जी.एस.टी. कौंसिल के द्वारा अनुमोदित रूल्स की सहायता से देखें कि एक आम डीलर किस तरह से जी.एस.टी. का पहला टैक्स इनवॉइस या बिल काटेगा. सबसे पहले तो आप यह ध्यान कर लें कि जी.एस.टी. के दौरान कम्प्यूटर से टैक्स इनवॉइस बिल बनाना कोई जरूरी नहीं है यदि आप चाहे तो बिल कंप्यूटर की सहायता से काट सकते हैं और ऐसा नहीं चाहे तो आप अपनी बिल बुक छपवा कर भी काम चला सकते हैं .

एक दूसरा भ्रम यह है कि आपको प्रत्येक टैक्स इनवॉइस या बिल जी.एस.टी. के पोर्टल पर जाकर बनाना है यह भी सही नहीं है . आपको सिर्फ टैक्स इनवॉइस या बिल की विगत जो रजिस्टर्ड डीलर को आपने काटा है कि विगत अपने सप्लाय के रिटर्न में जिस माह में बिक्री हुई है उसके अगले माह की 10 तारीख तक देनी है ताकि आपका खरीददार इसकी क्रेडिट ले सके .

आइये हम सबसे पहले विचार करें एक ऐसी सप्लाय का जो आप अपने ग्राहक को उसी राज्य में करे रहें है जहाँ आप का व्यवसाय स्थल है तो आपकी यह बिक्री “राज्य के भीतर बिक्री” या इंटरास्टेट बिक्री कहलाएगी और जैसा कि हम पहले ही कई बार बता चुके है कि इस बिक्री पर आपको दो कर यानि राज्य का जी.एस.टी. - एस.जी.एस.टी. एवं केंद्र का जी.एस.टी. सी.जी.एस.टी वसूल करना है .

आइये अब उदाहरण के लिए आपका व्यापार भी तय कर देते हैं - समझ लीजिये कि आप रेडीमेड कपड़ों का काम करते है और आपका पहला ग्राहक आपसे 100 शर्ट्स खरीदता है जो प्रति शर्ट आपकी बिक्री की कीमत 1100 रूपये है इस प्रकार कर की दर 12% होगी जिसमें से मान लें कि राज्य का जी.एस.टी. 6 प्रतिशत ही और केंद्र का जी.एस.टी. भी 6 प्रतिशत है तो आपके बिल के लिए आंकड़े इस प्रकार से बनेगें :-

| माल का विवरण        | शर्ट्स     |
|---------------------|------------|
| मात्रा              | 100        |
| कीमत प्रति शर्ट     | 1100 रूपये |
| कुल कीमत            | 110000.000 |
| राज्य का जी.एस.टी.  | 6600.00    |
| केंद्र का जी.एस.टी. | 6600.00    |
| कुल बिल की रकम      | 123200.00  |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| आपका जी.एस.टी.एन      | 08AAAPP5715M1Z3 |
| ग्राहक का जी.एस.टी.एन | 08SSSPS7325M1Z3 |

ये सारी सूचनाएं वे हैं जिनके आधार पर आप अपना जी.एस.टी. का बिल काट सकते हैं . आइये देखें कि जी.एस.टी. का बिल बनाते समय कौनसी - कौनसी सूचनाये आपको बिल में भरनी है :-

|  |
|--|
| 1.सप्लाई करने वाले का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर   |
| 2. बिल का सीरियल नंबर  |
| 3. बिल जारी करने की तारीख  |
| 4.सप्लाई प्राप्त कर्ता का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर (यदि रजिस्टर्ड है तो )  |
| 5.यदि सप्लाई प्राप्तकर्ता अन-रजिस्टर्ड है, सप्लाई प्राप्तकर्ता का नाम, पता एवं डिलीवरी का पता यदि करयोग्य सप्लाई की कीमत 50000.00 रुपये से अधिक है और यदि सप्लाई की कीमत 50 हजार से कम है तो यदि आपका खरीददार ऐसा चाहता है तो आपको यह सूचनाएं बिल / इनवॉइस में देनी है.<br>बिल में किसी भी प्रकार से ग्राहक का पेन नंबर या आधार नंबर देने की जरूरत नहीं है . |
| 6.एच.एस.एन.कोड:-<br>Turnover less than 1.5 crores- HSN code is not required to be mentioned<br>Turnover between 1.5 -5 crores can use 2-digit HSN code<br>Turnover above 5 crores must use 4-digit HSN code  |
| 7.माल का विवरण   |
| 8.माल की मात्रा  |
| 9.माल की कुल कीमत  |
| 10. कर की दर:- एस.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी. कर की दर   |

|  |
|--|
| 11. कर की रकम  |
| 12. माल के सप्लाई की जगह एवं राज्य यदि आपकी सप्लाई आपके राज्य से दूसरे राज्य में है.                                       |
| 13.माल की डिलीवरी का पता यदि यह पता सप्लाई के पते से अलग है.   |
| 14.क्या कर रिवर्स चार्ज के तहत चुकाया गया है .   |
| 15.डीलर के दस्तखत या डीलर के डिजिटल सिग्नेचर . (बिल पर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है केवल दस्तखत से भी काम चल सकता है ) |

### कम्पोजीशन डीलर बिल किस तरह से बनाएँगे

कम्पोजीशन डीलर टैक्स इनवॉइस नहीं बल्कि बिल ऑफ सप्लाई बनायेंगे . यहाँ यह ध्यान में रखें कि कम्पोजीशन डीलर्स किसी तरह का कर अपने बिल ऑफ सप्लाई में अलग से वसूल नहीं कर पाएंगे . आइये देखें कि कम्पोजीशन डीलर्स का जारी किये हुए बिल में क्या -क्या सूचनाये होंगी :-

|  |
|--|
| 1.सप्लाई करने वाले का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर   |
| 2. बिल का सीरियल नंबर  |
| 3. बिल जारी करने की तारीख  |
| 4.सप्लाई प्राप्त कर्ता का नाम, पता एवं जी.एस.टी.एन. नंबर (यदि रजिस्टर्ड है तो )              |
| 5.यदि इस प्रकार से छुट हुई तो कम्पोजीशन डीलर्स को एच.एस.एन. कोड देने की जरूरत ही नहीं होगी . |
| 6.माल का विवरण   |
| 7.माल की मात्रा  |
| 8.माल की कुल कीमत  |

9. डीलर के दस्तखत या डीलर के डिजिटल सिग्नेचर . (बिल पर डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य नहीं है )

कुछ विशेष बातें जो बिल जारी करते समय ध्यान रखें :-

1.जो भी आप बिल जारी करेंगे वो तीन प्रतियों में होगा - ORIGINAL FOR RECEIPT

2.द्वितीय प्रति पर आप लिखेंगे - DUPLICATE FOR TRANSPORTER

3.तृतीय प्रति पर आप लिखेंगे - TRIPLICATE FOR SUPPLIER

ये तीनों प्रतियों पर आप पहले से छपवा कर ही रखें .

यदि आपकी सप्लाइ का एक बिल 200.00 रूपये से कम की है तो यह जरूरी नहीं है कि आप इस तरह की हर सप्लाइ पर अलग बिल बनाये . इसका आप पूरे दिन का एक ही बिल इस तरह की सारी सप्लाइ को मिलाकर बना सकते है बशर्ते कि :-

1. यह सप्लाइ रजिस्टर्ड डीलर्स को नहीं हो- यदि सप्लाइ रजिस्टर्ड डीलर को है तो प्रत्येक बिल इस तरह की सप्लाइ का अलग से काटना होगा अन्यथा रजिस्टर्ड डीलर को इनपुट क्रेडिट किस तरह से मलेगी.

2. यदि क्रेता को बिल की आवश्यकता नहीं हो - यदि क्रेता माल की खरीद का बिल मांगता है तो उसे अलग से बिल देना ही होगा.

आपके लिए जी.एस.टी. में एक विशेष बात और है जो ध्यान में रखनी आवश्यक है और वह है कि जब आप माल या सेवा के लिए एडवांस भुगतान प्राप्त करते है तो आपकी उस एडवांस रकम पर कर की जिम्मेदारी हो जाती है अर्थात जब भी आप एडवांस प्राप्त करेंगे तो आपको उसी माह में उस पर कर चुकाना है चाहे सप्लाइ अगले माह हुई है .

इसके लिए आप एक रसीद वाउचर जारी करेंगे. इसे भी आप एक उदाहरण के जरिये समझ लें :-

आपको जुलाई माह में 100 शर्ट का 1100 रुपये शर्ट के हिसाब से आर्डर मिला है और इसके लिए 50000.00 रुपये एडवांस मिले . आप इस माल की सप्लाई अगस्त में करेंगे. इस प्रकार यह व्यवहार कुल 110000.00 रुपये का हुआ है .

- इस व्यवहार में आपको 50000.00 रुपये पर तो कर जुलाई माह में जोड़ना होगा जिसका भुगतान अगले माह यानि अगस्त में आप करेंगे और शेष 60000.00 रुपये पर कर का भुगतान अगस्त माह में जोड़े हुए सितम्बर में करेंगे.

एडवांस प्राप्ति के लिए जारी वाउचर में भी लगभग वही डिटेल्स होगी (जो रसीद के लीये लागू होती है ) जो टैक्स इनवाँइस में होती है .

\*

## अध्याय -10

### ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल )

### E-WAY BILL

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ) के बारे में व्यापार एवं उद्योग की राय कोई अच्छी नहीं है और वे इसे हटाने या केवल दो राज्यों के बीच व्यापार में लगाए जाने की सलाह दे रहे हैं . इसके अतिरिक्त वे 50000.00 रुपये की सीमा को भी 5.00 लाख रुपये करने की मांग कर रहे हैं .

डीलर्स के लिए थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू हो गया है तो भी ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल) अक्टूबर 2017 लागू नहीं होगा क्यों कि इसके लिए जी.एस.टी.एन का सिस्टम तैयार नहीं है इसलिए फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है लेकिन राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे अपने रोड परमिट जारी रख सकते हैं . ई-वे बिल लागू होने की अंतिम रूप से घोषणा होने तक इस बिल का इंतजार ही करना होगा.

बहुत से राज्यों ने इस प्रकार से जारी रोड परमिट समाप्त कर दिए हैं लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी जारी है.

यहाँ हमारी ई -वे बिल को लेकर जो चर्चा है वह ई - वे बिल को लेकर जो ड्राफ्ट रूल्स जारी हुए थे उनके आधार पर है इसका अंतिम नतीजा तभी निकलेगा जब कि सरकार अंतिम रूप से ई -वे रूल्स जारी करेंगे.

आइये देखें की इस समय इ-वे बिल के रूस में क्या लिखा है :-

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 111

### 138. E-way rule

Till such time as an E-way bill system is developed and approved by the Council, the Government may, by notification, specify the documents that the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods shall carry while the goods are in movement or in transit storage.

इसका अर्थ यह है कि अभी तक ई-वे बिल के लिए जी.एस.टी.एन. का सिस्टम तैयार नहीं है और तब तक सरकार अधिसूचना जारी कर यह सुनिश्चित कर सकती है कि माल के परिवहन के समय किस तरह के डॉक्यूमेंट्स साथ में चाहिए .

आइये ई-वे के प्रावधान जो ड्राफ्ट रूल्स में दिए गए थे उनका अध्ययन करें :-

जी.एस.टी. के दौरान एक प्रावधान वे- बिल जारी करने के सम्बन्ध में है जिसके लिए जो ड्राफ्ट रूल्स जारी किये गए हैं उससे व्यापारी वर्ग एवं डीलर्स में एक बहुत बड़ी हलचल है और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि एक तो इस समय जो समाचार मिल रहे हैं उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं पर लागू है और दूसरा इसकी सीमा केवल 50000.00 रुपये है जो कि व्यापार और उद्योग जगत के हिसाब से बहुत कम है .

आइये देखें कि यह प्रावधान क्या है और आपसे विस्तार से चर्चा करें कि ई-वे बिल को लेकर आपकी जो आशंकाएं हैं वो कितनी सच हैं और अब सरकार को वास्तव में इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए . इस सम्बन्ध में आपके सवाल भी हैं आइये उन्हें पहले ले लेते हैं :-

प्रश्न :-

क्या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल अभी जारी रोड परमिट की तरह ही है ?  
क्या यह केवल दो राज्यों के बीच व्यापार पर ही लागू होगा या राज्य के भीतर बिक्री पर भी लागू होगा ?

हाँ आप यह मान सकते हैं कि यह एक तरह से रोड परमिट ही है .  
लेकिन अभी तक जारी रोड परमिट जारी है वे दो राज्यों के बीच हुए व्यापार में ही लागू होते हैं और कई राज्यों में यह केवल विशिष्ट वस्तुओं पर ही लागू है लेकिन ईवे-बिल राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों बिक्री पर लागू है और सभी वस्तुओं पर लागू होगा .  
व्यापार एवं उद्योग जगत की यह उम्मीद थी कि जी.एस.टी. के दौरान रोड परमिट नाम की कोई बाधा नहीं होगी लेकिन उनकी यह उम्मीद तो पूरी नहीं हुई बल्कि इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है .

प्रश्न :-

इस फॉर्म को किस रकम के बिल पर जारी करना होगा

50000.00 रुपये से अधिक के प्रत्येक जिसमें माल का मूवमेंट हो रहा है उस पर यह इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी करना होगा चाहे यह मूवमेंट माल की सप्लाई के लिए हो या किसी और कारण से.

आप यह मान कर चले कि 50000.00 रुपये से अधिक का माल बिना इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के मूव नहीं कर पायेगा. अब आप इस मूव का अर्थ मॉल को बेचना और भेजना दोनों ही लगा सकते हैं और चूँकि यह मूव सप्लाई के अलावा भी सारे माल के मूवमेंट को कवर करता है इसलिए अभी तक जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार

50000.00 रूपये के अधिक के माल के हर मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी करना होगा .

प्रश्न :-ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल कहाँ से जारी होगा ?

ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जी.एस.टी. कॉमन पोर्टल से जारी होगा और आपको इसे कंप्यूटर और इन्टरनेट की मदद से जारी करना होगा. इस इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के लिए बिल/ चालान की विगत तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद या तो आप, अथवा आपका या खरीददार के ट्रांसपोर्टर द्वारा बिल की अपलोड की गई विगत से इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी करेंगे .

प्रश्न :-क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल रास्ते में भी चेक होगा .

हाँ इसे चेक करने की प्रावधान भी बनाये गए है और यह राज्य के भीतर और राज्य के बाहर जहाँ भी माल का मूवमेंट होगा वहाँ इसे अधिकारियों द्वारा चेक किया जा सकता है .

एक राज्य में मूवमेंट के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल एवं माल वाहन एक ही बार चेक होगा और कर चोरी की पुख्ता जानकारी होने पर ही इस दूसरी बार चेक किया जा सकता है . दो राज्यों की बीच व्यापार में इसे रास्ते में पड़ने वाले हर राज्य में चेक किया जा सकेगा.

प्रश्न :-क्या इस चेकिंग के दौरान समय की बर्बादी रोकने के लिए कोई उपाय किये गए हैं .

हाँ इस प्रावधान की एक अच्छी बात यह है कि यदि आपका माल वाहन किसी एक जगह पर चेकिंग के दौरान 30 मिनट से अधिक रोका जाता है तो आप जी.एस.टी. पोर्टल पर इसकी सूचना को अपलोड कर सकते हैं .

इस सूचना के बाद क्या होगा यह तो अभी घोषित नहीं है लेकिन इस प्रावधान से अधिकारियों पर रोके गए हर वाहन को 30 मिनट में छोड़ने का नैतिक दबाव तो रहेगा ही. इस समय कई बार चेकिंग के दौरान माल वाहनों को कई घंटों तक रुकना होता है .

प्रश्न :-क्या इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल को काम में लेने की कोई निश्चित अवधि होगी या एक बार जारी होने के बाद इसे कभी भी काम में लिया जा सकेगा.

इस इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल को काम में लेने की एक निश्चित अवधि है और इस अवधि के कारण व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है वे एक निश्चित अवधि में माल को डिलीवर कर दें .

आइये इस अवधि को भी देख लें :-

|        |                                      |                                      |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| क्र.स. | दूरी (जिस स्थान से माल प्रारम्भ होकर | इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की वैधता की अवधि |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|

|    | जहां तक पहुंचना है )                            |          |
|----|---|----------|
| 1. | 100 कि.मी.से कम                                 | एक दिन   |
| 2. | 100 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 300 कि.मी. से कम  | तीन दिन  |
| 3. | 300 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 500 कि.मी. से कम  | पांच दिन |
| 4. | 500 कि,मी. या इससे अधिक लेकिन 1000 कि.मी. से कम | दस दिन   |
| 5. | 1000 कि.मी. या इससे अधिक                        | 15 दिन   |

प्रश्न :-यदि एक इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी किया गया है लेकिन वह माल बेचा जाना निरस्त हो गया है तो क्या यह इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल कैंसिल किया जा सकता है ?

इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल जारी किये जाने के 24 घंटे के भीतर इसे कैंसिल किया जा सकता है .

प्रश्न :-इस प्रावधान में जो RFID तकनीक के बारे में जिक्र किया गया है क्या उसे सभी माल - वाहनों पर लगाना होगा ? यह तकनीक क्या है कृपया सरल शब्दों में बताएं .

ट्रांसपोर्टर यदि इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की एक कॉपी अपने पास रखता है तो उसे इस तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी लेकिन यदि इस इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल की हार्ड कॉपी नहीं है तो फिर ट्रांसपोर्टर को RFID तकनीक के जरिये ये इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल चेक कराना होगा.

लेकिन RFID तकनीक का इसलिए महत्व है कि इसी प्रावधान में एक व्यवस्था यह भी है कि जी.एस.टी. कमीश्नर एक अधिसूचना के तहत “ कुछ प्रकार के” माल वाहकों को यह तकनीक अपने वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर सकते हैं . इसलिए इस तकनीक का अर्थ समझाना जरूरी है.

आइये देखे ये Radio Frequency Identificationn Device का क्या अर्थ है :-

रेडियो-आवृत्ति पहचान (अंग्रेज़ी: Radio-frequency identification) एक तकनीक का उपयोग है (आमतौर पर एक RFID टैग के रूप में संदर्भित) जिसे एक उत्पाद, पशु, या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के उद्देश्य से लगाया या डाला जाता है। कुछ टैग को कई मीटर दूर से और पाठक की दृष्टि रेखा के पार से पढ़ा जा सकता है।

संभार-तन्त्र और परिवहन, RFID प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्र हैं। उदाहरण के लिए, यार्ड प्रबंधन, शिपिंग और माल ढुलाई और वितरण केन्द्र, कुछ ऐसी जगहें हैं RFID ट्रैकिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर की परिवहन

कंपनियां, व्यापार मूल्य और कार्यकुशलता पर RFID प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण इसको तवज्जो देती हैं।

प्रश्न :-अब एक आखिरी प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक वे-बिल के सम्बन्ध में :-  
आप जी.एस.टी. का अध्ययन काफी वर्षों से कर रहे हैं क्या आपको इस तरह के रोड परमिट के आने की आशंका थी ? आप इस प्रावधान को किस तरह से देखते हैं ?

-अभी तक इस तरह के वे-बिल जो राज्यों के मध्य होने वाले व्यापार पर ही लागू थे लेकिन इस प्रावधान से इसे काफी व्यापक कर दिया गया है और राशि 50 हजार भी काफी कम है और जिस तरह से यह प्रावधान बनाये जा रहे हैं उनके अनुसार यह सभी वस्तुओं एवं हरेक मूवमेंट पर लागू हो जाएगा .

जी.एस.टी. से व्यापार एवं उद्योग को सरलीकरण की एक उम्मीद थी और इस तरह के प्रावधान इस उम्मीद को समाप्त कर रहे हैं इसलिए ये प्रावधान किसी भी तरह से स्वागत योग्य नहीं है लेकिन अगर सरकार ऐसे प्रावधान बना ही रही है तो आपको इनका पालन करना ही होगा.

उद्योग एवं व्यापारिक संघठनों ने इस राशि को बढ़ा कर 5.00 लाख रूपये करने का अनुरोध किया है और इसे केवल दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर लागू किये जाने की मांग की है .

\*

कैसे होगा निर्धारण दोहरे नियंत्रण की 50 : 50 सहमती के तहत जी.एस.टी.

कौन करेगा आपका असेसमेंट (कर -निर्धारण )

DUUAL CONTROL ON DEALERS-ASSSSMENT

जी.एस.टी. 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है और स्पष्ट रूप से यह एक दोहरा कर है जिसे राज्य का वेट विभाग और केंद्र का सेंट्रल एक्साइज विभाग लागू करेगा तो फिर यह सवाल भी उठेगा कि आपके कर का निर्धारण क्या दो विभाग एक साथ करेंगे ? आइये देखें इस विषय को केंद्र और राज्य सरकारों ने किस प्रकार से निपटाया है और इसका क्या समाधान निकाला गया है .

जी.एस.टी.कौंसिल की जो 2016 के अंतिम तिमाही में जो बैठकें हुई थी उनमें से अंतिम तीन मीटिंग्स में जो मुद्दा सबसे अधिक चर्चा का विषय बना था वह था करदाताओं के ऊपर “दोहरे नियंत्रण” अर्थात ड्यूल कंट्रोल का.

इसके बाद 16 जनवरी 2017 को जी.एस.टी. कौंसिल की अभी तक की अंतिम मीटिंग हुई थी उसमे इस समस्या का समाधान ढूंढ लेने का दावा किया जा रहा है उसके अनुसार 150 लाख रुपये तक की बिक्री तक के डीलर्स का नियंत्रण राज्यों और केंद्र के बीच 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात 90 प्रतिशत डीलर्स पर राज्यों का नियंत्रण रहेगा और शेष 10 प्रतिशत

डीलर्स पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा. इस नियंत्रण का अर्थ यहाँ उनके “कर निर्धारण” अर्थात् असेसमेंट से है . 150 लाख रुपये की बिक्री से अधिक के डीलर्स के नियंत्रण को राज्य और केंद्र के बीच सहमती के तहत 50 : 50 के अनुपात में बांटा जाएगा अर्थात् कुल डीलर्स के 50 प्रतिशत पर राज्य नियंत्रण रखेंगे और शेष 50 प्रतिशत पर केंद्र नियंत्रण रखेगा.

सर्विस टैक्स डीलर्स और अंतरप्रांतीय बिक्री करने वाले डीलर्स के सम्बन्ध में भी यह फैसला लागू होगा यह अभी तक जो बयान आ रहे हैं उनमें स्पष्ट नहीं किया गया है और यहाँ ध्यान रखे कि सर्विस टैक्स डीलर्स के लिए 150 लाख रुपये का टर्नओवर बहुत बड़ी रकम है और ऐसे 90 प्रतिशत डीलर्स का नियंत्रण केंद्र राज्यों के पास छोड़ दे यह शायद संभव नहीं लगता है .

यहाँ नियंत्रण रखने का अर्थ यह है कि इन डीलर्स का कर निर्धारण ऊपर बताये गये अनुपात के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और इसी मुद्दे पर राज्य और केंद्र एक मत नहीं हो पा रहे थे इसीलिये जी.एस.टी. कौंसिल की कई बैठकें बिना किसी नतीजे के समाप्त हो रही थी .

यहाँ यह ध्यान रखें कि जब सभी रिटर्न जी.एस.टी.एन. नामक एक ही नेटवर्क पर भरे जायेंगे और चूँकि इस समय भी लगभग अधिकांश राज्यों में वेट के भी सभी “कर निर्धारण” ऑनलाइन ही होते हैं तब फिर एक सोचने वाली बात यह है कि यह दोहरे नियंत्रण का प्रश्न इतना बड़ा कैसे हो गया .

अब इस 50:50 के तहत कौनसा डीलर का कर निर्धारण राज्य करेगा इसका फैसला भी किसी भी फार्मूले के तहत होगा जिस पर राज्य एवं केंद्र सहमत होंगे लेकिन ऐसा नहीं लगता इस तरह का फैसला व्यापार और उद्योग के लिए प्रक्रियाओं में कोई सरलीकरण लाएगा और यहाँ विशेष बात यह है कि जी.एस.टी. पर केंद्र और राज्य ही आपस में ही प्रारम्भ से ही विवाद रहा है और जी.एस.टी. स्वयं ही केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों की एक खीचतान का मुद्दा रहा है और इस कर प्रणाली को लागू करने में व्यापार और उद्योग की राय को कोई अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है . दोहरे नियंत्रण का मामला भी इसी तरह से केंद्र और राज्यों की

अपने -अपने अधिकार सुरक्षित करने की लड़ाई का ही एक हिस्सा है इसीलिये इस तरह के 50:50 तरह के प्रक्रियाओं को और भी उलझाने वाले फैसले लेने में हमारे कानून निर्माताओं को कोई दुविधा अथवा हिचक नहीं हुई है .

आखिर यह दोहरे नियंत्रण का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण कैसे हुआ इसके पीछे कारण यह है कि राज्यों के पास कुल मिला कर अप्रत्यक्ष कर को देखने के लिए लगभग 265000 अधिकारी एवं कर्मचारी है एवं केंद्र के पास भी इसी काम के लिए कुल 85000 अधिकारी एवं कर्मचारी है इसलिए काम का बँटवारा भी जरूरी था, ऐसा भी कहा जा रहा है और इसके साथ ही राज्यों एवं केंद्र के अधिकारों की बात भी इस मुद्दे से जुड़ा था .

लेकिन यदि व्यापार और उद्योग के हितों की ओर देखना हो और जी.एस.टी. को सरलीकरण की ओर ले जाना है तो राज्य एवं केंद्र के अप्रयक्ष करों के सभी स्टाफ को मिला कर एक “संघीय स्टाफ कैंडर” बनाया जा सकता है जिससे कि व्यवहारिक रूप से भी दोहरे नियंत्रण की समस्या हल हो सकती है और 50:50 जैसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता .

\*

## अध्याय -12

### जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान ARREST PROVISIONS UNDER GST

जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है और अब जी.एस.टी. स्वयं एक सार्वजनिक चर्चा का एक बहुत ही बड़ा विषय है और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इस परिवर्तन की इस प्रक्रिया में बड़े से छोटे सभी व्यापारियों को इस में शामिल किया जा रहा है जहां पूरे अप्रत्यक्ष प्रणाली को नई व्यवस्था की व्यवस्था - माल और सेवा कर अर्थात् गुड्स एंड सर्विस टैक्स के तहत ले लिया जाना है।

इस बार में एक मुख्य बात ध्यान में रखें कि कोई परिवर्तन को रोक नहीं सकता क्यों कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है लेकिन परिवर्तन का विरोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यह मन की स्वाभाविक अवस्था है जिसमें परिवर्तन के साथ एक स्वाभाविक डर जुड़ा रहता है। जी.एस.टी. भी इस परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया का ही परिणाम है और अब भारत में लगने वाला ही है इसलिए इस विषय पर चर्चा का दौर भी काफी तेज हो गया है और इसके साथ ही कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनके बारे में उठ रही आशंकाए दूर करना भी जरूरी है।

“जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान” भी जी.एस.टी. के दौरान

पूरे देश में हो रही चर्चा का एक हिस्सा है और कई बार लोग हमसे भी इस बारे में प्रश्न करते हैं और धीरे-धीरे इस विषय पर आने वाले सवालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है .

“जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान” एक विचारोत्तेजक और सनसनीखेज विषय भी है ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में भय और चिंता का अपना अलग ही हिस्सा जोड़ देगा जो परिवर्तन से बहुत ही जल्दी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।

इस समय हम जो विषय ले रहे हैं, उनमें से एक "जीएसटी के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान " है जो जीएसटी के विभिन्न हितधारकों के बीच इस समय चर्चा और चिंता का विषय है। इसका कारण बहुत सरल है और वह यह है की “गिरफ्तारी” शब्द अपने आप में ही बहुत गंभीर कार्रवाई है.

आइये हम यह जीएसटी के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान को बहुत सावधानी से देखें हैं कि यह कैसे और किस तरह के जीएसटी डीलरों को प्रभावित करेगा ताकि आपके दिमाग में इस प्रावधान को लेकर कोई भ्रान्तियां हो तो वे दूर हो सके इस सम्बन्ध में जो भय और असमंजस का वातावरण है जिन्हें आप अफवाहें भी कह सकते हैं वह भी दूर हो जाए ताकि आपका जी.एस.टी. में प्रवेश हो वह भयमुक्त वातावरण में हो.

## माल और सेवा कर के प्रावधानों के तहत व्यक्ति को कब गिरफ्तार किया जा सकता है?

जी.एस.टी. के दौरान गिरफ्तारी के प्रावधान धारा 69 में दिए गए हैं और उनके अनुसार यदि सीजीएसटी / एसजीएसटी के आयुक्त का मानना है कि एक व्यक्ति ने 132 के तहत अपराध किया है जिनका उल्लेख इस धारा के प्रथम चार बिन्दुओं 132 (a), (b), (c) एवं (d) में किया गया है , तो उन्हें आयुक्त द्वारा अधिकृत सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस मामले में आयुक्त को ही निर्णय लेने का अधिकार होगा और गिरफ्तार करने वाला अधिकारी भी आयुक्त द्वारा अधिकृत किया जाएगा . आगे इसी लेख में हम इन अपराधों का विवरण दे रहे हैं .

जी.एस.टी. कानून की धारा 69 के अनुसार ही गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के आधार एवं कारण के बारे में सूचित किया जाएगा। जिन मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती है ऐसे जी.एस.टी. के दौरान करचोरी के अपराध के मामले में उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जिन मामलों में जमानत दी जा सकती है ऐसे जी.एस.टी. के दौरान कर चोरी के अपराध के मामले में उन्हें गिरफ्तारी के नियमानुसार बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा।

किन मामलों में जमानत दी जा सकती है एवं किन मामलों में जमानत नहीं दी जा सकती इनका उल्लेख भी इस लेख में आगे हमने किया है .

## किस प्रकार के अपराध / 132 के तहत गिरफ्तार किए गए प्रावधान लागू होते हैं

1. कर चोरी के उद्देश्य से एक कर योग्य व्यक्ति बिना किसी बिल के किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति (सप्लाई) करता है.
2. जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में माल / सेवाओं की आपूर्ति के बिना वह कोई चालान या बिल जारी करता है जिनके कारण गलत तरीके से इनपुट क्रेडिट और रिफंड लिया जाता है.
3. बिना माल एवं सेवा की सप्लाई के ऊपर वर्णित बिलों से कोई व्यक्ति गलत इनपुट क्रेडिट लेता है .
3. वह किसी भी जीएसटी कर को एकत्र करता है लेकिन इसे जमा कराने की नियत तिथी के 3 महीनों के भीतर सरकार में जमा नहीं करता है .

ये सभी मामले आप मान कर चलिए कि कर की चोरी से संबंधित हैं और यह कर की चोरी 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो गिरफ्तारी के प्रावधान लागू होते हैं .

गिरफ्तारी प्रावधानों के साथ धारा 69 एवं धारा 132 पढ़ने पर, जो एक तथ्य सामने आता है वह यह है कि एक व्यक्ति को केवल तब ही गिरफ्तार किया जा सकता है जहां कर चोरी 200 लाख रुपये से अधिक की हो तो अब यह मान कर चलिए कि सामान्य तौर पर जहाँ “मध्यम और छोटे श्रेणी” के डीलर्स काम कर रहे हैं गिरफ्तारी के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्यों कि इतनी बड़ी रकम की कर चोरी की संभावना की कल्पना इस स्तर पर नहीं की जा सकती है .

लेकिन यहां एक और बात का उल्लेख किया जाए कि अगर किसी व्यक्ति को पहले के अवसर पर पहले से दोषी ठहराया गया है तो

उसके दूसरे अपराध के मामले में गिरफ्तारी प्रावधान टैक्स की चोरी के 2 करोड़ रुपये की सीमा के बिना उसके ऊपर लागू होंगे। एक बार दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तारी के इस प्रावधान जो की जी.एस.टी. की धारा 69 एवं 132 में वर्णित है को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऊपर आपको बताया की गिरफ्तारी के किन मामलों में जमानत मिल सकती है और कौनसे ऐसे मामले है जहाँ जमानत नहीं मिल सकती है . इसके लिए हमें जी.एस.टी. के दौरान जिन अपराधों में गिरफ्तार किया जा सकता है उन्हें संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक अपराध अर्थात Cogniizable offence or Non Congnizable offence में बाटना होगा .

जीएसटी - संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक अपराध  
(Cogniizable offence or Non Congnizable offence)

जीएसटी में संज्ञेय अपराध (Cogniizable offence) का मतलब है कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अपराध, जहां टैक्स चोरी, गलत तरीके से लिया गया इनपुट क्रेडिट या रिफंड 5 करोड़ रुपये से अधिक है।

ये संज्ञेय (Cogniizable offence) अपराध हैं, इसलिए गैर-जमानती (Non-bailable) भी है .

टैक्स चोरी से जुड़ी जीएसटी के तहत अन्य अपराध, गलत तरीके से लिया गया इनपुट क्रेडिट या रिफंड जहाँ यह राशि 5 करोड़ रुपये या इससे कम है तो संज्ञेय अपराध (Non Congnizable offence) हैं और जमानती (bailable) भी हैं।

अब जीएसटी में जब संज्ञेय (Cogniizable offence)

और गैर-संज्ञेय (Non Cognizable offence) दोनों ही अपराध इसलिए हमें पता होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध और गैर-संज्ञेय अपराध का क्या अर्थ है।

संज्ञेय अपराध (Cognizable offence) वे होते हैं जहां पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। वे गंभीर अपराध हैं और गैर-संज्ञेय अपराध (Non Cognizable offence) वे होते हैं, जहां एक पुलिस अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। जी.एस.टी. के दौरान 5 करोड़ से अधिक की कर चोरी के मामले गंभीर माने गए हैं .

**कौन गिरफ्तारी कर सकता है**

केवल आयुक्त (Commissioner) एक अधिकारी को ऊपर वर्णित स्थिति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत (Authorise) कर सकता है। सभी क्षेत्र के आयुक्त के नीचे के अधिकारियों को गिरफ्तारी के मामले में कोई फैसला लेने और शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार अपने आप नहीं होता क्योंकि "गिरफ्तारी" खुद ही एक अपने आप में बहुत संवेदनशील मामला है।

**गिरफ्तारी के समय क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए**

भारतीय दंड संहिता के सभी प्रावधानों को जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को अधिकृत करते हुए और इस्तेमाल करते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। इसे नियमित कार्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में आपराधिक प्रक्रियाएं के दौरान गिरफ्तारी के सभी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और उस मामले में गिरफ्तार अधिकारी को प्रक्रियाओं और नियमों का ज्ञान होना चाहिए।

डीके बसु बनाम राज्य बंगाल राज्य के मामले में 1997 (1) एससीसी 416 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के मामले में अगली दिशा-निर्देश जारी कर रखें हैं और ये सभी जीएसटी के तहत गिरफ्तारी पर भी लागू हैं अतः इन शक्तियों को काम में लेने वाले अधिकारियों को भी इन्हें ध्यान में रखना होगा ।

इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों इस प्रकार हैं :-

1. गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत अधिकारियों के नाम उनके पदनाम (designation) के साथ , स्पष्ट और दिखते होने चाहिए तथा उनकी पहचान पत्र उनके पास होना चाहिए रखना चाहिए।

2. गिरफ्तारी के दौरान किसी एक रिश्तेदार के द्वारा गिरफ्तारी मेमो पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या उसकी अनुपस्थिति में किसी क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए और इसके अतिरिक्त गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी गिरफ्तारी मेमो पर काउंटर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए .

3. गिरफ्तारी व्यक्ति को उस जगह से एक रिश्तेदार या मित्र को

सूचित करने का अधिकार होगा जहां उसे गिरफ्तार किए जाने के बाद रखा जाता है जैसे एक पुलिस स्टेशन, लॉकअप या पूछताछ स्थल.

4. गिरफ्तार व्यक्ति का हर 48 घंटों के दौरान मेडिकल परीक्षण कराया जाना चाहिए .

5. पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी को अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान लगातार वकील की उपस्थिति की अनुमति नहीं होगी ।

6. गिरफ्तार किए गए मेमो सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियों को उनके रिकॉर्ड के लिए मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए।

### गिरफ्तारी कब जरूरी होगी !!!!!

यह विशुद्ध रूप से आयुक्त के विवेकाधीन निर्णय पर आधारित है लेकिन यह शक्ति बहुत सावधानी से इस्तेमाल की जानी चाहिए। निर्णय लेने के दौरान निम्नलिखित कारकों को ध्यान में लेने के बाद शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए: -

1. अपराध की उचित जांच।
2. फरार होने से व्यक्ति को रोकने के लिए
3. सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना को रोकने के लिए।
4. गवाह या गवाहों को डरा देने या प्रभावित करने से रोकने के लिए।

ये कुछ कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का निर्णय करते समय विचार किया जाना चाहिए।

## क्या है उद्योग और व्यापार की राय

जीएसटी में गिरफ्तारी की शक्तियां भारत में किसी भी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में नई नहीं हैं और हमारे पास ऐसे केंद्रीय या किसी अन्य तरह के प्रावधानों और सेवा कर कानूनों में समान हैं या नहीं, लेकिन व्यापार और उद्योग हमेशा इन शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में आशंका करते हैं। जीएसटी एक नया कानून है और करदाताओं को जीएसटी के प्रयोज्यता के आरंभिक चरण में इन प्रावधानों को पसंद नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, व्याख्या की समस्या, राय के अंतर में इन प्रावधानों का दुरुपयोग हो सकता है।

लेकिन यह तथ्य यह है कि 2 करोड़ रुपये की कर चोरी राशि की निचली सीमा में इन प्रावधानों के दायरे से अधिकांश डीलरों को रखा जाएगा।

\*

## गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स

### GST PRACTITIONERS

गुड्स और सर्विस टैक्स में, बहुत सारे कार्य हैं जो ऑनलाइन किए जाने हैं और इन कार्यों में विभिन्न रिटर्न भरना , प्रपत्र प्रस्तुत करना , कर आदि जमा करना , इनपुट क्रेडिट को चेक करना , इनपुट और आउटपुट क्रेडिट में संशोधन करना इत्यादि सम्मिलित हैं जो कि डीलर्स को करने होंगे और इन उद्देश्यों के लिए कर डीलर्स “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” की सेवा को काम में ले सकते हैं .

जीएसटी व्यवसायियों के साथ - साथ यह कर क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए भी बहुत ही दिलचस्प विषय होगा जिससे उन्हें भी यह पता लगेगा है कि “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर”के लिए योग्यता और अयोग्यता क्या होगी और “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” किस तरह का काम कर सकता है और जीएसटी डीलरों के साथ किस तरह का संबंध होगा।

इसके अलावा जीएसटी व्यवसायियों द्वारा दायर किए गए रिटर्न्स एवं उनमें भरी जाने वाले सूचनाओं की सत्यता के लिए जिम्मेदार कौन होगा और जीएसटी प्रैक्टिस के दौरान “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के कर्तव्य क्या होंगे और वे खुद अर्थात्

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” जीएसटी के सामान्य पोर्टल जी.एस.टी.एन पर कैसे पंजीकृत होंगे और रजिस्टर्ड डीलर द्वारा उनको अधिकृत की प्रक्रिया क्या होगी और जीएसटी डीलर की ओर से वे क्या कार्य कर सकेंगे.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के रूप में काम कर सकते हैं, इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी, कुछ विशिष्ट विषयों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर, जिसमें कानून , उच्च लेखा परीक्षा, व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन सहित बैंकिंग विषय भी शामिल है , जीएसटी व्यवसायियों के रूप में काम करने के लिए योग्य होंगे । जी.एस.टी. के पहले जो कर कानून थे उनमें जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर एवं रिटर्न प्रेपरेर के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुके है वे भी “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के रूप में कार्य करने के योग्य होंगे.

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” द्वारा जो काम किया जा सकता है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | कार्य का विवरण  |
|---------|---|
| 1.      | इनपुट एवं आउटपुट के रिटर्न प्रस्तुत करना .              |
| 2.      | मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या अंतिम रिटर्न प्रस्तुत करना |
| 3.      | इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा करने के लिए जमा कराना ;   |

|    |  |
|----|--|
| 4. | धनवापसी या रिफंड के लिए दावा दर्ज करें; तथा          |
| 5. | एक पंजीकरण के संशोधन या रद्द करने के लिए आवेदन करें। |

**कौन “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” हो सकता है**

| क्र.सं. | व्यक्ति की योग्यता  |
|---------|---|
| 1.      | वह किसी भी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग या केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार के राजस्व विभाग, के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए समूह-बी राजपत्र अधिकारी के या समकक्ष पद पर कार्य किया हो; या |
| 2.      | जी.एस.टी. के पहले जो कर कानून थे उनमें जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर एवं रिटर्न प्रेपरर के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुके हैं ; या   |
| 3.      | किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से कानून, उच्च ऑडिटिंग सहित बैंकिंग, या व्यवसाय प्रशासन या व्यवसाय प्रबंधन या एक स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री या इसके बराबर परीक्षा वाणिज्य में डिग्री.  |
| 4.      | किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री, जो कि ऊपर की धारा में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के बराबर है; या   |
| 5.      | इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य परीक्षा; या  |
| 6.      | निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी भी परीक्षा उत्तीर्ण की गई है   |

: - भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के अंतिम परीक्षा;  
या भारत के कॉस्ट एकाउंटेंट संस्थान के अंतिम परीक्षा;  
या भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान की अंतिम परीक्षा

उपरोक्त वर्णित शिक्षा एवं डिग्री की योग्यता के साथ “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए अन्य अनिवार्य परिस्थितियां निम्नानुसार हैं: -

वह भारत का नागरिक है;

वह स्वस्थ दिमाग का एक व्यक्ति है;

वह दिवालिया के रूप में घोषित नहीं लिया है

वह एक सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है.

### “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए आवेदन कैसे करें

जो व्यक्ति जो “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” रूप में कार्य करने के लिए पात्र है, वह “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए के नामांकन के लिए इस प्रकार अधिकृत अधिकारी को फॉर्म जीएसटी पीसीटी -1 में जी.एस.टी.एन पोर्टल आवेदन कर सकता है; आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझता है, या तो आवेदक को “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए के रूप में नामांकित करेगा और फॉर्म जीएसटी पीसीटी -2 में उसे इसका प्रमाण पत्र जारी कर देगा या उसके आवेदन को अस्वीकार कर देगा जहां यह पाया जाता है कि आवेदक जीएसटी व्यवसायी के रूप में नामांकित होने के योग्य नहीं हैं।

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के लिए एक बार जारी किया गया पंजीकरण तब तक वैध होगा जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता है .

क्या “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को कोई परीक्षा भी पास करनी होगी .

हाँ , क्या “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को जी.एस.टी कमिश्नर के द्वारा अधिसूचित समय एवं बताये अधिकारी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा पास करनी होगी . इसके लिए कमिश्नर जी.एस.टी. काँसिल की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना जारी करेंगे. जिन व्यक्तियों के पास क्या “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” बनने की योग्यता है वे ऊपर बतायी गयी विधी से आवेदन कर “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के रूप में कार्य कर सकेंगे लेकिन कमिश्नर द्वारा अधिसूचित अवधि में उन्हें यह परीक्षा पास करनी होगी.

जी.एस.टी. के पहले जो कर कानून थे उनमे जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर एवं रिटर्न प्रेपरर के रूप में कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुके है वे भी “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के रूप में कार्य कर सकते है लेकिन उन्हें अधिसूचित तिथी से एक वर्ष के भीतर ऐसी परीक्षा पास करनी होगी.

कैसे वैध “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है.

यदि किसी भी “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, फॉर्म जीएसटी पीसीटी में आदेश द्वारा आदेश दे सकता है कि वह “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” अब अधिनियम की धारा 48 के तहत अयोग्य ठहराएगा। इस तरह के आदेश को केवल ऐसे “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” नोटिस देने के बाद ही पारित किया जाएगा जिस नोटिस में उसे सुनवाई का उचित मौका दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” द्वारा आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। इस तरह की अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर दर्ज करनी जरूरी होगी।

### “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर”की सूची

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स” की एक सूची को सामान्य जीएसटी पीसीटी में पोर्टल “जी.एस.टी.एन” पर लगाई जायेगी। प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर सूची में ऐसे संशोधन कर सकता है, जो किसी भी प्रकार के पते में परिवर्तन या मृत्यु या किसी भी अयोग्यता के कारण होते हैं।

### “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को अधिकृत करना

अधिनियम की धारा 48 (2) के अनुसार एक डीलर अपने आउटवार्ड सप्लाइ के रिटर्न, इनवर्ड सप्लाइ के रिटर्न, मासिक रिटर्न, वार्षिक रिटर्न, रिफंड के लिए प्रार्थना पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में

संशोधन इत्यादि कार्यों को करने के लिए एक “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को अनुमोदित कर सकता है और ये कार्य एक डीलर के लिए उसके द्वारा अधिकृत “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” करेगा.

नियम 83 (6) के अनुसार एक पंजीकृत डीलर फॉर्म जीएसटी पीसीटी -5 के द्वारा “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को जी.एस.टी. सामान्य पोर्टल पर अधिकृत कर सकता है या किसी भी समय एक इसी फॉर्म जीएसटी पीसीटी -5 के द्वारा इस अधिकृत “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” को दिया गया अनुमोदन समाप्त कर सकता है.

**“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” द्वारा भरे रिटर्न का डीलर द्वारा अनुमोदन**

जहां “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न एवं अन्य प्रपत्र का अनुमोदन डीलर को करना होगा इसके लिए ये रिटर्न जी.एस.टी. पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे तथा डीलर को ईमेल या एसएमएस द्वारा अनुमोदन के लिए सूचित किया जाएगा .

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर”द्वारा प्रस्तुत रिटर्न एवं अन्य प्रपत्र को जी.एस.टी. पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि डीलर इन्हें अनुमोदित कर सके लेकिन जहां इस तरह के रिटर्न देने की आखिरी तारीख तक इन्हें डीलर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उन्होंने “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” द्वारा प्रस्तुत रिटर्न या अन्य डाक्यूमेंट्स की पुष्टि की है।

## “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” द्वारा पेश किये रिटर्न्स की सत्यता के लिए कौन जिम्मेदार होगा ?

जीएसटी प्रैक्टिशनर के माध्यम से अपनी रिटर्न प्रस्तुत करने का चयन करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी पीसीटी -6 फॉर्मेट में किसी भी जीएसटी प्रैक्टिशनर को अपनी रिटर्न तैयार करने और प्रस्तुत करने और जीएसटी प्रैक्टिशनर द्वारा तैयार किए गए किसी भी रिटर्न को जमा करने की पुष्टि करने से पहले अपनी सहमति देगा।

यहाँ यह ध्यान में रखें की भले ही रिटर्न “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” के द्वारा भरे गए लेकिन इनकी सत्यता की जिम्मेदारी जी.एस.टी. डीलर की ही होगी इसलिए उन्हें रिटर्न इत्यादि अनुमोदित करने का जो मौका मिलता है उसमें वह इन्हें अच्छी तरह से चेक करने की आदत बनाए .

## कैसे भरेंगे “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” रिटर्न इत्यादि

“गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” जी.एस.टी. द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर रिटर्न इत्यादि बयान तैयार करेगा एवं इन रिटर्न्स के साथ “गुड्स और सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर” अपने डिजिटल हस्ताक्षर को जोड़ना होगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके सत्यापित करना होगा ।

## अध्याय 14

### जी.एस.टी. - अकाउंटिंग का एक उदाहरण GST- ACCOUNTING

#### किसी सौदे का पहला भाग

जयपुर (राजस्थान ) का एक व्यापारी “अ” जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी “ब” को कोई माल 10 लाख रुपये में बेचता है और मान लीजिये कि राज्यों के जी.एस.टी. की दर 9 प्रतिशत है एवं केंद्र के जी.एस.टी. की दर 9 प्रतिशत है इस प्रकार जी.एस.टी. की कुल दर 18 प्रतिशत है .

तो “अ” इस व्यवहार में 90000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. (राज्य का जी.एस.टी.) एवं 90000.00 रुपये सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में अपने खरीददार “ब” से वसूल करेगा.

“अ” के द्वारा जमा कराया गया कर  
(यहाँ मान लीजिये कि “अ” की कोई इनपुट क्रेडिट नहीं है )

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| एस.जी.एस.टी. - राज्य का जी.एस.टी. | 90000.00 |
| सी.जी.एस.टी. केंद्र का जी.एस.टी.  | 90000.00 |

## अब आइये इस सौदे का दूसरा भाग देखें

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाएँ और देखें कि इसी माल को जयपुर का “ब” नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर अजमेर के एक उपभोक्ता “स” को अपना मुनाफ़ा 50000.00 रुपये जोड़ते हुए 10.50 लाख रुपये में बेचता है तो वह अपने इस ग्राहक “स” से 94500.00 रुपये एस.जी.एस.टी. एवं 94500.00 रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में वसूल करेगा .

ब के द्वारा जमा कराया गया कर  
एस.जी.एस.टी.

|   |          |
|---|----------|
| “स” से एकत्र किया गया कर                    | 94500.00 |
| “ब” ने खरीद के समय “अ” को जो कर दिया अर्थात | 90000.00 |
| ब द्वारा जमा कराया कर                       | 4500.00  |

ब के द्वारा जमा कराया गया कर  
सी.जी.एस.टी.

|   |          |
|---|----------|
| “स” से एकत्र किया गया कर                    | 94500.00 |
| “ब” ने खरीद के समय “अ” को जो कर दिया अर्थात | 90000.00 |
| ब द्वारा जमा कराया कर                       | 4500.00  |

## जी.एस.टी. एक वैल्यू एडेड टैक्स है

आइये “ब” द्वारा जमा कराये गए कर कुल 9000.00 को एक बार इस दृष्टी से चेक कर लें कि जी.एस.टी. एक “वैल्यू एडेड टैक्स” है . “ब” का मुनाफ़ा 50000.00 रुपये है और इस पर यदि 18 प्रतिशत की दर से कर लगाएं तो वह 9000.00 रुपये होता है जिसे एस.जी.एस.टी. 4500.00 रुपये और सी.जी.एस.टी. 4500.00 रुपये “ब” के द्वारा जमा कराया गया है .

इसका सौदे का तीसरा और अंतिम भाग देखें

“स” एक उपभोक्ता है है तो उसके लिए इस माल की लागत निम्न प्रकार होगी:-

|              |              |
|--------------|--------------|
| माल की कीमत  | 10,50,000.00 |
| एस.जी.एस.टी. | 94,500.00    |
| सी.जी.एस.टी. | 94,500.00    |
| कुल कीमत     | 12,39,000.00 |

इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता ने एस.जी.एस.टी. के रूप में 94500.00 रुपये का भुगतान किया है और सी.जी.एस.टी. के रूप में 94500.00 रुपये का भुगतान किया है जो कि कुल 1,89,000.00 होता है जो कि उपभोक्ता की खरीद की कीमत 10,50,000.00 का 18% होता है और यही अंतिम उपभोक्ता के द्वारा वहन किया गया जी.एस.टी. है .

अब यह देखिये कि राज्य और केंद्र सरकार को यह कर किस तरह से मिला है :-

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 142

राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया एस.जी.एस.टी.

|   |                 |
|---|-----------------|
| “अ” द्वारा भुगतान किया गया एस.जी.एस.टी. जो ऊपर बताया गया है . | 90000.00        |
| “ब” द्वारा भुगतान किया गया एस.जी.एस.टी. जो ऊपर बताया गया है . | 4500.00         |
| <b>कुल एस.जी.एस.टी.</b>                                       | <b>94500.00</b> |

केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किया गया एस.जी.एस.टी.

|   |                 |
|---|-----------------|
| “अ” द्वारा भुगतान किया गया सी.जी.एस.टी. जो ऊपर बताया गया है . | 90000.00        |
| “ब” द्वारा भुगतान किया गया सी.जी.एस.टी. जो ऊपर बताया गया है . | 4500.00         |
| <b>कुल एस.जी.एस.टी.</b>                                       | <b>94500.00</b> |

यह है जी.एस.टी. का सबसे आसान उदाहरण

### अकाउंटिंग एंट्रीज़

जयपुर (राजस्थान ) का एक व्यापारी “अ” जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी “ब” को कोई माल 10 लाख रुपये में बेचता है और मान लीजिये कि राज्यों के जी.एस.टी. की दर 9 प्रतिशत है एवं केंद्र के जी.एस.टी. की दर 9 प्रतिशत रहती है इस प्रकार जी.एस.टी. की कुल दर 18 प्रतिशत हुई (फिलहाल मान लीजिये ) तो “अ” इस

व्यवहार में 90000.00 रुपये एस.जी.एस.टी. (राज्य का जी.एस.टी.) एवं 90000.00 रुपये सी.जी.एस.टी. (केंद्र का जी.एस.टी.) के रूप में अपने खरीददार “ब” से वसूल करेगा.

### IN THE BOOKS OF A

| On Sale of Goods  |                 |                   |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| B a/c             | Dr.             | 1180000.00        |                   |
| To Sales a/c      | Cr.             |                   | 1000000.00        |
| To SGST a/c       | Cr.             |                   | 90000.00          |
| To CGST a/c       | Cr              |                   | 90000.00          |
| <b>Total</b>      |                 | <b>1180000.00</b> | <b>1180000.00</b> |
| On payment of Tax |                 |                   |                   |
| SGST a/c          | Dr              | 90000.00          |                   |
| CGST a/c          | Dr              | 90000.00          |                   |
| To Bank a/c       | Cr              |                   | 180000.00         |
|                   |                 | <b>180000.00</b>  | <b>180000.00</b>  |
| SGST ACCOUNT      |                 |                   |                   |
| PARTICULARS       | AMOUNT          | PARTCULARS        | AMOUNT            |
| Bank Account      | 90000.000       | By B a/c          | 90000.00          |
| <b>Total</b>      | <b>90000.00</b> | <b>Total</b>      | <b>90000.00</b>   |
| CGST ACCOUNT      |                 |                   |                   |
| PARTICULARS       | AMOUNT          | PARTCULARS        | AMOUNT            |
| Bank Account      | 90000.000       | By B a/c          | 90000.00          |
| <b>Total</b>      | <b>90000.00</b> | <b>Total</b>      | <b>90000.00</b>   |

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाएँ

आइये अब इस व्यवहार को और भी आगे ले जाएँ और देखें कि इसी माल को जयपुर का “ब” नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर अजमेर के किसी अन्य व्यापारी “स” को 10.50 लाख रुपये में बेचता है तो वह 94500.00 रुपये एस.जी.एस.टी. एवं 94500.00 रुपये सी.जी.एस.टी. के रूप में वसूल करेगा .

### IN THE BOOKS OF B

#### On Purchases of Goods

|               |     |                   |                   |
|---------------|-----|-------------------|-------------------|
| Purchases a/c | Dr. | 100000.00         |                   |
| SGST a/c      | Dr  | 90000.00          |                   |
| CGST a/c      | Dr. | 90000.00          |                   |
| To A a/c      | Cr  |                   | 1180000.00        |
| <b>Total</b>  |     | <b>1180000.00</b> | <b>1180000.00</b> |

#### On Sale of Goods

|              |     |                   |                   |
|--------------|-----|-------------------|-------------------|
| C a/c        | Dr. | 1239000.00        |                   |
| To Sales a/c | Cr. |                   | 1050000.00        |
| To SGST a/c  | Cr. |                   | 94500.00          |
| To CGST a/c  | Cr  |                   | 94500.00          |
| <b>Total</b> |     | <b>1239000.00</b> | <b>1239000.00</b> |

#### On payment of Tax

|              |    |                |                |
|--------------|----|----------------|----------------|
| SGST a/c     | Dr | 4500.00        |                |
| CGST a/c     | Dr | 4500.00        |                |
| To Bank a/c  | Cr |                | 9000.00        |
| <b>Total</b> |    | <b>9000.00</b> | <b>9000.00</b> |

### LEDGER ACCOUNT

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 145

| SGST ACCOUNT    |                 |              |                 |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PARTICULARS     | AMOUNT          | PARTCULARS   | AMOUNT          |
| To A Account    | 90000.00        | By C a/c     | 94500.00        |
| To Bank Account | 4500.00         |              |                 |
| <b>Total</b>    | <b>94500.00</b> | <b>Total</b> | <b>94500.00</b> |

  

| CGST ACCOUNT    |                 |              |                 |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| PARTICULARS     | AMOUNT          | PARTCULARS   | AMOUNT          |
| To A Account    | 90000.00        | By C a/c     | 94500.00        |
| To Bank Account | 4500.00         |              |                 |
| <b>Total</b>    | <b>94500.00</b> | <b>Total</b> | <b>94500.00</b> |

इसका सौदे का तीसरा भाग देखें

सी एक रिटेल डीलर है और उसने इसी वस्तु को एक ग्राहक डी को 11 लाख रुपये में बेचा और उस पर कर के रूप में 9% एस.जी.एस.टी. एवं 9% सी.जी.एस.टी. वसूल किया . इस प्रकार एस.जी.एस.टी. के रूप में सी ने 99000.00 और सी.जी.एस.टी. के रूप में भी 99000.00 रुपया वसूल किया जिसमें से अपने द्वारा पहले चुकाया गया कर एस.जी.एस.टी. 94500.00 रुपया एवं सी.जी.एस.टी. कर 94500.00 रुपया की इनपुट क्रेडिट लेने के बाद एस.जी.एस.टी. 4500.00 रुपया एवं सी.जी.एस.टी. 4500.00 रुपया जमा कराया है .

### IN THE BOOKS OF C

#### On Purchases of Goods

|               |            |            |  |
|---------------|------------|------------|--|
| Purchases a/c | <b>Dr.</b> | 1050000.00 |  |
|---------------|------------|------------|--|

|                          |                 |                   |                   |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| SGST a/c                 | Dr              | 94500.00          |                   |
| CGST a/c                 | Dr.             | 94500.00          |                   |
| To B a/c                 | Cr              |                   | 1239000.00        |
| <b>On Sale of Goods</b>  |                 |                   |                   |
| D a/c                    | Dr.             | 1298000.00        |                   |
| To Sales a/c             | Cr.             |                   | 1100000.00        |
| To SGST a/c              | Cr.             |                   | 99000.00          |
| To CGST a/c              | Cr              |                   | 99000.00          |
| <b>Total</b>             |                 | <b>1298000.00</b> | <b>1298000.00</b> |
| <b>LEDGER ACCOUNT</b>    |                 |                   |                   |
| <b>SGST ACCOUNT</b>      |                 |                   |                   |
| PARTICULARS              | AMOUNT          | PARTICULARS       | AMOUNT            |
| To B Account             | 94500.00        | By D a/c          | 99000.00          |
| To Bank Account          | 4500.00         |                   |                   |
| <b>Total</b>             | <b>99000.00</b> | <b>Total</b>      | <b>99000.00</b>   |
| <b>CGST ACCOUNT</b>      |                 |                   |                   |
| PARTICULARS              | AMOUNT          | PARTICULARS       | AMOUNT            |
| To B Account             | 94500.00        | By D a/c          | 99000.00          |
| To Bank Account          | 4500.00         |                   |                   |
| <b>Total</b>             | <b>99000.00</b> | <b>Total</b>      | <b>99000.00</b>   |
| <b>On payment of Tax</b> |                 |                   |                   |
| SGST a/c                 | Dr              | 4500.00           |                   |
| CGST a/c                 | Dr              | 4500.00           |                   |
| To Bank a/c              | Cr              |                   | 9000.00           |
|                          |                 | <b>9000.00</b>    | <b>9000.00</b>    |

## अध्याय 15

### जी.एस.टी.-अकाउंट्स एवं रिकार्ड्स

#### GST-ACCOUNTS AND RECORDS

जी.एस.टी. के दौरान अकाउंट्स एवं रिकार्ड्स किस तरह से रखे जायेंगे इसके बारे में भी जी.एस.टी. के तहत आने वाले डीलर्स को इसकी जानकारी होनी आवश्यक है .

आइये देखें जी.एस.टी. के दौरान अकाउंट्स और अन्य रिकार्ड्स क्या क्या रखने हैं और किस तरह से रखने हैं एवं इस सम्बन्ध में क्या कानून है और क्या नियम है :-

इस संबंध में जी.एस.टी. कानून की धारा 35 में यह दिया गया है कि एकाउंट्स एवं रिकार्ड्स में क्या-क्या रखना है और धारा 36 में यह बताया गया है कि इन अकाउंट्स एवं रिकार्ड्स को कब तक सुरक्षित रखना होगा .

धारा 35 :- प्रत्येक रजिस्टर्ड डीलर को अपने व्यवसाय के मुख्य स्थान पर निम्नलिखित का सही एवं समुचित अकाउंट रखेगा :-

(i). माल के निर्माण.

(ii). माल एवं सेवाओं की इनवर्ड एवं आउटवर्ड सप्लाई.

(iii). माल का स्टॉक

(iv). प्राप्त की जाने वाली इनपुट क्रेडिट

(v). आउटपुट टैक्स जो कि भुगतान किया जाने योग्य है एवं भुगतान किया गया है .

(vi). इन रिकार्ड्स के अतिरिक्त वह रिकॉर्ड जो रूल्स में अलग से बताया गया है .

इसके अतिरिक्त बिल ,डिलीवरी चालान, इनवॉइस, डेबिट नोट , क्रेडिट नोट,रसीद वाउचर इत्यादि भी सुरक्षित रखने पड़ेंगे. ये सभी रिकार्ड्स पर पेज नंबर इत्यादि सीरियल में लिखे होने चाहिए.

ये रिकार्ड्स किस स्थान पर रखने होंगे.

ये रिकार्ड्स आपको मुख्य रूप से अपने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में दिखाए गए व्यवसाय के मुख्य स्थान पर रखा जाना चाहिए और यदि आपके रजिस्ट्रेशन प्रमाण में कोई अन्य स्थान भी दर्ज है तो वहां होने वाली गतिविधी से सम्बंधित रिकार्ड्स उसी “अन्य स्थान” पर रखे आने चाहिए.

क्या रिकार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखे जा सकते हैं ?

हाँ , रिकार्ड्स कंप्यूटर पर भी रखे जा सकते हैं जैसा कि इस संमय भी अधिकांश डीलर्स रख रहे हैं .

रिकार्ड्स में कोई गलती होने पर किस तरह से सुधार किया जा सकता है ?

यदि एकाउंट्स एवं रिकार्ड्स में कोई गलती होती है तो उसे जहाँ भी सही किया गया है उस पर डीलर को अपने हस्ताक्षर करने होंगे और इसी प्रकार यदि कंप्यूटर में एकाउंट्स है और उसमें किसी एंट्री में सुधार किया गया है या हटाया गया है अथवा जोड़ा गया है तो उसका भी एक लोग बुक में दर्ज कर हिसाब रखना होगा .

क्या ऐसे जी.एस.टी. डीलर्स जो कि निर्माता नहीं है उन्हें भी स्टॉक का हिसाब रखना होगा ?

हाँ , उन्हें भी स्टॉक का हिसाब रखना होगा . रिकार्ड्स रखने के इस प्रावधान में निर्माता और अन्य डीलर्स में कोई भेद नहीं किया गया है

क्या कम्पोजीशन डीलर्स को भी स्टॉक का हिसाब रखना होगा ?

इस सम्बन्ध में जो एकाउंट्स और रिकार्ड्स से सम्बंधित रूल्स जी.एस.टी. ने अनुमोदित किये है उनमें कम्पोजीशन डीलर्स को स्टॉक के रिकार्ड्स रखने की श्रेणी से बाहर रखा गया है और इस प्रकार कम्पोजीशन डीलर्स को स्टॉक का विस्तृत रिकॉर्ड नहीं रखना होगा . स्टोक के लिए रिकॉर्ड किस तरह से रखा जाएगा ?

प्रत्येक वस्तु के लिए स्टॉक का रिकॉर्ड निम्न विगत (विवरण) के साथ रखना होगा :-

1. प्रारम्भिक स्टॉक
2. माल जो प्राप्त हुआ
3. माल जो सप्लाइ हुआ .
4. माल जो चोरी हो गया, खो गया, गुम हो गया, गिफ्ट या फ्री सैंपल में दे दिया .
5. स्टॉक में रहा माल

ये सभी सूचनाये कच्चे माल , फिनिशड गुड्स, स्क्रेप और वेस्टेज सभी के लिए रखना है.

निर्माताओं के लिए तो यह कोई नयी बात नहीं है लेकिन जो इस समय वेट डीलर्स है (जो निर्माता नहीं है ) उनके लिए अधिकाँश राज्यों में यह एक नई व्यवस्था है जिसका उन्हें पालना करना है .

एकाउंट्स और रिकार्ड्स कब तक सुरक्षित रखने है ?  
धारा 36

जो अकाउंट और रिकार्ड्स बताए गए है उन्हें जिस वर्ष से वे सम्बंधित है उस वर्ष के वार्षिक रिटर्न के भरने की तिथी के 72 महीने तक सुरक्षित रखने है .

आइये इसे पहले साल जब जी.एस.टी. लागू होने वाला है इससे समझ लें . यह वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च 2018 को और इसे वार्षिक रिटर्न भरने की तिथी होगी 31 दिसंबर 2018 और इस प्रकार से आपको इस वित्तीय वर्ष जो कि 31 मार्च 2017 समाप्त हुआ है के एकाउंट्स और रिकार्ड्स 31 दिसंबर 2024 तक रखने होंगे.

लेकिन यहाँ ध्यान रखे की यदि आपका केस किसी अपील या रिवीजन के लिए किसी अधिकारी , अथॉरिटी , ट्रिब्यूनल या कोर्ट के पास है तो आपको इस केस के अंतिम रूप से समाप्त होने के एक साल बाद तक भी रिकार्ड्स रखने होंगे अर्थात तब आप ऊपर लिखी 72 माह की अवधि और इस एक वर्ष की दोनों में से जो बाद में समाप्त हो तब तक अपने रिकार्ड्स रखने होंगे.

यदि कोई माल डीलर के रिकॉर्ड में नियमानुसार दर्ज नहीं हो तो इसके क्या परिणाम होंगे ?

यदि कोई माल किसी डीलर के रिकॉर्ड में उस तरह दर्ज नहीं हो जिस तरह से नियमानुसार होना चाहिए तब फिर अधिकृत अधिकारी इस माल पर कर की गणना इस प्रकार यह मानते हुए करेगा कि यह माल डीलर द्वारा सप्लाई कर दिया गया है और ऐसे में इस डीलर पर डिमांड और रिकवरी की धाराएं 73 और 74 भी लागू हो जायेंगी .

इसका अर्थ यह होगा कि यदि इस प्रकरण में धारा 74 भी लागू हो गई तो फिर ऐसा कर जमा तो होगा लेकिन उसकी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी .

यहाँ ध्यान रखे कि धारा 73 का प्रयोग तब किया जाता है जब कि कोई इस प्रकरण में कोई कपट , जानबूझ कर दिया गया मिथ्या वचन या किसी तथ्य को छिपाने का **“नहीं है”** तो प्रकरण उतना गंभीर नहीं है .

लेकिन धारा 74 में के तहत कर की वसूली होती है अब यह प्रकरण गंभीर हो जाता है और यह धारा तब लागू होती है जब की इस प्रकरण में कोई कपट , जानबूझ कर दिया गया मिथ्या वचन या किसी तथ्य को छिपाने का **“है”** और यह प्रकरण इस तरह से गंभीर हो जाता है और इसका सबसे पहला परिणाम यह होगा कि इस प्रकार जमा कराये गए कर की इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है.

दोनों ही सेक्शन में डीलर के विरुद्ध पेनल एक्शन भी होता है लेकिन धारा 74 के तहत पेनाल्टी की रकम अधिक है क्योंकि यहाँ

प्रकरण कपट , जानबूझ कर दिया गया मिथ्या वचन या किसी तथ्य को छिपाने का होता है और इसके साथ ही जब मामला धारा 74 में बनता है तो इस कर का इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा .

आइये इसके साथ ही एकाउंट्स एवं रिकार्ड्स के जो रूल्स जारी किये गए हैं उनके अनुसार भी एक डीलर को निम्नलिखित रिकॉर्ड रखना होगा :-

जी.एस.टी. के तहत करयोग्य माल एवं सेवा है सप्लाई करने वालों का नाम एवं पता

जी.एस.टी. के तहत करयोग्य माल एवं सेवा है प्राप्त करने वालों का नाम एवं पता

उन स्थानों का पूरा पता जहाँ माल स्टॉक रखा जाता है . इसमें वो जगह भी शामिल जहाँ परिवहन के दौरान भी माल स्टॉक में रखा जाता है.

यहाँ यह ध्यान रखें कि यदि माल ऐसी जगह पर रखा हुआ मिलता है तो अधिकृत अधिकारी ऐसे माल को उस डीलर की सप्लाई मानते हुए उस पर कर लगाएंगे इसलिए आप इस अपने स्टॉक को रखते समय अपना रिकॉर्ड भी समूचित रूप से सही रखें.

वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में जो डीलर काम कर रहे हैं उन्हें इसके लिए निम्नलिखित रिकॉर्ड और रखने होंगे :-

उन व्यक्तियों के नाम एवं पता जिनके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवा दी जा रही है

माल एवं सेवा जो इस सेवा को प्रदान करने के लिए प्राप्त की

गई उसका विवरण, कीमत एवं मात्र (जहाँ लागु हो ) .

माल एवं सेवा जो इस सेवा को प्रदान करने के लिए उपयोग में ली गई उसका विवरण, कीमत एवं मात्र (जहाँ लागु हो ) .

प्रत्येक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्राप्त किया गया भुगतान .

उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जिनसे माल एवं सेवा प्राप्त की गई .

एक एजेंट जो किसी अन्य व्यक्ति की और से कार्य कर रहा है उसे निम्नलिखित रिकॉर्ड भी रखने होंगे :-

प्रत्येक प्रिंसिपल की और से माल एवं सेवा प्राप्त करने या सप्लाय करने के लिए प्राप्त अधिकार पत्र का विवरण .

माल एवं सेवा जो प्रिंसिपल के लिए प्राप्त की गई उसका विवरण, कीमत एवं मात्र (जहाँ लागु हो ) .

माल एवं सेवा जो प्रिंसिपल की और से सप्लाय की गई उसका विवरण, कीमत एवं मात्र (जहाँ लागु हो ) .

प्रत्येक प्रिंसिपल को भेजे गए उसके खाते का विवरण .

कर के भुगतान की विगत जो कि प्रिंसिपल की और से माल और सेवा की सप्लाय करते हुए या प्राप्त करते हुए किया गया .

अगर एकाउंट्स कंप्यूटर पर रखे जाते हैं तो निम्नलिखित व्यवस्था और भी करनी है :-

जो भी रिकॉर्ड है उनका बैकअप इस तरह से तैयार रहना चाहिए कि यदि मूल रिकॉर्ड नष्ट हो जाता है तो उसे एक समुचित समय में फिर से प्राप्त किया जा सके.

अब भी विभाग द्वारा माँगा जाए तो इस तरह का रिकॉर्ड या तो हार्ड कॉपी में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिया जाना

आवश्यक होगा .

जब भी इस तरह का इलेक्ट्रनिक रिकॉर्ड रखा जाता है तो विभाग द्वारा मांगे जाने पर इसका पासवर्ड भी दिया जाना आवश्यक होगा.

इलेक्ट्रनिक मीडिया पर जो भी रिकॉर्ड रखा जाएगा उसे डिजिटल साइन से सत्यापित करना होगा.

## जी.एस.टी. एवं सर्राफा व्यापारी GST- SARAFI DEALERS

जी.एस.टी. को लेकर सर्राफा व्यापार पर किस तरह से कर लगेगा यह प्रश्न भी हमसे बार- बार किया जा रहा है कि सर्राफा व्यापारी किस तरह से कर देंगे और उन पर जी.एस.टी. के प्रावधान किस तरह से लागू होंगे तो आइये आज अध्ययन करें कि किस तरह इस व्यवसाय पर कर लगेगा :-

सोना , चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुओं पर जी.एस.टी. के दौरान कर की दर क्या रहेगी ?

सोना , चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुओं पर कर की दर 3% प्रतिशत रहेगी .

सोना, चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुओं के जेवर पर कर की दर क्या रहेगी ?

सोना , चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुओं के जेवर पर भी कर की दर 3% प्रतिशत ही रहेगी है.

सोना , चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुओं की मेकिंग पर जो जॉब चार्ज लगेंगे उन पर जी.एस.टी. की दर क्या होगी और इसका भुगतान किसे करना होगा.

सोना, चांदी एवं अन्य मूल्यवान धातुओं के जेवर की मेकिंग पर जो जॉब वर्क लगता है उस पर कर की दर 5% है और इसका भुगतान भी अधिकांश मामलों में उस डीलर को करना होगा जो इनका उपयोग जेवर बनवाने के लिए कर रहा है क्यों कि अधिकतर कारीगर एवं जॉब वर्कर अन रजिस्टर्ड होते हैं . इसका भुगतान रिवर्स चार्ज के दौरान होगा और उस डीलर को इसकी इनपुट क्रेडिट भी मिलेगी . यदि जॉब वर्कर एवं कारीगर जी.एस.टी. में रजिस्टर्ड है तो वे अपने बिल में 5% जी.एस.टी. चार्ज करेंगे और इसकी क्रेडिट भी सर्राफा व्यवसायी को मिलेगी .

### जी.एस.टी. के दौरान एक उदाहरण

आपने 30000.00 रुपये का सोना खरीदा और उस पर 3 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया जिसमें से 1.50% एस.जी.एस.टी. एवं 1.50% सी.जी.एस.टी. है . इस प्रकार सोने की खरीद पर 450.00 रुपये एस.जी.एस.टी. और 450.00 रुपये के सी.जी.एस.टी. का भुगतान हुआ है और यह आपकी इनपुट क्रेडिट भी होगी.

अब आपने इसे एक कारीगर को जेवर बनाने के लिये दिया और उनकी मजदूरी 2400.00 रुपये होते हैं और इस पर जी.एस.टी. की 5% की दर से 120.00 रुपये जी.एस.टी. का कर बनेगा इसमें से एस.जी.एस.टी. 60.00 रुपये होगा एवं 60.00 रुपये सी.जी.एस.टी.

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 157

बनेगा जिसका भुगतान आपको रिवर्स चार्ज के रूप में करना होगा और इसकी इनपुट क्रेडिट भी आपको मिलेगी .

अब आप इस बने हुए जेवर को 35640.00 रुपये में बेचते हैं तो आप ग्राहक से 3% की दर से जी.एस.टी. के कुल 1070.00 रुपये वसूल करेंगे जिसमें से 535.00 रुपये एस.जी.एस.टी. के लिए होंगे और 535.00 रुपये सी.जी.एस.टी. के लिए होंगे.

**आइये अब देखें कि इस उदहारण में आपके द्वारा चुकाया जाने वाला कर किस तरह से तय होगा**

| विवरण   | एस.जी.एस.टी.  | सी.जी.एस.टी.  | कुल कर         |
|---|---------------|---------------|----------------|
| <b>कर की दर</b>   | <b>1.50%</b>  | <b>1.50%</b>  | <b>3.00%</b>   |
| (i).आउटपुट टैक्स :-<br>बिक्री 35640.00 रुपये की बिक्री 3% जी.एस.टी. | 535.00        | 535.00        | 1070.00        |
| <b>कुल आउटपुट</b>   | <b>535.00</b> | <b>535.00</b> | <b>1070.00</b> |
| इनपुट टैक्स:-<br>सोने की खरीद 30000.00 रुपये पर 3% जी.एस.टी.        | 450.00        | 450.00        | 900.00         |
| <b>कुल कर देयता</b>   | <b>85.00</b>  | <b>85.00</b>  | <b>170.00</b>  |
| जॉब वर्क की   | 60.00         | 60.00         | 120.00         |

|   |              |              |               |
|---|--------------|--------------|---------------|
| राशि 2400.00<br>रूपये पर 5%<br>जी.एस.टी. रिवर्स<br>चार्ज के तहत<br>भुगतान |              |              |               |
| जी.एस.टी. कर<br>भगतान का<br>आपका दायित्व                                  | 25.00        | 25.00        | 50.00         |
| <b>कुल कर का<br/>भुगतान</b>   | <b>85.00</b> | <b>85.00</b> | <b>170.00</b> |

आइये अब आपका जो कर भुगतान 170.00 रूपये जो हुआ है उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं

| विवरण   | रकम      |
|---|----------|
| आपकी सोने की खरीद                                       | 30000.00 |
| आपकी जेवर की बिक्री                                     | 35640.00 |
| कुल वैल्यू एडिशन  | 5640.00  |
| कर की दर  | 3%       |
| कर की रकम जो कि 5640.00<br>के वैल्यू एडिशन पर निकाली गई | 170.00   |

आइये अब इस वैल्यू एडिशन की रकम 5640.00 को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं

| विवरण                       | रकम     |
|-----------------------------|---------|
| सोना खरीदने के बाद लगी जाँब | 2400.00 |

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 159

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| वर्क की रकम              |         |
| आपका मुनाफ़ा             | 3240.00 |
| कुल वैल्यू एडिशन         | 5640.00 |
| कर की दर                 | 3%      |
| कुल कर जो आपको चुकाना है | 170.00  |

इस 170.00 रुपये का भुगतान निम्नप्रकार से किया गया है :-

|                     |        |
|---------------------|--------|
| रिवर्स चार्ज के तहत | 120.00 |
| कर भुगतान के तहत    | 50.00  |
| कुल कर का भुगतान    | 170.00 |

नोट :- यहाँ ध्यान रखें कि जॉब वर्क 5000.00 रुपये से कम है और एक दिन में 5000.00 रुपये तक की सभी अन-रजिस्टर्ड डीलर्स से ली गई कुल माल / सेवा की सप्लाई रिवर्स चार्ज से मुक्त है लेकिन उदहारण में हमने समझाने के लिए इस पर रिवर्स चार्ज का भुगतान दिखाया है .

### एक और प्रश्न

सर्गाफा व्यवसायी अपने व्यवसाय के दौरान ग्राहकों से जेवर की बिक्री करते समय पुराने जेवर भी लेते हैं तो क्या इस पर भी रिवर्स चार्ज के रूप में हमें कोई कर चुकाना होगा ?

ताजा सरकारी स्पष्टीकरण :-

अब यह मुद्दा एक तरह से विवादित हो चुका है . राजस्व सचिव महोदय की जो जी.एस.टी. मास्टर क्लास में यह बताया गया कि इस

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 160

तरह की खरीद पर रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान करना होगा और स्वाभाविक रूप से इसका इनपुट क्रेडिट भी मिल जाएगा.

लेकिन बाद में सरकार द्वारा एक प्रेस रिलीज़ जारी कर कहा गया कि इस राय पर फिर से विचार किया गया है और इस प्रकार के खरीद के व्यवहार पर किसी भी तरह का रिवर्स चार्ज के दौरान कर का भुगतान नहीं करना होगा क्यों कि बेचने वाला अपने व्यापार के दौरान बिक्री नहीं कर रहा है अतः रिवर्स चार्ज का भुगतान तभी करना होगा जबकि इस तरह का पुराना जेवर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से प्राप्त किया जाए लेकिन ग्राहक से यदि इस तरह का जेवर खरीदा जाए तो रिवर्स चार्ज के दौरान कर नहीं देना होगा.

#### लेखक की पहले की राय

हाँ यदि आप अपने ग्राहकों से पुराने जेवर लेते हैं तो इसे भी यदि सप्लाइ ही माना जाएगा और आपको इस पर भी रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान करना होगा लेकिन इस रिवर्स चार्ज के दौरान चुकाए गए कर की भी इनपुट क्रेडिट आपको मिलेगी.

लेकिन इस विषय पर दूसरा विचार यह है कि जो ग्राहक सर्राफा व्यवसायी को जेवर देते हैं वह उनका व्यापार नहीं है अतः खरीदने वाले को रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

इस विषय पर सरकारी स्पष्टीकरण का इन्तजार है .

अब यदि ताजा प्रेस रिलीज़ पर विचार करें तो एक और स्थिती उत्पन्न होती है जिसके अनुसार जो सर्राफा डीलर्स कम्पोजीशन डीलर्स हैं वे भी यदि इस स्पष्टीकरण के कारण बिना रिवर्स चार्ज के तहत कर का भुगतान किये बिना ही ग्राहकों से जेवर खरीद लेंगे तो फिर उन्हें क्या केवल 1% (व्यापारी होने पर ) या 2% प्रतिशत (निर्माता) होने पर कर का भुगतान करना होगा ?

कम्पोजीशन डीलर पर लगने वाले कर की व्यावहारिक सच्चाई यह है कि एक बार पूरे कर का भुगतान जो कर की निर्धारित दर है उसके अनुसार होने के बाद 1% या 2% कम्पोजीशन कर का भुगतान होता है और यह कर करदाता को कर की प्रक्रिया संबंधी उलझनों से बचाने के एवज में लगाया जाता है.

आइये अब इस सम्बन्ध में एक और संभावित स्पष्टीकरण का इन्तजार करें.

### सर्राफा व्यापारी और कम्पोजीशन स्कीम

अब तक विभिन्न राज्यों में सर्राफा व्यापारियों के लिए अलग- अलग कम्पोजीशन स्कीम या सर्राफा स्कीम चल रही थी उन सबकी जगह अब जी.एस.टी. कानून की धारा 10 में जो कम्पोजीशन स्कीम ले लेगी और यह कम्पोजीशन स्कीम व्यापारी और निर्माताओं दोनों के लिए होंगी . व्यापारी वर्ग के लिए कम्पोजीशन की दर 1 प्रतिशत होगी और निर्माता वर्ग के लिए यह दर 2 प्रतिशत होगी . इस दर में से आधा कर राज्य के जी.एस.टी. का होगा एवं आधा कर केंद्र के जी.एस.टी. का होगा.

कंपोजीशन में जाने वाले डीलर्स यह ध्यान रखें कि कम्पोजीशन डीलर को एक बार तो पूरे कर का भुगतान करना ही होता है और उसके बाद कम्पोजीशन कर का भुगतान होता है. आइये यह कैसे होता है इए भी एक बार समझ लें .

कम्पोजीशन डीलर या तो रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं तो वे रजिस्टर्ड डीलर उनसे कर की वसूली करते हैं या फिर कम्पोजीशन

डीलर्स अन रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदते हैं तो फिर वे रिवर्स चार्ज के दौरान अपनी खरीद पर कर का भुगतान करते हैं इस प्रकार वे एक बार तो 3 प्रतिशत का भुगतान करने के बाद ही कम्पोजीशन कर का भुगतान करते हैं और इस प्रकार वे कम्पोजीशन स्कीम में अपने 75 लाख रुपये (उत्तर पूर्व के राज्यों में 50 लाख रुपये तक लेकिन जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड में यह सीमा 75 लाख रुपये ही है ) के टर्नओवर तक जा तो सकते हैं लेकिन कर का भार व्यापारी के लिए 4% (3% कर और 1% कम्पोजीशन कर ) और निर्माता के लिये 5% (सोने पर 3% कर और 2% कम्पोजीशन कर के साथ लेबर चार्ज पर 5% का कर ) का भुगतान करना होगा और चूँकि आप एक मंहगी वस्तु में व्यापार कर रहे हैं तो यह 1% या 2% का अतिरिक्त कर आपके लाभ पर भारी पड़ सकता है .

### 30 जून को जो स्टॉक आपके पास है उसकी क्रेडिट का क्या होगा

30 जून को जो स्टॉक आपके पास उसकी नियमानुसार आपको इनपुट क्रेडिट को आगे ले जाने का मौका मिलेगा जिसका अध्ययन हम अपने “इनपुट क्रेडिट वाले भाग में” कर चुके हैं. आपको भी यह क्रेडिट उसी तरह से मिलेगी जैसे अन्य जी.एस.टी. डीलर्स को मिलनी है. इसके अतिरिक्त जो डीलर्स कम्पोजीशन स्कीम के तहत इस समय है और अब जी.एस.टी. डीलर बन रहे हैं और उनके पास स्टॉक है उस पर यदि वर्तमान कानून के तहत कर लगा हुआ है तो नियमानुसार उसकी क्रेडिट भी आपको मिलेगी .

इस क्रेडिट के सम्बन्ध में ध्यान रखें कि यदि आप जी.एस.टी. के

दौरान कम्पोजीशन स्कीम के तहत जाने का फैसला करते हैं तो फिर आपको अपने स्टॉक की एवं खरीद की भी कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी.

**आइये 30 जून के स्टॉक के सामान्य नियम देख लें :-**

1. यदि आप वेट में सामान्य डीलर की तरह रजिस्टर्ड है तो आपके अंतिम वेट रिटर्न में जो इनपुट क्रेडिट के रिड फॉरवर्ड की गई है उसे ही आपके एस.जी.एस.टी. के इनपुट क्रेडिट लेजर का प्रारम्भिक शेष माना जाएगा.

2. यदि आप सेंट्रल एक्साइज में सामान्य डीलर की तरह रजिस्टर्ड है तो आपके अंतिम सेंट्रल एक्साइज रिटर्न में जो इनपुट क्रेडिट के रिड फॉरवर्ड की गई है उसे ही आपके सी.जी.एस.टी. के इनपुट क्रेडिट लेजर का प्रारम्भिक शेष माना जाएगा.

3. यदि आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आप निर्माता या व्यापारी है और आपके बिल में सेंट्रल एक्साइज लगा हुआ दिख रहा है तो आपको अपने स्टॉक पर इस तरह से लगे हुए सेंट्रल एक्साइज का इनपुट क्रेडिट इस बिल पर लगे हुए सेंट्रल एक्साइज के आधार पर सी.जी.एस.टी. में मिल जाएगा.

इस तरह के बिल जिन पर यह क्रेडिट ली जानी है वह जी.एस.टी. लगने की तारीख से 12 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए.

4. यदि आप सेंट्रल एक्साइज में रजिस्टर्ड नहीं है और आप व्यापारी है लेकिन अब जी.एस.टी. में सामान्य डीलर की तरह रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं और आप के स्टॉक पर सेंट्रल एक्साइज लगा हुआ है लेकिन वह बिल में दिख नहीं रहा है तो आपको इस माल की बिक्री पर लिए गए सी.जी.एस.टी. का 40 प्रतिशत इनपुट क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर

वापिस दे दिया जाएगा .

यह माल आपको जी.एस.टी. लागू होने के 6 माह के भीतर बेचना होगा और इसके बाद यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

3. यदि आप वेट में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आप निर्माता या व्यापारी है और आपके बिल में वेट लगा हुआ दिख रहा है तो आपको अपने स्टॉक पर इस तरह से लगे हुए वेट का इनपुट क्रेडिट इस बिल पर लगे हुए वेट के आधार पर एस.जी.एस.टी. में मिल जाएगा.

इस तरह के बिल जिन पर यह क्रेडिट ली जानी है वह जी.एस.टी. लगने की तारीख से 12 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए.

5. यदि आप वेट में रजिस्टर्ड नहीं है और आप व्यापारी है और अब जी.एस.टी. में सामान्य डीलर की तरह रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं और आपके स्टॉक पर वेट लगा हुआ है लेकिन वह बिल में दिख नहीं रहा है तो आपको इस माल की बिक्री पर लिए गए एस.जी.एस.टी. का 40 प्रतिशत इनपुट क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर वापिस दे दिया जाएगा और यह वापसी आपके एस.जी.एस.टी. के इनपुट क्रेडिट लेजर में क्रेडिट देकर की जायेगी.

यह माल आपको जी.एस.टी. लागू होने के 6 माह के भीतर बेचना होगा और इसके बाद यह क्रेडिट नहीं मिलेगी.

**क्या जो डीलर्स किसी स्कीम के तहत कर भर रहे थे उन्हें भी क्लोजिंग स्टॉक पर इनपुट क्रेडिट का कोई लाभ मिलेगा**

जो डीलर्स एक फिक्स रेट \ फिक्स रकम के रूप में सामान्य कर की जगह भुगतान कर रहे हैं (कई राज्यों में इसे ग्रीन चेनल स्कीम या सर्राफा स्कीम का नाम भी दिया जाता है ) उन्हें भी स्टॉक पर जो

पर कर लगा है उसकी इनपुट क्रेडिट भी मिलेगी और यह क्रेडिट उनके स्टोक के बिल में लगे हुए कर के हिसाब से मिलेगा और यहाँ भी शर्त यह है कि ये बिल 12 माह से पुराना नहीं होना चाहिए. इसके लिए भी धारा 140(6)में व्यवस्था की गई है.

\*\*

## अध्याय -17

### भारत में लगने वाले जी.एस.टी. में HSN CODE की व्यवस्था HSN CODE SYSTEM FOR INDIAN GST

| S.NO. | TURNOVER                        | DIGITS OF HSN CODE |
|-------|---------------------------------|--------------------|
| 1.    | Up to 1.50 Crores               | No HSN is required |
| 2.    | over 1.50 Crores to 5.00 Crores | 2 Digits HSN code  |
| 3.    | Over 5.00 Crores                | 4 Digits HSN code  |
| 4.    | Import- Export                  | 8 Digits HSN Code  |

### THE INTERNATIONAL SYSTEM OF HSN

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Full Name                  | Harmonised system of Nomenclature           |
| Invented by                | World Custom Organisation                   |
| How the Digits of HSN work |   |
| 2 Digits                   | Chapter No.- Major Commodity                |
| 4 Digits                   | Head of Major Commodity Classification      |
| 6 Digits                   | Sub Heading classification of the commodity |
| 8 Digits                   | More deeper classification of the Sub Heads |
| Total Sections             | 21  |
| Chapters                   | 99  |
| Headings                   | 1244  |
| Sub Heading                | 5224  |

## भारत में HSN CODE व्यवस्था

भारत में जो जी.एस.टी. लागू होने वाला है उसके तहत जैसा की ऊपर बताया गया है कि 1.50 करोड़ के टर्नओवर तक किसी प्रकार के HSN code की आवश्यकता नहीं है . इसके बाद 5.00 करोड़ तक 2 digits के HSN code की आवश्यकता रहेगी और 5 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले डीलर्स /सप्लायर्स को 4 digit के HSN CODE की जरूरत रहेगी . जो डीलर्स सिर्फ भारत में ही खरीद बिक्री /सप्लाइ करते हैं उन्हें 4 डिजिट के ऊपर के HSN CODE की आवश्यकता नहीं होती है . यह टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 का लिया जाएगा.

जो डीलर्स इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें 8 डिजिट के HSN CODE की आवश्यकता रहेगी .

## कुछ मुख्य वस्तुएं एवं एच. एस. एन कोड

### SECTIONS AND CHAPTERS OF HSN CODE

| CHAPTER  | DESCRIPTION  |
|--|--|
| <b>SECTION I:- LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS</b> |  |
| 1.   | LIVE ANIMALS   |
| 2.   | MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL   |
| 3.   | FISH AND CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES   |
| 4.   | DAIRY PRODUCE; BIRDS'EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED. |
| 5.   | PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN , NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED.   |
| <b>SECTION II:- VEGETABLE PRODUCTS</b>           |  |
| 6.   | LIVE TREES & OTHER PLANTS  |
| 7.   | EDIBLE VEGETABLES AND CERTAIN ROOTS AND TUBERS   |
| 8.   | ED. FRUITS & NUTS, PEEL OF CITRUS FRUITS AND MELONS  |
| 9.   | COFFEE , TEA, MATE & SPICES  |
| 10.  | CEREALS  |
| 11.  | PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY; MALT;STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN.   |
| 12.  | OIL SEEDS / MISC.GRAINS / MED.PLANTS /   |

|   |   |
|---|---|
|   | STRAW   |
| 13.   | LAC, GUMS, RESINS, ETC.   |
| 14.   | VEGETABLE PLAITING MATERIALS  |
| <b>SECTION III:-ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR CLEAVAGE PRODUCTS; PREPARED EDIBLE FATS; ANIMAL OR VEGETABLE WAXES.</b> |   |
| 15.   | ANIMAL OR VEGETABLE FATS, OILS & WAXES                                    |
| <b>SECTION IV:- PREPARED FOODSTUFFS , BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR; TOBACO AND MANUFACTURED TOBACO SUBSTITUTES.</b>               |   |
| 16.   | PREP.OF MEAT, FISH, CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER ACQATIC INVERTEBRATES. |
| 17.   | SUGARS & SUGAR CONFECTIONERY  |
| 18.   | COCOA & COCOA PREPARATIONS  |
| 19.   | PREPS.OF CEREALS, FLOUR, STARCH OR MILK; PASTRYCOOKS' PRODUCTS            |
| 20.   | PREPS OF VEGS, FRUITS, NUTS OR OTHER PARTS OF PLANTS.                     |
| 21.   | MISC.EDIBLE PREPARATIONS  |
| 22.   | BEVERAGES , SPIRITS & VINEGAR   |
| 23.   | RESIDUES AND WASTE FROM FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER           |
| 24.   | TOBACCO & MANUF. TOBACCO SUBSTITUTES                                      |
| <b>SECTION V:- MINERALS PRODUCTS</b>  |   |
| 25.   | SALT , SULPHUR, EARTH & STONE; PALSTERING MATERILS, LIME AND CEMENT.      |
| 26.   | ORES, SLAG AND ASH  |
| 27.   | MINERAL FUELS, OILS, WAXES & BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES.        |
| <b>SECTION VI:- PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES</b>   |   |
| 28.   | INORGANIC CHEM, ORG/INORG COMPOUNDS                                       |

|   |  |
|---|--|
|   | OF PRECIOUS METALS, RARE EARTH METALS, OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES.   |
| 29.   | ORGANIC CHEMICALS  |
| 30.   | PHARMACEUTICAL PRODUCTS  |
| 31.   | FERTILIZERS  |
| 32.   | TANNING OR DYEING EXTRACTS, DYES, PIGMENTS, PAINTS & VARNISHES, PUTTY, & INKS.   |
| 33.   | OILS & RESINOIDS, PERFUMERY, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS.  |
| 34.   | SOAPS, WAXES, SURFACE ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS , LUBRICATING PREPARATIONS, POLISHING OR SCOURING PRAPARATIONS , CANDLES, MODELING PASTES, DENTAL WAXES ETC. |
| 35.   | ALBUMINOIDAL SUB, MODIFIES STARCHES, GLUES, ENZYMES  |
| 36.   | EXPLOSIVES, MATCHES, PYROTECHNIC PRODUCTS  |
| 37.   | PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS  |
| 38.   | MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS  |
| <b>SECTION VII:- PLASTIC &amp; ARTICLES THEREOF; RUBBER AND ARTICLE THEREOF</b>   |  |
| 39.   | PLASTICS & ARTICLES THEREOF  |
| 40.   | RUBBERS & ARTICLES THEREOF   |
| <b>SECTION VIII:- RAW HIDES , SKINS , LEATHER , FURSKINS AND ARTICLES THEREOF; SADDLERY AND HARNESS; TRAVEL GOODS, HAND BAGS AND CONTANERS ETC.</b> |  |
| 41.   | RAW HIDES & SKINS & LEATHER  |
| 42.   | ARTICLES OF LEATHER, SADDLERY & HARNESS, TRAVEL GOODS, HANDBAGS, ARTICLES OF ANIMAL GUT ETC.   |
| 43.   | FURSKINS & ARTIFICIAL FUR, MANUFACTURES THEREOF  |

**SECTION IX:- WOOD & ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL; CORK & ARTICLES OF CORK; MANU. OF STRAW, ESPARTO, OR OTHER PLAITING MATERIALS, BASKETWARE AND WICKERWORK.**

|     |  |
|-----|--|
| 44. | WOOD & ARTICLES OF WOOD ; WOOD CHARCOAL  |
| 45. | CORK & ARTICLES OF CORK  |
| 46. | MANU. OF STRAW, ESPARTO, OR OTHER PLAITING MATERIALS, BASKETWARE AND WICKERWORK. |

**SECTION X:- PULP OF WOOD OR OF OTHER FIBROUS CELLULOSIC MATEIRALS; RECOVERED (WASTE AND SCRAP) PAPER OR PAPER BOARD AND ARTICLE THEREOF.**

|     |  |
|-----|--|
| 47. | PULP OF WOOD, WASTE & SCRAP OF PAPER                                   |
| 48. | PAPER & PAPERBOARD, ARTICLES OF PAPER PULP                             |
| 49. | PRINTED BOOKS, NEWSPAPERS, PICTURES, MANUSCRIPTS, TYPESCRIPTS & PLANS. |

**SECTION XI:- TEXTILES AND TEXTILE ARTICLES**

|     |  |
|-----|--|
| 50. | SILK   |
| 51. | WOOL & FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSE HAIR YARN AND WOVEN FABRICS.                    |
| 52. | COTTON.  |
| 53. | OTHER VEG. TEXTILE FIBERS; PAPER YARN AND WOVEN FABRICS OF PAPER YARN .                  |
| 54. | MAN-MADE FILAMENTS; STRIP AND LIKE OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS.                        |
| 55. | MAN-MADE STAPLE FIBERS.  |
| 56. | WADDING, FELT & NONWOVENS; SPECIAL YARNS;TWINE, CORDAGE, ROPES & CABLES & ARTICLES       |
| 57. | CARPETS & OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS  |
| 58. | SPECIAL WOVEN FABRICS, TUFTED TEXTILES FABRICS; LACE; TAPESTRIES; TRIMMINGS; EMBROIDERY. |
| 59. | IMPREGNATED, COATED, COVERED, OR   |

|  |  |
|--|--|
|  | LAMINATED TEXTILE FABRICS ; TEXTILE PROD FOR INDUSTRIAL USE  |
| 60.  | KNITTED OR CROCHETED FABRICS   |
| 61.  | ARTICLES OF APPAREL & CLOTHING ACCESSORIES-KNITTED OR CROCHETED  |
| 62.  | ARTICLES OF APPAREL & CLOTHING ACCESSORIES-NOT KNITTED OR CROCHETED  |
| 63.  | MADE-UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING, RAGS.   |
| <b>SECTION XII :- FOOT WEAR, HEAD GEAR, UMBRELLAS, WALKING STICKS, SEAT- STICKS, WHIPS, READING – CROPS AND PARTS THEREOF; PREPARED FEATHERS AND ARTICLES MADE THERE WITH; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR.</b> |  |
| 64.  | FOOTWEAR, GAITERS, & THE LIKE  |
| 65.  | HEADGEAR & OTHER PARTS   |
| 66.  | UMBRELLAS, SUN UMBRELLAS, WALKING-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS, SEAT STICKS & PARTS   |
| 67.  | PREPARED FEATHERS, HUMAN HAIR & ARTICLES THEREOF, ARTIFICIAL FLOWERS   |
| <b>SECTION XIII:- ARTICLES OF STONES, PLASTERS, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIAL; CEREMIC PRODUCTS; GLSS AND GLASSWARE.</b>  |  |
| 68.  | ARTICLES OF STONE, PLASTER, CEMENT, ASBESTOS, MICA OR SIMILAR MATERIALS  |
| 69.  | CERAMIC PRODUCTS   |
| 70.  | GLASS & GLASSWARE  |
| <b>SECTION XIV:- NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI PRECIOUS STONES , PRECIOUS METALS ETC AND ARTICLES THEREOF ; IMITATION JEWELLERY; COINS</b>  |  |
| 71.  | NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS OR SEMI PRECIOUS STONES , PRECIOUS METALS ETC AND ARTICLES THEREOF ; IMITATION JEWELLERY; COINS |
| <b>SECTION XV:- BASE METALS AND ARTICLES OF BASE METAL</b>   |  |
| 72.  | IRON & STEEL   |

|  |   |
|--|---|
| 73.  | ARTICLES OF IRON OR STEEL   |
| 74.  | COPPER & ARTICLES THEREOF   |
| 75.  | NICKEL & ARTICLES THEREOF   |
| 76.  | ALUMINUM & ARTICLES THEREOF   |
| 77.  | ***   |
| 78.  | LEAD & ARTICLES THEREOF   |
| 79.  | ZINC & ARTICLES THEREOF   |
| 80.  | TIN & ARTICLES THEREOF  |
| 81.  | BASE METALS; CERMETS; ARTICLES THEREOF  |
| 82.  | TOOLS, IMPLEMENTS, CUTTER, SPOONS & FORKS OF BASE METAL   |
| 83.  | MISCELLANEOUS ARTICLES OF BASE METAL  |
| <b>SECTION XVI:- MACHINERY AND MECHANICAL APPLIANCES; ELECTRICAL EQUIPMENTS; PARTS THEREOF; SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS, TELEVISION IMAGE AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS; AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES.</b> |   |
| 84.  | NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY & MECHANICAL APPLIANCES; PARTS THEREOF   |
| 85.  | ELECTRICAL MACHINERY & EQUIP. & PARTS; SOUND RECORDERS AND REPRODUCES, TELEVISION IMAGES AND SOUND RECORDERS AND REPRODUCES AND PARTS AND ACCESSORIES OF SUCH ARTICLES.   |
| <b>SECTION XVII:- VEHICLES, AIRCRAFTS, VESSELS, ASSORTED TRANSPORT EQUIPMENTS.</b>   |   |
| 86.  | RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK AND PARTS THEREOF; RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES & FITTINGS AND PARTS THEREOF; MECHANICAL(INCLUDING ELECTRO-MECHANICAL) TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENTS OF ALL KINDS. |
| 87.  | VEHICLES OTHER THAN RAILWAY OR TRAMWAY ROLLING STOCK, AND PARTS AND ACCESSORIES THEREOF.  |
| 88.  | AIRCRAFT, SPACECRAFT, & PARTS THEREOF   |

|   |  |
|---|--|
| 89.   | SHIPS, BOATS, & FLOATING STRUCTURES.   |
| <b>SECTION XVIII:- OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS &amp; ACCESSORIES; CLOCKS AND WATCHES; MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESSORIES THEREOF.</b> |  |
| 90.   | OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL OR SURGICAL INSTRUMENTS & ACCESSORIES  |
| 91.   | CLOCKS & WATCHES & PARTS THEREOF   |
| 92.   | MUSICAL INSTRUMENTS, PARTS & ACCESSORIES   |
| <b>SECTION XIX:- ARMS &amp; AMMUNITION, PARTS &amp; ACCESSORIES</b>   |  |
| 93.   | ARMS & AMMUNITION, PARTS & ACCESSORIES   |
| <b>SECTION XX:- MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES</b>   |  |
| 94.   | FURNITURE; BEDDING, MATTRESSES, MATTRESS SUPPORT, CUSHIONS AND SIMILAR STUFFED FURNISHING; LAMPS & LIGHTING FITTINGS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; ILLUMINATED SIGNS, NAMEPLATES & THE LIKE, PREFABRICATED BUILDINGS |
| 95.   | TOYS, GAMES & SPORTS EQUIP, PARTS & ACCES.   |
| 96.   | MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES  |
| <b>SECTION XXI:- WORKS OF ART , COLLECTORS'S PIECES AND ANTIQUES</b>  |  |
| 97.   | WORKS OF ART. COLLECTORS' PIECES, ANTIQUES   |
| 98.   | PROJECT IMPORTS; LABORATORY CHEMMICALS; PASSENGERS'S BAGGAGE, PERSONAL IMPORATATIONS BY AIR OR POST; SHIP STORES.  |

## कुछ वस्तुओं के एच .एस. एन. कोड

कृपया ध्यान दें

हम यहाँ उन वस्तुओं के एच.एस.एन, कोड दे रहे हैं जो व्यापार के दौरान अधिक डीलर्स को प्रभावित करते हैं. एच.एस.एन. कोड एवं कर की दर निकालते समय पूरी सावधानी रखी गई है लेकिन आप अंतिम रूप से सी.बी.ई.सी. की वेब साईट पर लगी कर की दर की बुकलेट एवं कर की दर की लिस्ट से इसे वेरीफाई कर लें .

ये लिस्ट आपको कम से कम एक आईडिया तो देगी कि आपका HSN CODE क्या हो सकता है ताकि आप अपनी वस्तु के लिए उसके आस-पास का कोड भी देख कर चेक कर लें. वैसे हमने इस लिस्ट को काम में लिया है और इससे काफी हद तक हम दर और कोड ढूढने में सफल रहे हैं .

### सोना , चांदी एवं जेवर इत्यादि

#### GOLD , SILVER AND PRECIOUS METALS

| S.NO. | DESCRIPTION  | हिन्दी                      | HSN  |
|-------|--|-----------------------------|------|
| 1.    | All goods of Chapter 71 [other than rough diamond (7102)] will attract 3%.   | रफ डायमंड                   | 7102 |
| 2.    | Pearls, natural or cultured, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; Pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of transport. | मोती                        | 7101 |
| 3.    | Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set [other than rough diamonds].   | डायमंड                      | 7102 |
| 4.    | Precious stones (other than diamonds) and semi-  | मूल्यवान और अर्द्ध मूल्यवान | 7104 |

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 176

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
|     | precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded Synthetic or reconstructed precious stones , temporarily strung for convenience transport. | धातुएं  |      |
| 5.  | Dust and powder of natural or synthetic precious or semi - precious stones.  | प्राकृतिक एवं कृत्रिम मूल्यवान एवं अर्द्ध मूल्यवान स्टॉस का डस्ट और पाउडर           | 7105 |
| 6.  | Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi - manufactured forms, or in powder form.  | चांदी ( गोल्ड या प्लेटिनम की पोलिश सहित) अनगढ़ या अर्ध निर्मित अथवा पाउडर फॉर्म में | 7106 |
| 7.  | Base metals clad with silver, not further worked than semi – manufactured.   | बेस मेटल चांदी से मढ़ा हुआ  | 7107 |
| 8.  | Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi - manufactured forms, or in powder form.   | गोल्ड ( गोल्ड या प्लेटिनम की पोलिश सहित) अनगढ़ या अर्ध निर्मित अथवा पाउडर फॉर्म में | 7108 |
| 9.  | Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi – manufactured.  | बेस मेटल या चांदी जो कि सोने से मढ़ा हुआ  | 7109 |
| 10. | Platinum, unwrought or in semi - manufactured form, or in powder form.   | अनगढ़ और अर्द्ध निर्मित अवस्था में प्लेटिनम   | 7110 |
| 11. | Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured.  | बेस मेटल ,चांदी या सोना जो कि प्लेटिनम से मढ़ा हुआ                                  | 7111 |
| 12. | Waste and scrap of precious metals, of metal clad with precious metal.   | मूल्यवान धातुओं या मूल्यवान धातुओं से मढ़े हुए मेटल का स्क्रेप.                     | 7112 |
| 13. | Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.   | मूल्यवान धातुओं या मूल्यवान धातुओं से मढ़े हुए जेवर या उनके हिस्से .                | 7113 |
| 14. | Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and   | स्वर्ण या चांदी के कारीगरों   | 7114 |

|     |  |   |      |
|-----|--|---|------|
|     | parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.   | द्वारा निर्मित मूल्यवान धातुओं या मूल्यवान धातुओं से मढ़े आर्टिकल                                     |      |
| 15. | Other articles of precious metal or of metal clad with precious metal.   | निर्मित मूल्यवान धातुओं या मूल्यवान धातुओं से मढ़े आर्टिकल  | 7115 |
| 16. | Articles of natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones (natural, synthetic or re-constructed). | प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती , मूल्यवान या अर्द्ध-मूल्यवान स्टॉन्स ( प्राकृतिक , कृत्रिम या पुनर्निर्मित | 7116 |
| 17. | Imitation jewellery.   | आर्टिफीसियल ज्वेलरी   | 7117 |

**कृषि एवं कृषि जन्य वस्तुएं**  
**AGRICULTURAL GOODS**

| क्र.स. | वस्तु का नाम | NAME OF COMMODITY     | HSN  | Rate | HINDI NAME FOR SEARCH |
|--------|--------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 1.     | काँफ़ी       | Coffee                | 0901 | 5    | Kofi                  |
| 2.     | चाय          | Tea                   | 0902 | 5    | Chay                  |
| 3.     | काली मिर्च   | Pepper of Genus Peper | 0904 | 5    | Kali Mirch            |
| 4.     | दाल चीनी     | Cinnamon              | 0906 | 5    | Dal Chini             |
| 5.     | लौंग         | Clove                 | 0907 | 5    | Long                  |
| 6.     | जायफल        | Nutmeg                | 0908 | 5    | Jayfal                |
| 7.     | इलायची       | Cardamoms             | 0908 | 5    | Ilayachi              |
| 8.     | जीरा         | Cumin                 | 0909 | 5    | Jeera                 |
| 9.     | सौंफ         | Anise                 | 0909 | 5    | Sonf                  |
| 10.    | धनिया        | Coriander             | 0909 | 5    | Dhaniya               |
| 11.    | केसर         | Saffron               | 0909 | 5    | kesar                 |
| 12.    | सौंठ         | Dry Ginger            | 0910 | 5    | Sonth                 |
| 13.    | हल्दी        | Turmeric              | 0910 | 5    | Haldi                 |
| 14.    | अजवायन       | Thyme                 | 0910 | 5    | Ajvayan               |
| 15.    | तेज पत्ता    | Bay Leaves            | 0910 | 5    | Taj Patta             |
| 16.    | अन्य मसाले   | Other Spices          | 0910 | 5    | Other Masale          |
| 17.    | ग्वार मील    | Guar Meal             | 1106 | 5    | Gwar Meal             |
| 18.    | ग्वार गम     | Guar Gum              | 1106 | 5    | Gwar Gum              |
| 19.    | ईसबगोल       | Psyllium - Isabgol    | 1211 | 5    | Isabgol               |

### तिलहन- आयल सीड्स

|     |                           |                |      |   |                          |
|-----|---------------------------|----------------|------|---|--------------------------|
| 1.  | सोयाबीन                   | Soyabean Seed  | 1201 | 5 | Soyabean                 |
| 2.  | मूँगफली                   | Ground Nut     | 1202 | 5 | Moongfali                |
| 3.  | कोपरा                     | Copra          | 1203 | 5 | Kopra                    |
| 4.  | अलसी                      | Linseed        | 1204 | 5 | Alsi                     |
| 5.  | रेप सीड                   | Rape Seed      | 1205 | 5 | Rep Seed                 |
| 6.  | सूरजमुखी                  | Sunflower Seed | 1206 | 5 | Surajmukhi               |
| 7.  | सरसों, रायडा<br>,तारामीरा | Mustered Seed  | 1207 | 5 | Sarso,<br>Rayda,Taramira |
| 8.  | पाम सीड                   | Palm Seed      | 1207 | 5 | Pam Seed                 |
| 9.  | कपसिया                    | Cotton Seed    | 1207 | 5 | kapasiya                 |
| 10. | अरंडी                     | Caster Seed    | 1207 | 5 | Arandi                   |
| 11. | तरबूज बीज                 | Melon Seed     | 1207 | 5 | Tarbuj Ka Beej           |

ये सभी तिलहन उस समय करमुक्त होंगे जब कि वे “बीज गुणवत्ता” या “बीजीय गुणवत्ता” (Seed quality) के साथ बेचे जाए .

## सशर्त करमुक्त कृषि वस्तुएं AGRICULTURAL GOODS - TAX FREE

निम्न लिखित कृषि एवं खाद्य वस्तुएं करमुक्त हैं लेकिन यदि उन्हें एक यूनिट कंटेनर (जैसे टिन , केन , बॉक्स, जार , बोटल , बेग , कार्टन , ड्रम , बेरल इत्यादि जिसमें एक निश्चित मात्रा या वजन हो ) में रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क के साथ बेचा जाए तो कर की दर **5 प्रतिशत** होगी . यहाँ ध्यान रखे केवल टिन ,बेग या कंटेनर इत्यादि पर मार्क लगा होने से ही वह टैक्सबल नहीं हो जाएगा बल्कि यह ट्रेड मार्क बाकायदा Trade Marks Act, 1999 में रजिस्टर्ड होना चाहिए .

इसके शर्त के अतिरिक्त यह कृषि वस्तुएं करमुक्त हैं .

| क्र.स. | वस्तु का नाम | NAME OF COMMODITY | HSN  | Rate    | HINDI NAME FOR SEARCH |
|--------|--------------|-------------------|------|---------|-----------------------|
| 1.     | गेंहू        | Wheat             | 1001 | करमुक्त | Genhu                 |
| 2.     | राई          | Rye               | 1002 | करमुक्त | Rai                   |
| 3.     | जौ           | Barley            | 1003 | करमुक्त | Jo                    |
| 4.     | ओट्स         | Oats              | 1004 | करमुक्त | Ots                   |
| 5.     | मक्की        | Maize             | 1005 | करमुक्त | Makki                 |
| 6.     | चावल         | Rice              | 1006 | करमुक्त | Chaval                |
| 7.     | ग्रेन सोरगम  | Grain Sorgum      | 1007 | करमुक्त | Grain Sorgum          |
| 8      | ज्वार        | Buckwheat         | 1008 | करमुक्त | Jwar                  |
| 9.     | बाजरा        | Bajra             | 1008 | करमुक्त | Bajra                 |
| 10.    | रागी         | Ragi              | 1008 | करमुक्त | Ragi                  |

**खाध्य तेल**  
**EDIBLE OIL**

| S.No | वस्तु का नाम    | Commodity       | HSN  | RATE | HINDI NAME FOR SEARCH |
|------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------------|
| 1.   | सोयाबीन का तेल  | Soyabeen Oil    | 1507 | 5    | Soyabeen Tel          |
| 2.   | मूंगफली का तेल  | Grond Nut Oil   | 1508 | 5    | Moongfali tel         |
| 3.   | जैतून का तेल    | Olive oil       | 1509 | 5    | Jaitun ka Tel         |
| 4.   | पॉम आयल         | Palm Oil        | 1511 | 5    | Pam Tel               |
| 5.   | सूरजमुखी का तेल | Sunflower Oil   | 1512 | 5    | Surymukhi Tel         |
| 6.   | कपासिया का तेल  | cotton seed oil | 1512 | 5    | Kapasiya Tel          |
| 7.   | कोपरे का तेल    | Ccoconut Oil    | 1513 | 5    | Khoopre Tel           |
| 8.   | सरसों का तेल    | Musterd Oil     | 1514 | 5    | Sarson Tel            |
| 9.   | अरंडी का तेल    | Caster Oil      | 1515 | 5    | Arandee Tel           |
| 10.  | तिल्ली का तेल   | Seasame Seed    | 1515 | 5    | Tilli Tel             |

**किराना एवं कन्फेक्शनरी**  
**KIRANA AND CONFECTIONERY**

| SNO | वस्तु का नाम | COMMODITY    | HSN  | RATE | HINDI NAME FOR SEARCH |
|-----|--------------|--------------|------|------|-----------------------|
| 1.  | शक्कर        | Sugar        | 1701 | 5    | Shakkar               |
| 2.  | खांडसारी     | Khandsari    | 1701 | 5    | Khandsari             |
| 3.  | काँफी        | Coffee       | 0901 | 5    | Kaufee                |
| 4.  | चाय          | Tea          | 0902 | 5    | Chay                  |
| 5.  | काली मिर्च   | Black Pepper | 0904 | 5    | Kali Mirch            |
| 6.  | दाल चीनी     | Cinnamon     | 0906 | 5    | Dal Chini             |
| 7.  | लौंग         | Clove        | 0907 | 5    | Long                  |
| 8.  | जायफल        | Nutmeg       | 0908 | 5    | JayFal                |
| 9.  | जावित्री     | Mace         | 0908 | 5    | Javitri               |
| 10. | इलायची       | Cardamoms    | 0908 | 5    | Ilayachi              |
| 11. | कलौंजी       | Black cumin  | 0909 | 5    | Kalonji               |
| 12. | सौंठ         | Dry Ginger   | 0910 | 5    | Sonth                 |
| 13. | केसर         | Saffron      | 0910 | 5    | Kesar                 |
| 14. | हल्दी        | Turmeric     | 0910 | 5    | Haldi                 |
| 15. | अजवायन       | Thyme        | 0910 | 5    | Ajwain                |
| 16. | तेज पत्ता    | Bay Leaves   | 0910 | 5    | Tejpatta              |
| 17. | अन्य मसाले   | Other Spices | 0910 | 5    | Anny Masale           |
| 18. | गोंद         | Gond         | 1301 | 5    | Gond                  |
| 19. | बटर          | Butter       | 0405 | 12   | Butter                |

|     |                                    |  |      |    |   |
|-----|------------------------------------|--|------|----|---|
| 20. | देसी घी                            | Ghee   | 0405 | 12 | Desi Ghee                                       |
| 21. | चीज                                | Cheese   | 0406 | 12 | Cheej   |
| 22. | कंडेंस्ड<br>मिल्क                  | Condensed<br>Milk                                  | 0402 | 18 | Kandensed Milk                                  |
| 23. | कत्था                              | Indian Katha                                       | 1404 | 18 | Katha   |
| 24. | सिवैयां                            | Seviyan  | 1902 | 5  | Seviyan   |
| 25. | साबूदाना                           | Tapioca  | 1903 | 5  | Sabudana  |
| 26. | रस्क<br>और<br>टोस्ट                | Rusks and<br>Toasted<br>Bread                      | 1905 | 5  | Rask, tost                                      |
| 27. | पास्ता                             | Pasta  | 1902 | 18 | Pasta   |
| 28. | नूडल्स                             | Noodels  | 1902 | 18 | Nudels  |
| 29. | कॉर्न<br>फलैक्स                    | Corn Flakes  | 1904 | 18 | Corn Flaks                                      |
| 30. | बिस्किट                            | Biscuits   | 1905 | 18 | Biskut , Biskit                                 |
| 31. | वेफर्स (<br>बिना<br>चोकलेट<br>के ) | Wafers<br>(Other than<br>coated with<br>chocolate) | 1905 | 18 | Wafers (Other<br>than coated with<br>chocolate) |
| 32. | पेस्ट्री                           | Pastries   | 1905 | 18 | Pastries  |
| 33. | केक                                | Cakes  | 1905 | 18 | Cake  |
| 34. | वेफर्स<br>(चोकलेट<br>सहित)         | wafers<br>coated with<br>chocolate)                | 1905 | 28 | wafers (choklet<br>sahit)                       |
| 35. | सोया<br>बड़ी                       | soya Badi  | 2106 | 12 | Soya Badi                                       |
| 36. | बड़ी या                            | Bari or  | 2106 | 12 | Bari or Mangauri                                |

|     |                         |                        |      |    |                     |
|-----|-------------------------|------------------------|------|----|---------------------|
|     | मंगोड़ी                 | Mangauri               |      |    |                     |
| 37. | डिटर्जेंट<br>केक        | Detergent<br>Cake      | 3401 | 18 | Detergent Cake      |
| 38. | डिटर्जेंट<br>पाउडर      | Detergent<br>Powder    | 3402 | 28 | Detergent Powder    |
| 39. | टॉयलेट<br>सोप           | Toilet Soap            | 3401 | 18 | Toilet Soap         |
| 40. | सेनेटरी<br>नैपकिन       | Sanitary<br>Napkin     | 9619 | 12 | Saniitary Napkin    |
| 41. | काजल<br>पेंसिल<br>स्टिक | Kajal Pencil<br>Sticks | 3304 | 18 | Kajal Pencil Sticks |
| 44. | हेयर<br>आयल             | Hair Oil               | 3305 | 18 | Hair Oil            |
| 45. | टूथ पेस्ट               | Tooth Paste            | 3306 | 18 | Tuth Pest           |
| 46. | शेविंग<br>क्रीम         | Shaving<br>Cream       | 3307 | 28 | Shaving Cream       |

## ड्राई फ्रूट्स DRY FRUITS

| s.no. | वस्तु का नाम             | COMMMODITY          | HSN  | दर | HINDI NAME FOR SEARCH |
|-------|--------------------------|---------------------|------|----|-----------------------|
| 1.    | काजू                     | Cashew Nut          | 0801 | 5  | Kaju                  |
| 2.    | बादाम                    | Almonds             | 0802 | 12 | Badam                 |
| 3.    | अखरोट                    | walnuts             | 0802 | 12 | Akhrot                |
| 4.    | पिस्ता                   | Pistachoise         | 0802 | 12 | Pista                 |
| 5.    | खजूर                     | Dates               | 0804 | 12 | Khajur                |
| 6.    | अंजीर                    | figs                | 0804 | 12 | Anjir                 |
| 7.    | किशमिश                   | Kishmish<br>Raisins | 0806 | 5  | Kishish               |
| 8.    | सुपारी                   | arecanuts           | 0802 | 5  | Supari                |
| 9.    | अन्य<br>ड्राई<br>फ्रूट्स | Other Dry<br>Fruits | 0813 | 12 | Other Dry<br>fruits   |

**मिनरल**  
**MINERALS**

| क्र.स. | वस्तु का नाम   | NAME OF COMMODITY                                | HSN  | Rate | HINDI NAME FOR SEARCH                            |
|--------|--|--|------|------|--|
| 1.     | क्वार्टज़<br>पाउडर<br>/लम्प्स                        | Quartz Powder/<br>Lumps                          | 2506 | 5    | Kwartz Powder<br>and Lams                        |
| 2.     | फेल्सपार<br>पाउडर<br>/लम्प्स                         | Feldspar Powder<br>and Lumps                     | 2529 | 5    | Felspar Powder<br>and Lams                       |
| 3.     | डोलोमाइट एवं<br>इसके ब्लॉक्स<br>और स्लैब्स           | Dolomite inclding<br>blocks and<br>slabs.        | 2518 | 5    | Dolomit, blocks,<br>Slabs                        |
| 4.     | मेग्निशियम<br>कार्बोनेट एवं<br>मेग्निशियम<br>ऑक्साइड | Megnesium<br>Carbonate and<br>Megnesium<br>Oxide | 2519 | 5    | Megnesium<br>Carbonate and<br>Megnesium<br>Oxide |
| 5.     | जिप्सम   | Gypsum   | 2520 | 5    | Jipsam   |
| 6.     | लाइम स्टोन   | Lime Stone                                       | 2521 | 5    | chuna, Lime<br>Stone                             |
| 7.     | क्विक और<br>हाइड्रोलिक<br>लाइम                       | Quicklime ,<br>Slaked Lime and<br>Hydrolic Lime  | 2522 | 5    | Quicklime ,<br>Slaked Lime and<br>Hydrolic Lime  |
| 8.     | एस्बेसटोज  | Asbestos   | 2524 | 5    | Asbestos   |
| 9.     | माइका और   | Mica and Mica                                    | 2525 | 5    | Mica and Mica                                    |

|     |                     |                               |      |    |                               |
|-----|---------------------|-------------------------------|------|----|-------------------------------|
|     | माइका वेस्ट         | Waste                         |      |    | vest                          |
| 10. | लौह अयस्क           | Iron Ores                     | 2601 | 5  | Iron Ores                     |
| 11. | मैंगनीज<br>अयस्क    | Manganese Ores                | 2602 | 5  | Manganese Ores                |
| 12. | काँपर अयस्क         | Copper Ores                   | 2603 | 5  | Copper Ores                   |
| 13. | निकल<br>अयस्क       | Nickel Ores                   | 2604 | 5  | Nickel Ores                   |
| 14. | कोबाल्ट<br>अयस्क    | Cobalt Ores                   | 2605 | 5  | Cobalt Ores                   |
| 15. | एलुमिनियम<br>अयस्क  | Aluminnium Ores               | 2606 | 5  | Aluminnium Ores               |
| 16. | लीड अयस्क           | Lead Ores                     | 2607 | 5  | Lead Ores                     |
| 17. | जिंक अयस्क          | Zinc Ores                     | 2608 | 5  | Zinc Ores                     |
| 18. | टिन अयस्क           | Tin Ores                      | 2609 | 5  | Tin Ores                      |
| 19. | कोयला               | coal                          | 2701 | 5  | Coal                          |
| 20. | लिग्नाइट            | Lignite                       | 2702 | 5  | Lignite                       |
| 21. | कोक एवं<br>सेमी कोक | coke and semi<br>coke of coal | 2704 | 5  | coke and semi<br>coke of coal |
| 22. | मार्बल ब्लॉक        | Marble Block                  | 2515 | 12 | Marble Block                  |
| 23. | ग्रेनाईट ब्लॉक      | Grenite Block                 | 2516 | 12 | Grenite Block                 |

**बिल्डिंग मटेरियल**  
**BUILDING MATERIAL**

| क्र.स. | वस्तु का नाम            | NAME OF COMMODITY   | HSN                          | Rate | HINDI NAME FOR SEARCH   |
|--------|-------------------------|---|------------------------------|------|---|
| 1.     | सीमेंट                  | <b>cement</b>   | 2523                         | 28   | cement  |
| 2.     | पेंट एवं वार्निश        | <b>paint and Varnishes</b>  | 3208,<br>3209<br>and<br>3210 | 28   | Paint and Varnish   |
| 3.     | पुट्टी                  | <b>Putty</b>  | 3214                         | 28   | Putty   |
| 4.     | गिट्टी                  | <b>Gravel , Pebbles, Broken or Crushed Stones</b>   | 2517                         | 5    | Gitti   |
| 5.     | मार्बल                  | Marble other than Block   | 2515                         | 28   | Marble  |
| 6.     | ग्रेनाइट                | Granite other than Block  | 2516                         | 28   | Granite   |
| 7.     | ईटे                     | Building Bricks   | 6904                         | 5    | Building Bricks   |
| 8.     | फ्लाई एश ब्रिक्स        | Fly Ash Bricks  | 6815                         | 12   | Fly Ash Bricks  |
| 9.     | छत की टाइल्स            | Roofing Tiles   | 6904                         | 5    | Roofing Tiles   |
| 10.    | प्लास्टिक सेनिटरी गुड्स | Baths, shower baths, Sinks, Wash Basin, bidets, Lavatory Pans, Seats and covers, Flushing Cisterns of Plastic | 3922                         | 28   | Baths, shower baths, Sinks, Wash Basin, bidets, Lavatory Pans, Seats and covers, Flushing Cisterns of Plastic |
| 12.    | सेरेमिक                 | Ceremic Sinks, Wash Basins, Wash  | 6910                         | 28   | Ceremic Sinks, Wash Basins, Wash  |

|  |               |  |  |  |  |
|--|---------------|--|--|--|--|
|  | सेनिटरी गुड्स | Basin Padestal,<br>Baths, Bidets, Water<br>Closet Pans, Flshing<br>Cisterns, Urinals<br>and Similar Sanitary<br>Fixture. |  |  | Basin Padestal,<br>Baths, Bidets, Water<br>Closet Pans, Flshing<br>Cisterns, Urinals<br>and Similar Sanitary<br>Fixture. |
|--|---------------|--|--|--|--|

**अन्य खाने की वस्तुएं**  
**OTHER EATABLES**

| क्र.स. | वस्तु का नाम        | NAME OF COMMODITY  | HSN  | Rate | HINDI NAME FOR SEARCH |
|--------|---------------------|--------------------|------|------|-----------------------|
| 1.     | समोसा               | SAMOSAS            | 2106 | 12   | SAMOSAS               |
| 2.     | वेज. पेटिस          | VEG.PATTICE        | 2106 | 12   | PETIS                 |
| 3.     | प्लेन सैंडविच       | PLAIN SANDWICH     | 2106 | 12   | SANDWICH              |
| 4.     | नाचोस               | NACHOS             | 2106 | 12   | NACHOS                |
| 5.     | स्वीट कॉर्न         | SWEET CORN         | 2106 | 12   | SWEET CORN            |
| 6.     | नमकीन<br>पॉपकॉर्न   | POPCORN SALTED     | 2008 | 18   | NAMKEEN POPCORN       |
| 7.     | चीज पॉपकॉर्न        | POPCORN CHEESE     | 2008 | 18   | CHEEJ POPCORN         |
| 8.     | पॉप कॉर्न टब        | POPCORN SALTED TUB | 2008 | 18   | POP SALTED CORN TUB   |
| 9.     | पॉप कॉर्न<br>चीज टब | POPCORN CHEESE TUB | 2008 | 18   | POPCORN CHEEJ TUB     |
| 10.    | कोल्ड ड्रिंक        | COLD DRINK         | 2202 | 40*  | COLD DRINK            |
| 11.    | मिनरल वाटर          | MINERAL WATER      | 2201 | 18   | MINERAL WATER         |
| 12.    | आइस क्रीम           | ICE CREEM          | 2105 | 18   | ICE CREAM             |
| 13.    | लेमन आइस<br>टी      | LEMON ICED TEA     | 2101 | 18   | LEMON ICE             |
| 14.    | कोल्ड<br>चोकलेट     | COLD CHOCOLATE     | 1806 | 28   | COLD CHOKLET          |
| 15.    | बादाम मिल्क         | BADAM MILK         | 2202 | 12   | BADAM MILK            |
| 16.    | टोमेटो सूप          | TOMATO SOUP        | 2104 | 18   | TOMETO SOOP           |

|     |                   |                      |      |    |                   |
|-----|-------------------|----------------------|------|----|-------------------|
| 17. | इलायची टी         | ELAICHI TEA          | 2101 | 18 | ILAYACHI TEA      |
| 18. | केप्सिकम<br>काँफी | CAPPUCCINE<br>COFFEE | 2101 | 28 | KEPIKAM<br>COFFEE |
| 19. | हॉट काँफी         | HOT COFEE            | 2101 | 28 | HOT COFEE         |
| 20. | मिठाइयाँ          | SWEETMEATS           | 2106 | 5% | MITHAIYAN         |

Note:- Cold Drinks- 28%,  
Cess – 12% TOTAL -40%

**इलेक्ट्रॉनिक सामान**  
**ELECTRONIC AND ELECTRICAL**  
**GOODS**

| क्र.स. | वस्तु का नाम                  | NAME OF COMMODITY           | HSN  | Rate | HINDI NAME FOR SEARCH |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|------|------|-----------------------|
| 1.     | टेलीवीजन                      | Television                  | 8528 | 28   | TV                    |
| 2.     | वाशिंग मशीन                   | WashingMachine              | 8450 | 28   | Washing Machine       |
| 3.     | फ्लोर मिल                     | Flour Mill                  | 8437 | 5    | Flor Mill             |
| 4.     | मिक्सर<br>ग्राइंडर            | Mixer Grinder               | 8509 | 28   | Mixi                  |
| 5.     | वेक्यूम<br>क्लीनर             | Vaccume Cleaner             | 8508 | 28   | Vaccume Cleaner       |
| 6.     | फ्रिज                         | Refregerators               | 8418 | 28   | Fridge, Frize         |
| 7.     | एयर<br>कंडीशनर                | Air Conditioners            | 8415 | 28   | AC                    |
| 8.     | शेवर्स                        | Shavers, Trimmers           | 8510 | 28   | Shavers               |
| 9.     | डिश वाशिंग<br>मशीन            | Dish Washing<br>Machine     | 8422 | 28   | Dish Washer           |
| 10.    | वजन की<br>मशीन-<br>इलेक्ट्रिक | Electric Weghing<br>Machine | 8423 | 28   | Weighing Machine      |
| 11.    | ऑडियो प्लेयर                  | Audio Player                | 8519 | 28   | Audio Player          |
| 12.    | वीडिओ प्लेयर                  | Vedio Player                | 8521 | 18   | Vedio Player          |

जी.एस.टी. कानून की 100 परिभाषाओं का हिंदी अनुवाद  
GST- 100 DEFINITIONS IN HINDI  
SECTION -2

जी.एस.टी. कानून की धारा 2 में कुल 121 परिभाषाएँ दी गई हैं जिनका हमने हिंदी अनुवाद किया है . यहाँ ध्यान दें कि इस अनुवाद को करते हुए पूरी सावधानी बरती गई है और यह आपको विषय को समझने में पूरी मदद करेगा फिर भी इसका अधिकृत रूप आपको देखना हो तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं कस्टम विभाग की साईट पर अंग्रजी में उपलब्ध परिभाषाएं देखें .

आप इस हिंदी अनुवाद को ध्यान से पढ़ें , जी.एस.टी.को समझने में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी .

- सुधीर हालाखंडी

1.ACTIONABLE CLAIMS:-

(1) "दावेदार दावे" का अर्थ वही अर्थ होगा जैसा कि संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम, 1882 (Transfer of Property Act, 1882 )की धारा 3 में निर्दिष्ट किया गया है

2.ADDRESS OF DELIVERY:-

(2) "वितरण का पता" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता का पता है इस तरह के वितरण के लिए एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी बिल में माल या सेवाओं या दोनों के वितरण के लिए लिखा है;

### 3.ADDRESS ON RECORD:-

(3) "रिकॉर्ड पर पता" अर्थात् प्राप्तकर्ता का पता आपूर्तिकर्ता के रिकॉर्ड में उपलब्ध है.

### 4.ADJUDICATING AUTHORITY-

(4) "निर्णायक प्राधिकरण" का मतलब किसी भी नियुक्त प्राधिकारी से है जो इस अधिनियम के तहत कोई आदेश या निर्णय के लिए अधिकृत होगा, लेकिन इसमें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड / शामिल नहीं है और कस्टम्स, रिवीजन अथॉरिटी , एडवांस रूलिंग अथॉरिटी , अपीलीट अथॉरिटी एडवांस रूलिंग के लिए एवं अपीलीट ट्रिब्यूनल सम्मिलित नहीं होगा .

### 5.AGENT:-

(5) "एजेंट" का अर्थ है एक व्यक्ति, जिसमें घटक (factor) , दलाल, कमीशन एजेंट, आडतिया , डेल क्रेडिट एजेंट, एक नीलामी कर्ता या किसी भी अन्य व्यापारी एजेंट, जो भी नाम से कहा जाता है, जो सामान या सेवाओं की आपूर्ति या प्राप्ति के व्यापार या दोनों पर व्यापार दूसरे की ओर से करता है;

### 6. AGREEGATE TURNOVER:-

(6) "कुल कारोबार" का मतलब है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (आवक आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर एक व्यक्ति द्वारा कर दिया जाता है), कर मुक्त आपूर्ति (supply), माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात और अंतरप्रांतीय आपूर्ति जिसे कि एक ही स्थायी खाता संख्या (Income Tax PAN) रखने वाले व्यक्ति द्वारा पूरे भारत में कारोबार करते हुए की गई है लेकिन इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर की रकम (कर की रकम ) शामिल नहीं है;

### 7. AGRICULTURALIST:-

(7) "किसान" का अर्थ है एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार जो भूमि खेती का काम करते हैं:-

(ए) अपने श्रम या,

(बी) परिवार के श्रमिक द्वारा, या

(सी) नकद या वस्तु में देय मजदूरी पर कर्मचारियों द्वारा या किराए पर श्रम के तहत जिसे व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या परिवार के किसी भी सदस्य की व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में किया जाता है;

#### 8. APPELLATE AUTHORITY:-

(8) "अपीलीय प्राधिकारी" का अर्थ है कि इस अधिनियम की धारा 107 में निर्दिष्ट अपील सुनने को अधिकृत प्राधिकारी ;

#### 9. APPELLATE TRIBUNAL :-

(9) "अपीलीय ट्रिब्यूनल" का मतलब माल और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल धारा 109 के तहत गठित;

#### 10. APPOINTED DAY:-

(10) "नियत दिन" का अर्थ उस तिथि से है, जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होता है;

#### 11.ASSESSMENT:-

(11) "निर्धारण" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत कर देयता का निर्धारण करना और इसमें स्वतः निर्धारण, पुनः निर्धारण, अंतरिम निर्धारण , सारांश निर्धारण और सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार निर्धारण शामिल हैं ;

#### 12.ASSOCIATE ENTRPRISES:-

(12) "सहयोगी उद्यमों " का अर्थ उसी अर्थ के उसी रूप में लिया जाएगा जैसा कि आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 92 ए में निर्दिष्ट किया गया है

#### 13.AUDIT:-

(13) "लेखा परीक्षा" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत या किसी भी अन्य कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या पेश किये गए अभिलेख, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा या घोषित टर्नओवर की शुद्धता , करों का भुगतान किया, रिफंड के लिए किया गए दावे और लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन को सत्यापित करने के लिए की जाने वाली जांच .

#### 14. AUTHORISED BANK :-

(14) "प्राधिकृत बैंक" का मतलब बैंक या बैंक द्वारा इस अधिनियम के तहत देय कर या अन्य कोई भी राशि एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत बैंक की एक शाखा होगी;

#### 15. AUTHORISED REPRESENTATIVE:-

(15) "अधिकृत प्रतिनिधि" का अभिप्राय धारा 116 में निर्दिष्ट अधिकृत प्रतिनिधि है;

#### 16. BOARD:-

(16) "बोर्ड" का मतलब है केन्द्रीय राजस्व अधिनियम, 1 9 63 के तहत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड.

#### 17. BUSINESS:-

(17) "व्यवसाय" में शामिल हैं--

(ए) किसी भी व्यापार, वाणिज्य, निर्माण, पेशे, व्यवसाय, साहस, दांव या किसी अन्य इसी तरह की गतिविधि, चाहे वह आर्थिक लाभ के लिए हों या नहीं;

(बी) ऊपर दिए उप-खंड (ए) के संबंध में या प्रासंगिक या सहायक के संबंध में कोई गतिविधि या व्यवहार;

(सी) उप-धारा (ए) की प्रकृति में कोई गतिविधि या लेनदेन, चाहे या तो वहां लेन-देन की मात्रा, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता है या नहीं;

- (डी) पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं सहित माल की व्यापार के शुरुआत या व्यापार के समापन के संबंध में आपूर्ति या अधिग्रहण;
- (ई) क्लब, संघ, समाज, या किसी भी तरह के संस्था (किसी शुल्क या किसी अन्य प्रतिफल के लिए) सुविधाओं या लाभ का उसके सदस्यों को प्रावधान;
- (एफ) किसी भी परिसर में व्यक्तियों का प्रतिफल के बदले प्रवेश;
- (जी) किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्यालय के धारक के रूप में आपूर्ति की गई सेवाओं जिसे उसने अपने व्यापार, पेशे या व्यवसाय की आगे बढ़ाने के क्रम में द्वारा स्वीकार किया गया है या;
- (एच) रेस क्लब द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जो कि ऐसे क्लब में totalisator बनाने या बुक मेकर के लिए लाइसेंस देकर प्रदान की जाती है ; तथा
- (आई) केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी गतिविधि या लेनदेन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्यरत हैं;

### **18. BUSINESS VERTICAL:-**

(18) "बिज़नेस वर्टिकल" का अर्थ है एक उद्यम का एक अलग घटक जो अलग सामानों या सेवाओं की आपूर्ति या संबंधित वस्तुओं या सेवाओं के समूह के व्यवसाय में लगा है और जिसमें में लगी हुई है जोखिम और रिटर्न अन्य व्यवसायिक वर्टिकल से अलग है.

स्पष्टीकरण .-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निम्न कारकों को यह निर्धारित करने में विचार में लिया जाना चाहिए कि माल या सेवाएं संबंधित हैं -

- (ए) माल या सेवाओं की प्रकृति;
- (बी) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति;
- (सी) वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों के प्रकार या कक्षा;

(डी) सेवाओं का माल या आपूर्ति वितरित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके; तथा

(ई) बैंकिंग, बीमा, या सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित नियामक वातावरण (जहां भी लागू हो) की प्रकृति;

### **19.CAPITAL GOOODS:-**

(1 9) "पूंजीगत माल" का मतलब माल है, जिसका जमा खर्च इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले व्यक्ति के खाते की पुस्तकों में "पूंजीगत सम्पति" के रूप में किया जाता है और इसका इस्तेमाल व्यवसायी के चलाने में या व्यवसाय के आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है;

### **20.CASUAL TAX PERSON :-**

(20) "आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति" का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जो कभी-कभी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को बढ़ाने के लिए करता है चाहे वह राज्य में या किसी संघीय क्षेत्र में प्रिंसिपल , एजेंट या किसी अन्य क्षमता में हो लेकिन उसके व्यवसाय का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है;

### **21. CENTRAL TAX:-**

(21) "केंद्रीय कर" का मतलब धारा 9 के तहत लगाए गए केंद्रीय सामान और सेवा कर;

### **22.CESS:-**

(22) "उपकर" का अर्थ उसी कर के रूप में होगा, जैसा उसे सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम में समझाया गया है .

### **23.CHARTERED ACCOUNTANT:-**

(23) "चार्टर्ड एकाउंटेंट" का अर्थ है चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1 9 4 9 की धारा 2 के उप-धारा (1) की धारा (बी) चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में परिभाषित;

### **24. COMMISSIONER:-**

(24) "आयुक्त" का मतलब है धारा 3 के तहत नियुक्त केंद्रीय कर के आयुक्त और इसमें शामिल हैं केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्त और एकीकृत माल और सेवाओं अधिनियम (IGST) के तहत नियुक्त एकीकृत कर के आयुक्त कर;

#### 25. COMMISSIONER IN THE BOARD:-

(25) "बोर्ड में आयुक्त" का अर्थ है कि इस अधिनियम की धारा 168 में उल्लेखित आयुक्त.

#### 26. COMMON PORTAL:-

(26) इस अधिनियम की धारा 146 में उल्लेखित "गुड्स एवं सर्विस टैक्स कॉमन पोर्टल".

#### 27. COMMON WORKING DAYS:-

(27) किसी राज्य या संघीय क्षेत्र के संबंध में "आम कार्य दिवस" जिसका अर्थ ऐसे दिनों में होता है जिसे केंद्र सरकार या संबंधित राज्य या संघीय राज्य सरकार राजपत्रित छुट्टियों के रूप में घोषित नहीं किया जाता है;

#### 28. COMPANY SECRETARY:-

(28) "कंपनी सचिव" का मतलब एक कंपनी सचिव है, जो सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 के उप-धारा (1) (C) में परिभाषित है .

#### 29. COMPETENT AUTHORITY:-

(29) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है प्राधिकारी जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है;

#### 30. COMPOSITE SUPPLY:-

(30) "समग्र आपूर्ति" का अर्थ है एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं की दो या अधिक कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति जिसे एक संयोजन (Combination) के तहत किया जाता है जिन्हें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है जिसमें से एक प्रिंसिपल या प्रमुख आपूर्ति होती है.

उदाहरण.- जहां वस्तुएं पैकिंग और बीमा के साथ सप्लाई के जाती हैं, पैकिंग सामग्री, माल का परिवहन और बीमा एक समग्र आपूर्ति है और माल या वास्तु की आपूर्ति एक प्रमुख अथवा मुख्य आपूर्ति है;

### 31. CONSIDERATION:-

(31) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में "प्रतिफल" में शामिल हैं-

(ए) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संदर्भ में, प्राप्तकर्ता द्वारा या चाहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया भुगतान किया या किया जाने वाला भुगतान, चाहे वह पैसे में हो या अन्य रूप में , लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दी गई किसी भी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा ;

(बी) माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संदर्भ में, प्राप्तकर्ता द्वारा या चाहे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गए किसी कार्य या नहीं किये गए किसी कार्य का मौद्रिक मूल्य ,लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी भी सब्सिडी को शामिल नहीं किया जाएगा ;

बशर्ते माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में दिए गए जमा (deposit) को ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान के रूप में नहीं माना जाएगा, जब तक कि आपूर्तिकर्ता इस जमा राशि को आपूर्ति के भुगतान के रूप में लागू नहीं करता है.

### 32. CONTINUOUS SUPPLY OF GOODS:-

(32) "माल की निरंतर आपूर्ति" से माल की आपूर्ति, जो एक तार, केबल, पाइप लाइन या अन्य नाली के जरिए प्रदान की जाती है, या एक अनुबंध के तहत लगातार या फिर आवर्तक आधार पर सहमति व्यक्त की जाती है, और जिसके लिए आपूर्तिकर्ता नियमित या आवधिक आधार पर प्राप्तकर्ता को चालान करता है और इसमें ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति शामिल

है, ऐसी स्थितियों के अधीन, जैसा कि, सरकार द्वारा माल के निरंतर आपूर्ति के रूप में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है;

### 33. CONTINUOUS SUPPLY OF SERVICES:-

(33) "सेवाओं की निरंतर आपूर्ति" का मतलब उन सेवाओं की आपूर्ति है जो प्रदान की गई है, या अनुबंध के तहत लगातार, या आवर्ती आधार पर, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए आवधिक भुगतान दायित्वों के साथ प्रदान की जाती है और ऐसी सेवाओं की आपूर्ति शामिल है जैसा कि सरकार, ऐसी स्थितियों के अधीन हो सकता है, जैसा कि अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है;

### 34. CONVEYANCE:-

(34) "वाहन" में एक जहाज, एक विमान और एक वाहन शामिल है;

### 35. COST ACCOUNTANT:-

(35) "लागत लेखाकार" का अर्थ लागत और वर्क्स एकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के उप-धारा (1) के खंड (C) में परिभाषित के रूप में एक लागत लेखाकार का मतलब है;

### 36. COUNCIL :-

(36) "परिषद" का मतलब संविधान की धारा 279 ए के तहत स्थापित माल और सेवा कर परिषद;

### 37. CREDIT NOTE:-

(37) "क्रेडिट नोट" से धारा 34 के उप-धारा (1) के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी दस्तावेज का मतलब है;

### 38. DEBIT NOTE:-

(38) "डेबिट नोट" का मतलब धारा 34 के उप-धारा (3) के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जारी दस्तावेज;

### 39. DEEMED EXPORT:-

(39) "समझा गया निर्यात" का मतलब माल की आपूर्ति जैसे कि धारा 147 के तहत अधिसूचित किया जाता है;

#### 40. DESIGNATED AUTHORITY :-

(40) "नामित प्राधिकरण" का अर्थ है प्राधिकारी, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

#### 41. DOCUMENTS:-

(41) "दस्तावेज" लिखित या मुद्रित रिकॉर्ड जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (t) में परिभाषित के रूप में किसी भी तरह का और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भी शामिल है;

#### 42. DRAWBACK:-

(42) भारत में निर्मित किसी भी सामान जो कि निर्यात किया जाता है के संबंध में किसी भी आयातित इनपुट पर या किसी भी घरेलू इनपुट या इन वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले इनपुट सेवाओं पर शुल्क, कर या सेस की छूट;

#### 43. ELECTRONIC CASH LEDGER:-

(43) "इलेक्ट्रॉनिक नकदी खाता" का मतलब है धारा 49 के उप-धारा (1) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता ;

#### 44. ELECTRONIC COMMERCE:-

(44) "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" का मतलब माल या सेवाओं की आपूर्ति या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित दोनों;

#### 45. ELECTRONIC COMMERCE OPERATOR:-

(45) "इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है, संचालित करता है या प्रबंधन करता है;

#### 46. ELECTRONIC CREDIT LEDGER:-

(46) "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर" का मतलब धारा 49 के उप-धारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खजाना;

#### 47. EXEMPT SUPPLY

(47) "कर मुक्त आपूर्ति" का मतलब किसी भी सामान या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों जो कर की शून्य दर को आकर्षित करती है या जो धारा 11 के तहत कर से मुक्त घोषित हो, या आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 के तहत करमुक्त हो , और इसमें जी.एस.टी. के तहत गैर कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है .

#### 48 . EXISTING LAW

(48) "मौजूदा कानून" का मतलब किसी भी कानून, अधिसूचना, आदेश, नियम या मानदंड जो माल या सेवाओं पर शुल्क या कर के संग्रह से संबंधित है और जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले कानून या संसद या किसी प्राधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा जिसके ऐसा कानून, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति हो द्वारा बनाये या पारित किये गए हो.

#### 49 . FAMILY:-

(49) "परिवार" का अर्थ है, -

- (i) व्यक्ति के जीवन साथी (पति अथवा पत्नी) और बच्चे, और
- (ii) व्यक्ति के माता-पिता, दादा -दादी, नाना -नानी, माता, पिता, भाइयों और बहनों, यदि वह संपूर्ण या मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर निर्भर हैं;

#### 50 . FIXED ESTABLISHMENT:-

(50) "स्थाई प्रतिष्ठान" का मतलब एक जगह (व्यापार के पंजीकृत स्थान के अलावा) है, जो सेवाओं की आपूर्ति के लिए मानव संसाधन और तकनीकी संसाधनों के संदर्भ में पर्याप्त स्थायित्व और उपयुक्त संरचना की विशेषता के साथ है या सेवाओं को अपनी आवश्यकताओं लिए करने और प्राप्त करने के लिए है;

#### 51.FUND:-

(51) "निधि" का मतलब उपभोक्ता कल्याण कोष जो इस अधिनियम की धारा 57 के तहत स्थापित किया गया है;

#### 52. GOODS

(52) "वस्तु" का मतलब है धन और प्रतिभूतियां के अलावा हर तरह की चल संपत्तियां (movable property) लेकिन इसमें दावा करने योग्य दावे (actionable claims) , बढ़ती फसलों (growing Crops) , घास (Grass) और उन चीजों को शामिल करना शामिल है भूमि का हिस्सा है या उससे जुड़ी हुई है जो आपूर्ति से पहले या आपूर्ति के अनुबंध के तहत काटे जाने के लिए सहमत के तहत हैं.

### 53. GOVERNMENT:-

(53) "सरकार" का अर्थ है केंद्र सरकार;

### 54. GOODS AND SERVICE TAX (Compensation to States) Act. :-

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम" से मतलब है माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017;

### 55. GOODS AND SERVICE TAX PRACTITIONERS:-

(55) "गुड्स एवं सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 48 के अधीन ऐसे "प्रैक्टिशनर" के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदित किया गया हो;

### 56. INDIA

(56) "भारत" का अर्थ भारत का क्षेत्र है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है, इसके क्षेत्रीय जल, समुद्री जल और उप-मिट्टी ऐसे पानी के नीचे, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या किसी अन्य समुद्री क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 में वर्णित है , और इसके क्षेत्र और प्रादेशिक जल के ऊपर हवा का स्थान;

### 57. INTEGRATED GOODS AND SERVICE TAX:-

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

### 58. INTEGRATED TAX :-

(58) "एकीकृत कर" का अर्थ एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत सामान और सेवा कर;

#### 59. INPUT:-

(59) "इनपुट" का मतलब पूंजीगत वस्तुओं के अलावा किसी भी सामान का उपयोग किया जाता है या इसका इस्तेमाल किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा व्यापार के दौरान में या व्यापार के आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है;

#### 60. INPUT SERVICE:-

(60) "इनपुट सेवा" का अर्थ है किसी भी सेवा का उपयोग या भावी उपयोग आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने व्यापार के दौरान में या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए करना है;

#### 61. INPUT SERVICE DISTRIBUTOR:-

(61) "इनपुट सेवा वितरक" का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों के सप्लायर का एक कार्यालय है जो धारा 31 के तहत इनपुट सेवाओं की प्राप्ति की ओर जारी किए गए टैक्स इनवॉइस प्राप्त करता है और केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघीय प्रदेश कर का क्रेडिट वितरित करने के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज़ जारी करता है उन कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के सप्लायर को जो की उसी के सामान PAN अर्थात् स्थायी लेखा संख्या के तहत व्यापार कर रहे हैं।

#### 62. INPUT TAX:-

(62) एक पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" का मतलब है, केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघीय क्षेत्र का टैक्स जिसे किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है और इसमें शामिल हैं-

(ए) वस्तुओं के आयात पर लगाए गए एकीकृत सामान और सेवा कर;-  
IGST on Import.

(बी) धारा 9 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर;-  
Tax paid on reverse charge under CGST.

(सी) इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम अधिनियम की धारा 5 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर; - Tax paid on reverse charge under IGST.

(डी) संबंधित राज्य सामान और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उप-धाराओं (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर; या- Tax paid on reverse charge under SGST.

(ई) संघ राज्य सामग्री और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 के उप-वर्गों (3) और (4) के प्रावधानों के तहत देय कर,- Tax paid on reverse charge under UTGST.

लेकिन इसमें कम्पोजीशन के तहत भुगतान किया गया कर शामिल नहीं है

### 63. INPUT TAX CREDIT:-

(63) "इनपुट टैक्स क्रेडिट" से मतलब है इनपुट टैक्स का क्रेडिट;

### 64. INTRASTATE SUPPLY OF GOODS:-

(64) "माल की राज्य के भीतर आपूर्ति" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जिसे इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट किया गया है;

### 65. INTRASTATE SUPPLY OF SERVICES:-

(65) "सेवाओं की राज्य के भीतर की आपूर्ति" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जिसे इन्टीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट किया गया है;

### 66. INVOICE AND TAX INVOICE

(66) "इनवॉइस" या "टैक्स इनवॉइस" का अर्थ वही है जो इस अधिनियम की धारा 31 में संदर्भित है;

### 67. INWARD SUPPLY

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति जो खरीद, अधिग्रहण या किसी अन्य साधन से हुई हो चाहे प्रतिफल के साथ या बिना किसी प्रतिफल के;

#### 68. JOB WORK

(68) "जॉब वर्क " का मतलब है किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए उपाय या प्रक्रिया से है जो किसी अन्य रजिस्टर्ड व्यक्ति की वस्तु पर किया जाता है इसी प्रक्रिया के अर्थ में "जॉब वर्कर" को भी समझा जाना चाहिए.

#### 69. LOCAL AUTHORITY

(69) "स्थानीय प्राधिकरण" का अर्थ है--

(ए) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (डी) में परिभाषित एक "पंचायत";

(बी) एक संविधान; "नगर पालिका" जैसा कि अनुच्छेद 243 पी के खंड

(ई) में परिभाषित किया गया है

(सी) एक नगरपालिका समिति, एक जिला परिषद, एक जिला बोर्ड, और या "नगर निगम या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन" के लिए कोई अन्य अथॉरिटी जिसे केंद्र सरकार या किसी भी राज्य द्वारा कानूनी तौर पर अधिकृत किया है .

(डी) कैंटोनमेंट एक्ट 2006 की धारा 3 में परिभाषित एक छावनी या कैंटोनमेंट बोर्ड

(ई) संविधान के छठी अनुसूची के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद या एक जिला परिषद;

(एफ) संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत गठित एक विकास बोर्ड;

(जी) संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद;

#### 70. LOCATION OF RECEIPIENT OF SERVICE:-

(70) "सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान" का अर्थ है, -

(ए) जहां व्यापार की जगह पर एक आपूर्ति प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इस तरह के व्यवसाय का स्थान;

(बी) जहां किसी व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी जगह पर आपूर्ति प्राप्त की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसी निश्चित प्रतिष्ठान का स्थान;

(सी) जहां एक से अधिक प्रतिष्ठानों में आपूर्ति की जाती है, चाहे व्यवसाय की जगह या निश्चित स्थापना, स्थापना की स्थिति आपूर्ति की प्राप्ति से सीधे संबंधित होती है; तथा

(डी) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, प्राप्तकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

#### 71. LOCATION OF SUPPLIER OF SERVICE:-

(71) "सेवाओं के सप्लायर का स्थान" का अर्थ है, -

(ए) जहां एक व्यापार के स्थान से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, इस तरह के व्यवसाय का स्थान;

(बी) जहां एक व्यवसाय के स्थान के अलावा किसी जगह से आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है (कहीं एक निश्चित प्रतिष्ठान), ऐसी निश्चित स्थापना का स्थान;

(सी) जहां आपूर्ति एक से अधिक प्रतिष्ठानों से की जाती है, चाहे व्यवसाय की जगह या निश्चित प्रतिष्ठान, स्थापना के स्थान को आपूर्ति के प्रावधानों से सीधे संबंधित किया जाए; तथा

(डी) ऐसे स्थानों की अनुपस्थिति में, आपूर्तिकर्ता के निवास के सामान्य स्थान का स्थान;

#### 72. MANUFACTURE

(72) "निर्माण" का अर्थ किसी भी तरह से कच्चे माल या इनपुट का प्रसंस्करण होता है जिसके परिणामस्वरूप नए उत्पाद का एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग के साथ निर्माण होता है और इसके साथ ही "निर्माता" शब्द तदनुसार लगाया जाएगा;

#### 73. MARKET VALUE

(73) "मार्केट वैल्यू" का मतलब पूर्ण राशि है जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्राप्तकर्ता को भुगतान करना है जो गुणवत्ता और किस्म में समान है उसी समय एवं उसी व्यापारिक स्तर पर प्राप्त की जा सकती है जब कि आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता आपस में एक दूसरे से सम्बंधित नहीं है .

#### 74. MIXED SUPPLY:-

(74) मिश्रित आपूर्ति का अर्थ है करयोग्य व्यक्ति द्वारा दो या दो से अधिक वस्तुओं या सेवाओं अथवा उनके किसी संयोजन की एक ही मूल्य पर आपूर्ति जहाँ यह आपूर्ति सयुक्त आपूर्ति के रूप में परिभाषित नहीं की जा सकती है .

उदाहरण :- एक डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मिठाई, चॉकलेट, केक, सूखे फल, शीतल पेय और फलों के रस से मिलने वाले पैकेज की आपूर्ति जिसका मूल्य एक ही है तो यह एकल कीमत मिश्रित आपूर्ति है इनमें से प्रत्येक आइटम को अलग से आपूर्ति की जा सकती है और ये वस्तुएं आपस में एक दुसरे पर निर्भर भी नहीं है और जब इन सभी की अलग -अलग आपूर्ति की जाती है तब यह यह मिश्रित आपूर्ति नहीं होगी

#### 75. MONEY

(75) "धन" का अर्थ है भारतीय कानूनी निविदा या कोई विदेशी मुद्रा, जांच, वचन पत्र, विनिमय बिल, क्रेडिट का पत्र, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यात्री चेक, मनीऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या किसी भी अन्य साधन जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिसे दायित्व तय करने या विनिमय करने के लिए विचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसमें कोई भी मुद्रा शामिल नहीं होगी जो अपने "सिक्का मूल्य" के लिए रखी जाती है.

#### 76. MOTOR VEHICLE:-

(76) "मोटर वाहन" का अर्थ वही लिया जाएगा जो कि मोटर वाहन अधिनियम, 1 9 88 की धारा 2(28) में दिया गया है .

### 77. NON RESIDENT TAXABLE PERSON:-

(77) "अनिवासी कर योग्य व्यक्ति" का अर्थ किसी भी व्यक्ति को कभी-कभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से संबंधित लेनदेन का कार्य करता है, चाहे वह प्रिंसिपल या एजेंट या किसी अन्य क्षमता में, लेकिन जिसका भारत में व्यापार अथवा निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है.

### 78. NON TAXABLE SUPPLY:-

(78) "गैर-कर योग्य आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति है जिनपर इस अधिनियम के तहत या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत कर नहीं लग सकता है.

### 79. NON TAXABLE TERRITORY :-

(79) "गैर-कर योग्य क्षेत्र" का मतलब उस क्षेत्र से है जो कर योग्य क्षेत्र के बाहर है.

### 80. NOTIFICATION:-

(80) "अधिसूचना" का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना है अभिव्यक्ति "सूचित करें" और "अधिसूचित" का निर्धारण भी इसी के अनुसार किया जाएगा;

### 81. OTHER TERRITORY:-

(81) "अन्य क्षेत्र" जो कि इस अधिनियम की धारा 114 (ए) (ई) में उल्लेखित है और किसी में एक राज्य में शामिल नहीं है.

### 82. OUTPUT TAX:-

(82) कर योग्य व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट टैक्स" का मतलब है, टैक्स के दायरे में सामान या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति या दोनों पर उसके द्वारा या उसके एजेंट द्वारा चार्ज किया हुआ कर जिसमें इस अधिनियम लेकिन रिवर्स चार्ज के आधार पर देय कर शामिल नहीं है;

### 83. OUTWARD SUPPLY:-

(83) कर योग्य व्यक्ति के संबंध में "बाह्य आपूर्ति", माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति , चाहे बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय,

लाइसेंस, किराये, पट्टे या निपटान या किसी अन्य तरीके की गई या करने की लिए सहमति दी गई है जो कि व्यापार के दौरान या व्यापार को बढ़ाने के लिये की गई हो.

#### 84. PERSON:-

(84) "व्यक्ति" में शामिल हैं-

(ए) एक व्यक्ति; INDIVIDUAL

(बी) एक हिंदू अविभाजित परिवार; HUF

(सी) एक कंपनी; COMPANY

(डी) एक फर्म; FIRM

(ई) एक सीमित देयता भागीदारी; LLP

(एफ) व्यक्तियों का एक संगठन या व्यक्तियों का एक संगठन, चाहे इसमें वह इंकॉर्पोरेटेड हो या नहीं, चाहे भारत में स्थित हो या भारत के बाहर;

(जी) किसी भी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या इसके तहत स्थापित या किसी भी निगम प्रांतीय अधिनियम या एक सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित के रूप में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) परिभाषित ।

(एच) भारत के बाहर किसी देश के कानूनों के तहत या उसके तहत शामिल किसी भी संस्था

(आई) सहकारी समितियों से संबंधित किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति.

(जे) एक स्थानीय प्राधिकरण; Local Authority

(के) केंद्र सरकार या एक राज्य सरकार;

(एल) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत परिभाषित सोसाइटी;

(एम) ट्रस्ट; तथा

(एन) हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो ऊपर से किसी में शामिल नहीं है.

#### 85. PLACE OF BUSINESS

(85) "व्यापार का स्थान" में शामिल हैं--

(ए) जहां से सामान्यतः व्यापार किया जाता है और एक गोदाम, गोदाम या किसी अन्य जगह पर जहां एक कर योग्य व्यक्ति अपना माल रखता है , अपने सामान या सेवा की आपूर्ति करता है, सामान या सेवाओं या दोनों को प्राप्त करता है; या

(बी) एक ऐसा स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति खाते की अपनी पुस्तकें रखता है; या

(सी) एक ऐसा स्थान जहां एक कर योग्य व्यक्ति व्यवसाय में किसी एजेंट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है;

#### 86. PLACE OF SUPPLY:-

(86) "आपूर्ति की जगह" का अर्थ है एकीकृत आपूर्ति और सेवा कर अधिनियम के अध्याय वी में उल्लिखित आपूर्ति की जगह;

#### 87. PRESCRIBED:-

(87) "निर्धारित (Prescribed)" का मतलब परिषद की सिफारिशों पर इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों द्वारा निर्धारित;

#### 88. PRINCIPAL:-

(88) "प्राचार्य" का अर्थ है जिसकी ओर से किसी एजेंट को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति के व्यवसाय पर किया जाता है;

#### 89. PRINCIPALPLACE OF BUSINESS:-

(8 9) "व्यवसाय का प्रमुख स्थान" का अर्थ है पंजीकरण के प्रमाण पत्र में व्यवसाय की प्रमुख जगह के रूप में निर्दिष्ट व्यवसाय की जगह;

#### 90. PRINCIPAL SUUPPLY:-

(9 0) "प्रमुख आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं की आपूर्ति है जो समग्र आपूर्ति का प्रमुख तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त आपूर्ति का हिस्सा बनने वाला कोई अन्य सहायक सहायक है;

#### 91. PROPER OFFICER:-

(9 1) इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में "उचित अधिकारी" का अर्थ है आयुक्त आयुक्त द्वारा अधिकृत कोई केंद्रीय अधिकारी.

#### 92. QUARTER:-

(9 2) "क्वार्टर" का मतलब तीन साल के लगातार कैलेंडर महीनों में शामिल होता है, जो मार्च, जून, सितम्बर और दिसंबर के आखिरी दिन समाप्त होता है

#### 93. RECIPIENT:-

(9 3) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का "प्राप्तकर्ता", का अर्थ है

-

(ए) जहां सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए एक प्रतिफल देय है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

(बी) जहां माल की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है तो जिस व्यक्ति को सामान वितरित या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसके पास माल को सौंपा जाता है या जिसे उसका उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है .

(सी) जहां कोई सेवा की आपूर्ति के लिए कोई प्रतिफल देय नहीं है, जिस व्यक्ति को सेवा प्रदान की जाती है, और यहाँ जिस किसी व्यक्ति सेवा प्रदान की गई है को आपूर्ति करने के लिए किसी व्यक्ति का संदर्भ आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और उसमें एक एजेंट को भी शामिल किया जाएगा जो कि उस व्यक्ति की और से सामान या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्तकर्ता की तरफ से कार्य करता होगा;

#### 94. REGISTERED PERSON:-

(9 4) "पंजीकृत व्यक्ति" का अर्थ उस व्यक्ति से है जो धारा 25 के तहत पंजीकृत है, लेकिन इसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identity Number) वाला व्यक्ति शामिल नहीं है.

95. REGULATIONS:-

(9 5) "नियम" का अर्थ है परिषद द्वारा की गई सिफारिशों पर इस अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम;

96. REMOVAL :-

(96) माल के संबंध में "रिमूवल ", का अर्थ-

(ए) आपूर्तिकर्ता द्वारा या ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले कोई अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी वितरण के लिए माल का प्रेषण; या

(बी) प्राप्तकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तकर्ता की ओर से कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल की प्राप्ति;

97. RETURN:-

(97) "रिटर्न" का अर्थ है इस अधिनियम के तहत या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कि कोई भी रिटर्न निर्धारित है या अन्यथा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है;

98. REVERSE CHARGE:-

(98) "रिवर्स चार्ज" का मतलब है की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान करने की देयता माल या सेवाओं या दोनों के बजाय ऐसे सामान या सेवाओं या दोनों के सप्लायर के स्थान पर उप-धारा (3) या धारा 9 के उप-धारा (4) के तहत, या उप-धारा (3) या उप- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की धारा (4);

99. REVISIONAL AUTHORITY:-

(99) "संशोधन प्राधिकरण" का मतलब है प्राधिकृत या प्राधिकृत करने के लिए खंड 108 में उल्लेखित फैसले या आदेश का संशोधन;

100. SCHEDULE:-

(100) "अनुसूची" का अर्थ इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची;

101. SECURITIES:-

(101) "सिक्चोरिटीज" का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जो इसे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा के खंड (एच) में दिया गया है.

#### 102 . SERVICES:-

(102) "सेवाएं" माल, मुद्रा और प्रतिभूतियों के अलावा सभी कुछ शामिल है लेकिन इसमें पैसे के इस्तेमाल से संबंधित गतिविधियों जिसमें मुद्रा का उपयोग एवं नकदी द्वारा या किसी भी अन्य मोड द्वारा किसी एक रूप से किसी अन्य रूप में रूपांतरण संबंधित गतिविधियां शामिल हैं जिसके लिए एक अलग प्रतिफल लिया जाता है;

#### 103. STATE:-

(103) "राज्य" में "विधानमंडल के साथ एक संघीय क्षेत्र" शामिल है;

#### 104.STATE TAX:-

(104) "राज्य कर" का मतलब किसी भी राज्य के सामान और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया गया कर.

#### 105. SUPPLIER:-

(105) किसी भी सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में "आपूर्तिकर्ता" का मतलब, उस सामान या सेवाओं या दोनों को आपूर्ति करने वाला व्यक्ति होगा और इसमें ऐसे एजेंट को शामिल करना होगा जो सामान या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे आपूर्तिकर्ता की ओर से आपूर्ति करता है.

#### 106. TAX PERIOD-

(106) "कर अवधि" का मतलब उस अवधि के लिए होता है जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है.

#### 107. TAXABLE PERSON :-

(107) "कर योग्य व्यक्ति" का अर्थ है एक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के तहत पंजीकृत या पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है;

#### 108. TAXABLE SUPPLY:-

(108) "कर योग्य आपूर्ति" का मतलब माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों, जो इस अधिनियम के तहत कर के लिए उद्ग्रहण योग्य है.

#### 109.TAXABLE TERRITORY

(109) "कर योग्य क्षेत्र" का मतलब उस क्षेत्र का है जिसमें इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं;

#### 110. TELECOMMUNICATION SERVICES:-

(110) "दूरसंचार सेवा" का अर्थ किसी भी प्रकार की जानकारी (इलेक्ट्रॉनिक मेल, वॉइस मेल, डेटा सेवाओं, ऑडियो टेक्स्ट सेवाओं, वीडियो टेक्स्ट सेवाओं, रेडियो पेजिंग और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं) से है, जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी ट्रांसमिशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है या तार, रेडियो, दृश्य या अन्य विद्युत चुम्बकीय साधनों द्वारा किसी भी प्रकृति के लक्षण, संकेत, लेखन, चित्र और ध्वनियों या बुद्धि का रिसेप्शन;

#### 111. STATE GOODS AND SERVICE TAX ACT

(111) "राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" से संबंधित राज्य सामान और सेवा कर अधिनियम, 2017;

#### 112. TURNOVER IN STATE OR TURNOVER IN UNION TERRITORY:-

(112) "राज्य में कारोबार" या "संघीय क्षेत्र में कारोबार" का मतलब है सभी कर योग्य आपूर्ति का कुल मूल्य (इनवर्ड्स की आपूर्ति के मूल्य को छोड़कर, जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर देय है) और एक राज्य या एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा संघीय क्षेत्र, माल या सेवाओं का निर्यात या दोनों और माल या सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति या राज्य या संघीय क्षेत्र से बनाये गये कर योग्य व्यक्ति द्वारा किए गए दोनों लेकिन केंद्रीय कर, राज्य कर, संघीय क्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर;

#### 113. USUAL PLACE OF RESIDENCE:-

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 217

(113) "निवास की सामान्य जगह" का मतलब है -

(ए) किसी व्यक्ति के मामले में, जहां वह सामान्य रूप से रहता है;

(बी) अन्य मामलों में, वह जगह जहां व्यक्ति शामिल है या अन्यथा कानूनी रूप से गठित;

#### 114. UNION TERRITORY:-

(114) "संघीय क्षेत्र" का अर्थ-

(ए) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;

(बी) लक्षद्वीप;

(सी) दादरा और नगर हवेली;

(डी) दमन और दीव;

(ई) चंडीगढ़; और

(एफ) अन्य क्षेत्र

स्पष्टीकरण .-- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में से प्रत्येक को अलग संघीय क्षेत्र माना जाएगा;

#### 115. UNION TERRITORY TAX:-

(115) "संघीय प्रदेश कर" का मतलब संघ राज्य के सामान और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाए गए केंद्रीय क्षेत्र के सामान और सेवा कर;

#### 116. UNION TERRITORY GOOD AND SERVICE TAX ACT.

(116) "संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम" का मतलब संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017;

#### 117. VALID RETURN:-

(117) "वैध रिटर्न " का मतलब है धारा 39 के उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत रिटर्न जिस पर स्वयं-मूल्यांकन कर भरा गया है;

#### 118. VOUCHER:-

(118) "वाउचर" का अर्थ उस साधन से है जहां इसे माल या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के लिए विचार या भाग पर विचार के रूप में स्वीकार करने का दायित्व है, जहां सामान या सेवाओं या दोनों को आपूर्ति की जा

रही है या उनके संभावित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान या तो इस उपकरण के उपयोग के नियमों और शर्तों सहित उपकरण या संबंधित दस्तावेजों पर संकेत दिया गया है;

#### 119. WORKS CONTRACT:-

(119) "वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट " का अर्थ है किसी भी अचल संपत्ति के निर्माण, रखरखाव, नवीकरण, परिवर्तन या कमीशन के लिए एक अनुबंध जिसका माल में संपत्ति का स्थानांतरण होता है ( चाहे सामान के रूप में या किसी अन्य रूप में) ऐसे अनुबंध के निष्पादन में शामिल हैं;

(120) इस अधिनियम में परिभाषित शब्द और अभिव्यक्ति नहीं, लेकिन एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम में परिभाषित, संघ राज्य सामान और सेवा कर अधिनियम और सामान और सेवा कर (राज्यों के लिए मुआवजा) अधिनियम का अर्थ उसी अर्थ होगा उन अधिनियमों में उन्हें सौंपा;

(121) इस अधिनियम में कोई भी कानून जो जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, के संदर्भ में, उस राज्य के संबंध में, उस राज्य के लागू होने के संबंध में, यदि कोई हो, तो संबंधित कानून का संदर्भ माना जाएगा।

**जी.एस.टी.- ब्याज के प्रावधान**  
**GST- INTEREST**

जी.एस.टी. कानून की धारा 50 के तहत जी.एस.टी. के दौरान कर इत्यादि के भुगतान में देरी पर ब्याज के प्रावधान दिए गए हैं और इनके अनुसार यदि भुगतान में देरी होती है निर्धारित दरों पर ब्याज का भुगतान करना होगा .

आइये देखें कि यदि जी.एस.टी. में किसी कर इत्यादि में भुगतान की देरी रहती है तो ब्याज का भुगतान किन दरों पर करना होगा एवं इसके अतिरिक्त भी जी.एस.टी. के दौरान ब्याज की दर के क्या प्रावधान है इन्हें भी जानना आपके लिए आवश्यक है .

| विवरण  | ब्याज की दर | जी.एस.टी. कानून की धारा |
|--|-------------|-------------------------|
| कर देरी से जमा कराना   | 18%         | धारा 50(1)              |
| इनपुट क्रेडिट का अवांछित रूप से अधिक क्लेम या आउटपुट कर में भी इसी प्रकार से कमी . | 24%         | धारा 50 (3)             |
| रिफंड रोकने पर ब्याज :- यदि रिफंड का आर्डर किसी अपील अन्य सुनवाई में पेंडिंग हो    | 6%          | धारा 54(12)             |

जी.एस.टी.- सी.ए . सुधीर हालाखंडी 220

|  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| और कमिश्नर ने इस मामले की समाप्ती तक धारा 50(11) में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिफंड रोकने के आदेश दिए हैं   |    |                          |
| यदि रिफंड का आर्डर होने के बाद करदाता रिफंड के लिए अर्जी लगाता है लेकिन उस अर्जी के 60 दिन के भीतर रिफंड हीं दिया जाता है .  | 6% | धारा 56                  |
| यदि रिफंड का आर्डर अपीलैट या अन्य इसी प्रकार के अथॉरिटी द्वारा दिए जाने के होने के बाद करदाता रिफंड के लिए अर्जी लगाता है लेकिन उस अर्जी के 60 दिन के भीतर रिफंड नहीं दिया जाता है . | 9% | धारा 56 का एक प्रोविसो . |

यहाँ यह ध्यान रखने कि ब्याज की दर वार्षिक दी गई है और इसकी गणना दिनों के आधार पर करनी है .

\*

**सहयोग**

**सी.ए.अजय शर्मा**

**सी.ए.आभास हालाखंडी**

\*